खण्ड-385, अंक-3
शनिवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(12 मार्च, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी में देवनारी माइनर के सीपेज से फसलों की बर्बादी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	3
कानपुर महानगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3—4
जनपद हरदोई की नहरों में पानी न आने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद आजमगढ़ को पिछड़े श्रेणी के जिलों में सम्मिलित करने तथा सारी सुविधाएं दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4—5
जिला गोण्डा के ऋषि स्वीट हाउस में हुई विद्युत् दुर्घटना से बच्चे की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	5
जौनपुर जिलान्तर्गत बरसठी क्षेत्र में विद्युत् सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
जनपद गोण्डा के डुमरियागंज में हुई बस दुर्घटना से मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	6
विधान भवन स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय के समक्ष अंगीठी जलने से धुआं फैलने तथा आग लगने का खतरा होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	6—7
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 (पटल पर रखा गया)	7
जनपद हरदोई में प्रस्तावित अतिरिक्त तहसील का केन्द्र पाली के बजाय हरपालपुर बनाये जाने विषयक श्री गंगा भक्त सिंह की याचिका (उपस्थित की गयी)	7
बाराबंकी-फतेहपुर मार्ग से जोड़े जाने वाले कुतलूपुर-मझगावा-शरीफ मार्ग के शेष भाग हड़खड़ा-मझगावां शरीफ मार्ग को डामर रोड बनाये जाने विषयक श्री विनय कुमार की याचिका (उपस्थित की गयी) तथा प्रस्तावों की सूचनाएं	7—16

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 50—(दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) तथा अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	16—73
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	73—93
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	94
पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग से तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	94—98
मेरठ में भारतीय किसान यूनियम के धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्वीकृत चर्चा का स्थगन	98—99

विधान सभा

उत्तर प्रदेश, विधान सभा

शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अब्दुल वहीद कुरेशी, श्री	मेरट
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
औसान सिंह, श्री	इटावा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बुधपाल सिंह खुर्जावाले, श्री	बुलन्दशहर
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री	बस्ती
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामनरेश यादव, श्री	मैनपुरी
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम सिंह एडवोकेट, श्री	मैनपुरी
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर

शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा	हीरा सिंह विष्ट, श्री	देहरादून

संसद टीवी आर्काइव

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी में देवनारी माइनर के सीपेज से फसलों की बर्बादी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं आपसे एक सेकेन्ड में व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम 301 वगैरह खत्म कर दूं, फिर आप पूछ लें ।

नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 सूचनाएं शलाका द्वारा स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री बदन सिंह की है । दूसरी सूचना श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित की है । तीसरी सूचना श्री अशोक बाजपेयी की है । चौथी सूचना श्री मोहम्मद मसूद खां की है । पांचवी सूचना श्री फजलुल बारी की है । छठी सूचना श्री पारस नाथ यादव की है और सातवीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की है ।

ये सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जायं ?

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

श्री बदन सिंह—

[महोदय, जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में स्थित देवनारी माइनर फतेहपुर सीकरी शाखा से ग्राम हंसपुरा के पास निकलती है और यह पूरी माइनर भूमि से ऊपर डरऊ मिट्टी से बनाई गई है । गत फरवरी माह में इस देवनारी माइनर के चलने से हंसपुरा देवनारी नगला देवनारी और बदनपुर के किसानों की हजारों एकड़ भूमि में उसके सीपेज से फसल नष्ट हो गयी है । जिसमें गेहूं, जौ, चना, लाही और ईख की फसल नष्ट होने से किसानों का कई करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है और बदनपुर ग्राम में जाने का तो रास्ता भी बन्द रहा । इस सीपेज से वहां का किसान तबाह हो गया है और वह भुखमरी के कगार पर है । उनमें हायतौबा और बेचैनी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि किसानों की फसल में हुये नुकसान का मुआवजा दिया जाय और इस माइनर को कुलावा नं0 1 से लेकर 10 तक पक्का करा दिया जाय ।]

कानपुर महानगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को कानपुर में पेयजल समस्या से उत्पन्न भीषण परिस्थिति से अवगत कराना चाहता हूं । कानपुर में पेयजल की मौजूदा आवश्यकता का केवल 50 प्रतिशत ही प्राप्त हो पाता है । यह समस्या गंगा के महानगर से दूर चले जाने से है । कानपुर महानगर केन्द्र सरकार को 425 करोड़ एवं प्रदेश सरकार को 100 करोड़ प्रतिवर्ष सीधे करों के रूप में देता है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में गंगा बैराज प्रस्तावित था लेकिन स्वीकृत योजना से इसे हटा दिया गया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश सरकार की अनवरत उपेक्षा के कारण कानपुर महानगर के सभी जाति, धर्म के नागरिकों ने स्वामी परमानन्द के नेतृत्व में गंगा के पानी को घाटों पर लेने का स्वेच्छिक खुदाई अभियान चलाया है जिसमें देश के अनेक नेतागण भी सम्मिलित हुए । खेद का विषय है कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस कार्य में भाग नही लिया । स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है ।

अत: आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को इस कार्य में सम्बद्ध करने हेतु आदेश दें एवं यह भी कहें कि गंगा बैराज को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सरकार घोषणा करें जिससे कि जन आक्रोश शान्त हो सके ।]

जनपद हरदोई की नहरों में पानी न आने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक बाजपेयी—

[महोदय, हरदोई जनपद की नहरों में गत 15 दिनों से पानी न आने के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी है । सूखे से प्रभावित किसानों के समक्ष रबी की फसल भी प्रभावित होने से गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । हरदोई जनपद का किसान दैवी आपदा से पहले ही टूट चुका था परन्तु किसी प्रकार गेहूं की फसल में मेहनत कर भविष्य के प्रति आशान्वित था । लेकिन पूरे सत्र भर नहरों में समुचित पानी न आने से वह बहुत परेशान है । जहां किसानों के बकाया लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है । जिसके लिए किसान निरन्तर मांग करता रहा है । परन्तु शासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी । सूखा राहत के नाम पर किया गया कार्य भी कागजों तक ही सीमित रहा । किसान को कोई राहत नहीं मिल सकी । इस समय जब गेहूं की फसल पकने को ही नहरों में 15 दिन से पानी न आने के कारण किसानों में घोर असन्तोष एवं रोष व्याप्त है ।

अत: मैं इस तात्कालिक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाने की अनुज्ञा चाहता हूं । शासन से मांग करता हूं कि तत्काल पानी की समुचित व्यवस्था कराई जाय, तथा रोस्टर निर्धारित किया जाय ।]

जनपद आजमगढ़ को पिछड़े श्रेणी के जिलों में सम्मिलित करने तथा सारी सुविधायें दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं । जनपद-आजमगढ़ में 7 तहसीलें, सदर, लालगंज, फूलपुर, सगरी, घोसी, मऊ, मोहम्मदाबाद है । सरकार ने मऊ जिला घोषित किया है जिसकी वजह से मऊ, जनपद में मऊ, घोषी, मोहम्मदाबाद तहसील का ब्लाक, सठियांव और जहानागंज छोड़कर और आजमगढ़ जनपद में तहसील मोहम्मादाबाद का ब्लाक जहानागंज और सठियांव, सदर, लालगंज, फूलपुर, सगड़ी है । यह पूर्वांचल में उद्योग की दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए जिले है । जहां ब्राडगेज रेलवे लाइन और कच्चे माल और पक्के माल की मण्डी न होने की वजह से आजमगढ़ जनपद जो उपरोक्त तहसीलों का बनता है, उसमें एक भी उद्योग नहीं है । मऊ जनपद जो उपरोक्त एरिया का न बनने वाला है उसमें ऐसा उद्योग है जो हमेशा आर्थिक कठिनाई के कारण घाटे में रहता है । औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ी श्रेणी में सरकार ने आजमगढ़ और मऊ को नहीं लिया है जिसकी

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वजह से इन जनपदों को सुविधा जो अत्यन्त पिछड़े उद्योगों को मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है । जिसकी वजह से लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और जिला छोड़कर बाहर भाग रहे हैं । जनपद के अन्दर काफी असन्तोष और आक्रोश है । अगर सरकार अविलम्ब इस पर ध्यान नहीं देगी तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो जायेगी ।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आजमगढ़ पूरा जनपद जिसमें 7 तहसीलें शामिल हैं, औद्योगिक सबसे पिछड़े जनपदों की श्रेणी में लेकर उनको सारी सुविधा देते हुए कोई बड़ा उद्योग लगाने का शीघ्र कष्ट करें ।]

जिला गोण्डा के ऋषि स्वीट हाउस में हुई विद्युत् दुर्घटना से बच्चे की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिजलुल वारी—

[मान्यवर, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में गोण्डा में दिनांक 23 अक्टूबर, 1987 को घटित अत्यन्त दुखद एवं लोकमहत्व की घटना लाना चाहता हूं । दीपावली के दूसरे दिन ऋषि स्वीट हाउस, उतरौला रोड, गोण्डा पर प्रशान्त कुमार शुक्ल 9 वर्षीय बालक मिठाई खरीदने आया दुकानदार ने अपनी दुकान पर बिजली के नंगे तारों के द्वारा दीपावली की बिजली की वृहत् सजावट कर रखी थी अबोध बालक का हाथ मिठाई लेते समय तार से छू गया बिजली के शाक से बच्चा तड़पता और चिल्लाता रहा न तो कोई बच्चे को छुड़ा सका और न ही दुकान का मालिक मेन स्वीच को आफ कर कनेक्शन काट सका क्योंकि उसने बिजली बचाव के लिए सजावट का कनेक्शन डायरेक्ट पोल से लिया हुआ था, और इस तरह तड़पता हुआ बालक मर गया । बालक गरीब घर का है दुकानदार एक धनवान एवं प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिए आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है ।

अत: मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में यह दर्दनाक विषय लाकर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस घटना की किसी निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा जांच कराकर पैसे के बल पर शरिन्दगी फैलाने वालों को सरकार बाकयी सजा दिलवाये ।]

जौनपुर जिलान्तर्गत बरसठी क्षेत्र में विद्युत् सब-स्टेशन बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव—

[मान्यवर, आपका ध्यान अति लोकमहत्व के विषय पर दिलाते हुये मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मेरे पिछड़े क्षेत्र बरसठी, जिला जौनपुर विकास खण्ड रामपुर में एक विद्युत् सब-स्टेशन है जो सम्पुर्ण विकास खण्ड को बिजली आपूर्ति करता है, जब कि सम्पूर्ण विकास खण्ड में 110 गांव सभायें पड़ती है । एक साथ बिजली आपूर्ति में बाधा पड़ती है तथा विद्युत् लोड बढ़ जाता है । आये दिन ट्रांसफार्मर तथा तार जला करते हैं । सिंचाई कार्यों में किसानों को बड़ी परेशानी होती है ।

अत: आपके माध्यम से मांग करता हूं कि विद्युत् लोड कम करने के लिए ग्राम सुल्तानपुर, विकास खण्ड रामपुर में एक छोटा सब-स्टेशन बनाया जाय ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके ।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा के डुमरियागंज में हुई बस दुर्घटना से मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मान्यवर, दिनांक 21-1-88 को प्रातः लगभग 8.30 बजे जनपद गोण्डा के डुमरियागंज चौराहे पर बस नं0 यू0 आर0 वी0 4721 द्वारा वहां पर खड़ी जीप नं0 यू0 आर0 वी0 6794 को टक्कर मारने से जीप की नौ सवारियां मौके पर ही मर गयीं और डंवा सिंह नामक व्यक्ति को गम्भीर चोटें आयी जिसकी जिला अस्पताल गोण्डा में मृत्यु हो गयी। घटना की प्रथम रिपोर्ट थाना बजीरगंज में दर्ज हुई और घटनास्थल पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा आये। मजिस्ट्रेट जांच का आदेश हुआ। परगनाधिकारी तरबगंज द्वारा 31-1-88 से जांच शुरू करने की घोषणा हुई। बस मालिक ने पुलिस को मिलाकर दुर्घटना के सबूत को समाप्त करने की योजना बनाया। दिनांक 27-1-88 को रात में 8 बजे पुलिस बल और थानाध्यक्ष बजीरगंज के साथ क्रेन नं0 यू0 पी0 एक्स0 322 द्वारा उपरोक्त बस को ले जाने हेतु उठवा रहा था इसी बीच भीड़ इकट्ठा हो गई। जनाक्रोश को देखकर लोग वापस लौट गये। पुलिस के कार्य से लोगों में उत्तेजना है। मृतकों के परिवारों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला।]

इस प्रश्न को सदन में लाकर मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने तथा सबूत मिटाने का प्रयास करने वालों को दण्डित करने की मांग करता हूं।]

विधान भवन स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय के समक्ष अंगीठी जलने से धुआं फैलने तथा आग लगने का खतरा होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं कई दिन से देख रहा हूं। जब हम यहां कार्यालय में आते हैं तो जहां मुझे कमरा आवंटित हुआ है और वहीं सत्ता पक्ष का कांग्रेस पार्टी कार्यालय भी है, वहां पर लगभग 300—400 आदमियों को चाय वगैरह पिलाई जाती है और वहां पर कोयले की अंगीठी बरामदे में रखकर चाय बनाई जाती है जिससे चारों तरफ के कमरे में धुआं जाता है। मान्यवर, इससे इस बिल्डिंग को खतरा है हम तो किसी तरह अपना वक्त काट लेंगे लेकिन आपके जो संसदीय अनुभाग हैं और भी अनुभाग है, उनको भी इससे खतरा है। मान्यवर, अगर वहां पर आग लग गई तो यह आपकी बिल्डिंग ध्वस्त हो जायेगी। मान्यवर, मेरा तो मतलब इससे कुछ नहीं है लेकिन आप इसे बचा नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपका उतना ही मतलब है, जितना मेरा मतलब है। और सबका मतलब है।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, वहां पर अगर एम0 एल0 ए0 वगैरह चाय पीते हैं तो कोई बात नहीं है क्योंकि यह सत्ता पक्ष में हैं। लेकिन वहां 400—500 आदमी जो यहां घूमते रहते हैं, और दफ्तरों में काम के चक्कर में चक्कर काटते हैं, वह वहां पर चाय पीते हैं। अगर सरकार रिजवी साहब चाय पिलवाते हैं, तो ठीक है यदि नहीं तो धन का दुरुपयोग वहां पर हो रहा है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, हम लोग इसको सुनिश्चित करा लेंगे । मैं मानता हूं कि पार्टी आफिस के पास कभी-कभी चाय वगैरह का इन्तजाम होता है । वहां पर धुंआ न फैले इसको हम सुनिश्चित करा लेंगे । अगर श्री राम शरण दास जी के कमरे में धुंआं जाता है तो हम चाहेंगे कि वह चाय नाश्ते के साथ वहां पर जाये । वहां पर अंगीठी जलना मुनासिब नहीं है अगर ऐसा है, तो वह नहीं जलायी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ), को सदन के पटल पर रखता हूं ।

जनपद हरदोई में प्रस्तावित अतिरिक्त तहसील का केन्द्र पाली के बजाय हरपालपुर बनाये जाने विषयक श्री गंगा भक्त सिंह की याचिका

श्री खजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हरदोई जिले में बन रही अतिरिक्त तहसील का केन्द्र पाली के बजाय हरपालपुर बनाने विष्यक श्री गंगा भक्त सिंह तथा महेश चन्द्र त्रिवेदी, एडवोकेट आदि निवासी हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

बाराबंकी-फतेहपुर मार्ग से जोड़े जाने वाले कुतलूपुर-मझगवां शरीफ मार्ग के शेष भाग हड़खड़ा-मझगवां शरीफ को डामर रोड बनाये जाने विषयक श्री विनय कुमार की याचिका†

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बाराबंकी-फतेहपुर मार्ग से जोड़े जाने वाले कुतलूपुर-मझगवां शरीफ मार्ग के शेष भाग, हड़खड़ा-मझगवां शरीफ मार्ग, को डामर रोड बनाये जाने विषयक श्री विनय कुमार तथा श्री राम गोपाल, निवासीगण ग्राम व पो0 मझगवां शरीफ, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है मैं उसके सम्बन्ध में ग्राह्यता पर दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपने नियम-63 के अंतर्गत दिया है । कृपा करके आप नियम-64 व 65 देख लें । क्या आपने इसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य को दी है । नियम 65 क्या कहता है । पहले आपको सुना जाय या उनको सुना जाय ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आप मुझे ग्राह्यता पर सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

वह एक माननीय सदस्य के खिलाफ है । पहले उनको इसकी सूचना जायेगी, उनको उस पर क्या कहना है तब जाकर मैं आपको सुनूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, वैसे मैं आपकी आज्ञा मानता हूं डाक्यूमेन्ट्स के आधार पर मैं कह रहा हूं । उन डाक्यूमेन्ट्स की फोटो-स्टेट कापी सूचना में लगाई गई है, इसलिए मैं चाहता था कि आप मुझे सुन लेते तो उचित रहता, वैसे जैसा आप समझें ।

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको मौका दिया जायेगा, फिर आपको मौका दिया जायेगा ।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, नियम 63 के अन्तर्गत मैंने भी एक विशेषाधिकार की सूचना दी है । उसकी ग्राह्यता पर मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना मिल गई है । जितने आप चिन्तित हैं, उतना हम सब भी चिन्तित हैं । जो भी सरकार को मिल रहा है, वह भी पाने का हकदार है ।

श्री फजलुल बारी—

आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

जो आप चाहते हैं, आपकी भावनाओं का आदर किया जायेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

हो जायेगा ।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी—

पहली बार भी इन्होंने कहा था, हो जायेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ । आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम-63 व 65 के अंतर्गत किसी भी सदस्य को सूचना, यह आप पर निर्भर करता है । मेरा आपसे निवेदन है कि सदन को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि अगर विशेषाधिकार की कोई सूचना दी गई है तो उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विषय को आप इस आदरणीय सदन में बता दें । माननीय श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी को आप मौका दे दें ताकि मालूम हो जाय कि विशेषाधिकार की सूचना किस सदस्य ने दी और किसके विरुद्ध है ।

*श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, एक मामला हरीश जी उठाना चाहते थे । आपने भी कहा कि हम भी उससे बहुत चिन्तित हैं । वह कौन सा विषय है जिसकी गम्भीरता पर आप भी चिन्तित हैं ? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि उस मामले को इस आदरणीय सदन के संज्ञान में आना चाहिए । उसके बाद आप चाहे कोई निर्णय करें । श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी को कहने का आप मौका दे दें ताकि पता चल जायेगा कि कौन सा मामला है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री बरार जी जब आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो तब आपको बुलाया जायेगा ।

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है । आपके इन निर्देशों के बाद भी कि शासन सचिवालय तथा विधान मंडल कर्मचारियों के बीच कोई भेद न रखे इस पर ध्यान नहीं दे रहा है । 15 तारीख से विधान सभा सचिवालय कर्मचारियों की ओर से हड़ताल पर जाने की नोटिस आ गई है ।

श्री अध्यक्ष—

(आप नियम-56 के अन्तर्गत.....)

श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम-63 के अंतर्गत मैंने सूचना दी है । मैं चाहूंगा कि आप अपने कक्ष में हमको और मंत्री जी को बुला लें और आज ही शासनादेश निकलवा दें । मंत्री जी स्वीकार भी करते हैं । आप इसे जल्दी निकलवा दें अन्यथा विधान सभा कर्मचारियों का भरोसा टूट गया है । 15 तारीख से उन्होंने हड़ताल की नोटिस दे दी है । दो बार माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि आपका निर्देश शिरोधार्य है ।

मान्यवर, बार-बार मंत्री जी ने कहा, दो बार कहा कि शिरोधार्य है, पालन किया जायेगा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इसका शासनादेश शीघ्र करवा दें । इसके लिये आज ही अपने कक्ष में मीटिंग बुला लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बताया कि अगर ऐसी जरूरत पड़ी, तो जरूर मीटिंग बुला ली जायेगी अगर मामला वैसे ही हल हो जाय, तो कोई जरूरत नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताओं की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहली सूचना श्री राजकिशोर सिंह की वाराणसी जनपद में चकिया तहसील के जंगलों मे आदिकाल से रहने वाली भूमिहीन जातियों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर विकास प्राधिकरण व पुलिस द्वारा ग्राम पनकी भवसिंह, पनकी गंगागंज आदि गांवों के किसानों की खेती योग्य भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की पान पराग, पान मसाला, रसरंजन आदि के सेवन से प्रदेश के करोड़ों लोगों के गले व मुंह में उत्पन्न कैंसर रोग के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बूचड़खानों में वध के लिए गायों की तस्करी के सम्बन्ध में है ।

पांचवीं सूचना श्री अचल सिंह की उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के मुख्य अभियंता द्वारा की गई अनियमितता और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

छठी सूचना श्री हृदय नरायन की उन्नाव जनपद में जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की पिटाई के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना श्री लक्ष्मी नारायण, श्री विजय सिंह राणा, श्री मुस्तमंद अली खां, श्री कुशल पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री कनक सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री जगवीर सिंह की मथुरा, आगरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में है ।

आठवीं सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की समुद्री जहाज से हज यात्रा समाप्त करने से मुस्लिम समुदाय में उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है ।

नवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की वाराणसी में भूतपूर्व काशी नरेश द्वारा अपने पुत्र की शादी में की गई फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में है ।

***श्री लक्ष्मी नारायण—**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मथुरा जिले में सैकड़ों गांव कम से कम राजस्थान के किनारे ऐसे हैं, जिनके तालाबों में एक बूंद पानी नहीं है, कुंओं में एक बूंद पानी नहीं है । लोग मजबूर हो गये हैं, न व्यक्तियों के लिए पीने का पानी है और न पशुओं के लिए पीने का पानी है । लोग यहां तक मजबूर हो गये हैं कि उन्होंने अपने जानवरों को खुला छोड़ दिया है । इसी सन्दर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक आगरा नहर में मध्य गंगा कैनाल यमुना पर एक्विडिट बनाकर नहीं डाले जायेंगे तब तक पानी की समस्या हल नहीं हो सकती । मथुरा और आगरा में खारा पानी है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुअज्जिज अखबार "अमर उजाला" में 9 मार्च को निकला है कि "पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण पलायन को मजबूर" जब यहां तक स्थिति आ जाय कि लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ दें, गाम छोड़ने को मजबूर हो जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(मन्त्री जी को हंसते हुए देखकर)

माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है कि यदि इन गांवों में एक भी बूंद पानी या कुओं में पानी हो तो जांच कराकर देख लें । लोग प्यासे हैं । आपसे निवेदन करूंगा कि इण्डिया मार्क-2 के 10--10 हैण्डपम्प की व्यवस्था की जाय, नहरों के द्वारा तालाब भरवाये जायं जिससे पानी का स्तर ऊपर आ सके । 20 कि0 मी0 की दूरी पर यमुना नदी है, उस पर बांध बनवायें जिससे पानी का स्तर ऊपर आ सके । इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर दो घण्टे की चर्चा करायी जाय ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राणा जी, आगरा में पानी की कमी पर चर्चा लगी हुई है, मैं इसको भी उसी में जोड़ देता हूं । आप आगरा और मथुरा पर चर्चा कर लीजियेगा । उसी में इसको जोड़ देते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, इसमें टाइम बढ़ा दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, आगरा की जो चर्चा लगी हुई है ----

(श्री राज किशोर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय राज किशोर सिंह, आपकी सूचना है, पहले मैं माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी को सुन लूं, तब आपको सुनूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, अभी आपने कहा कि आगरा की जो चर्चा लगी हुई है उसमें ही मथुरा की चर्चा को भी जोड़ देंगे । मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आगरा और मथुरा की चर्चा को जब आप इकट्ठे ही ले रहे हैं तो उसके लिये पर्याप्त समय दे दें ताकि सभी सदस्य अपनी भावनाओं से सदन को अवगत करा सकें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर जरूरत हुई तो जरूर कर देंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने मथुरा की समस्या के बारे में कहा, उससे पहले आगरा में पीने के पानी की समस्या पर सूचना प्राप्त हो चुकी है । इस सम्बन्ध में तय हुआ

था कि एक बैठक बुलायी जायेगी जिसके लिये 14 तारीख तय हुई थी । जहां-जहां पानी की कमी है प्रयास किया जायेगा कि वहां पानी जरूर पहुंचाया जाय । मैं समझता हूं कि उस बैठक में माननीय सदस्य को भी बुला लेंगे और मथुरा के अधिकारियों को भी हम बुला रहे हैं ताकि जहां आगरा की बात हो वहीं हम मथुरा के लिये भी बात कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, वाराणसी में चकिया तहसील में बीस हजार परिवार आदिकाल से आदिवासी के रूप में निवास करते चले आ रहे हैं उसमें अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं और ये लोग भूमिहीन मजदूर हैं । यह लोग अपने जीवन-यापन के लिये वृक्षविहीन, वनस्पति विहीन पहाड़ियों का पत्थर काटने का काम किया करते थे । लेकिन अचानक सरकार ने इस पत्थर के काटने पर रोक लगा दी है जिससे ये हजारों परिवार भुखमरी के कगार पर खड़े हो गये हैं । पूरे जंगल में हा-हा कार मचा हुआ है । आज स्थिति यहां तक हो गयी है कि उन लोगों को अपना पेट पालना मुश्किल हो गया है । इन भूमिहीनों के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । इन भूमिहीनों ने सरकार से प्रार्थना की थी कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाय लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं भेजा है । मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है, बीस हजार परिवार भुखमरी के शिकार हैं, उनके पास कोई रोजगार धन्धा नहीं है और न उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही है । सरकार बीस सूत्रीय कार्यक्रम में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती है । इन जंगलों में जो पुराने समय से परिवार रहते चले आ रहे हैं उनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लोकमहत्व का तथा अविलम्बनीय है, इस पर आप सदन में चर्चा करा दें ।

*श्री मनोहर लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है वह सिर्फ कानपुर से ही संबंधित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश से इसका संबंध है । कानपुर नगर महापालिका की योजना नं0 40 जो 1968 में ग्राम पनकी भव सिंह, पनकी गंगागंज वाजिदपुर के किसानों की जमीन का मुआवजा छः सौ से 9 सौ रु0 प्रति बीघा की दर से सुना कर अर्जित कर ली गयी थी लेकिन आज तक उस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है । जो सन् 1946 में योजना बनायी गयी थी उस पर किसानों को जो उसके मालिकान हैं, उन्हें उस पर कब्जा नहीं लेने दिया जा रहा है । इस पर धारा 97 यू0 पी0 अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट (का0 वि0 प्रा0 एक्ट 1973) के प्राविजनों व लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट के वर्तमान संशोधित एक्ट नं0-58 सन् 1984 में कहा गया है कि यदि किसी भी योजना का क्रियान्वयन 5 साल तक नहीं होता है तो किसानों की जमीन उनको वापस कर दी जायेगी, अब यह अवधि घटाकर 2 साल कर दी गयी है और ऐसी स्थिति में ऐसी समस्त (अर्जन) अवैध कार्यवाही अवैधानिक मानी जायेगी इसके अलावा सारे काश्तकारान आज दिन तक जमीन मालिक बदस्तूर है । ऐसी स्थिति मान्यवर सिर्फ उन्नाव या कानपूर में ही नहीं है, विकास प्राधिकरण के नाम पर हर जगह किसानों की जमीनें बहुत सस्ते दामों में जबरदस्ती ले ली जाती है और फिर उसको मंहगे दामों पर उसको बेचते हैं, इस बात को लेकर जो किसान अदालत चले गये, उनको तो मान्यवर 32 हजार रु0 का मुआवजा मिल गया लेकिन जो गरीब किसान थे, अदालत नहीं जा सके उनको मात्र 12,250 रु0 ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कब्जे देकर यह घोषणा कर दी कि 28 फरवरी, 88 तक विकास प्राधिकरण कब्जा ले लेगा, तो जब यह कब्जे के लिए गये तो इस पर किसानों, विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों व पुलिस के बीच भीषण युद्ध हुआ और किसानों ने आज भी कब्जा लेने नहीं दिया, इसलिए मान्यवर मुआवजा को लेकर जो इनमें संघर्ष हो रहा है, इस अत्याचार को जो विकास के नाम से किया जा रहा है, रोका जाए और किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा आज के बाजार भाव पर खासकर दिलाए जाने की व्यवस्था की जाय और यही नहीं मान्यवर कानपुर में जहां-जहां इस प्रकार से जमीनें ली जा रही है, और उनमें झगड़े हो रहे हैं तो इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में लाकर यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाये और सभी को बाजार भाव दिलाया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक शब्द में एक बात बता दूं माननीय राज किशोर सिंह जी ने जो बातें आदिवासियों के बारे में कहीं हैं, इनकी इस सिलसिले की चिन्ता से हम सब भी चिंतित हैं और इस मामले को हम दिखवायेंगे और यदि यहां से अभी तक इनके संबंध में कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है तो उसको भी हम शीघ्र ही भिजवायेंगे । दूसरी बात माननीय मनोहर लाल जी ने किसानों की जमीन के बारे में जो मुआवजे से संबंधित है, कही । इस संबंध में आपके माध्यम से मान्यवर यही कहना चाहूंगा कि जहां-जहां भी किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी है और उनके मुआवजे में जो विवाद अन्तर्ग्रस्त हैं, इस सम्बन्ध में आज राजस्व का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस समय इस पर भी काफी विस्तार से बातें सामने आयेंगी और मैं माननीय मनोहर लाल जी से भी यही अनुरोध करूंगा कि वह भी इस पर विस्तार से कहें फिर बाद में जो उचित कार्यवाही होगी अवश्य की जायेगी ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि जब हम राजस्व का बजट प्रस्तुत करेंगे तो उस पर विस्तारपूर्वक विचार के बाद कार्यवाही की जायेगी तो मैं मान्यवर, इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि माननीय मनोहर लाल जी ने जैसा कहा कि जो लोग कोर्ट चले गये हैं उनको तो मुआवजा अधिक मिला है और जो लोग कोर्ट नहीं गये हैं उनको मुआवजा कम मिला है, तो क्या माननीय मंत्री जी अपने राजस्व बजट भाषण में यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग कोर्ट नहीं गये हैं उनको मुआवजा भी कोर्ट जाने वालों के बराबर दिलाया जायेगा ?

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर एक बहुत ही गम्भीर मामला है, कल परसों दो दिन तक लखनऊ में कैंसर अनुसंधान गोष्ठी हुयी थी, उसमें पान मसाला, रस रंजन जिसका आज प्रयोग बहुत हो रहा है और इसका इस्तेमाल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है विशेषकर कानपुर और लखनऊ उन्नाव आदि जनपदों में हो रहा है, जो बहुत ही हानिकारक है । इसका प्रभाव गले और मुंह पर बहुत खराब पड़ता है, कैन्सर होने की अधिकाधिक संभावनाएं भी रहती हैं, इसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी स्वयं स्वीकारा है और इसी संबंध में दो दिन तक इस गोष्ठी में भी विचार हुआ और आज इससे कोई बच नहीं रहा है, 18 साल की आयु के नवजवान

*वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

से लेकर एक अधेड़ उम्र के लोग भी इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं, यह बाजार में खूब आठ-आठ आने और एक-एक रुपये में बिक रहा है, इससे लोगों को आमदनी तो अवश्य हो जाती है लेकिन यदि इसको रोका न गया तो लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक असर पड़ेगा ।

मान्यवर, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोक स्वास्थ्य को बनाये रखे । 18 साल की उम्र से प्रदेश के नौजवानों के गले में कैंसर हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जायेगी । इसलिये इस मसले पर मैं चाहूंगा कि आप चर्चा करा लें यह सरकार इस बारे में बयान दे । इस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगना चाहिए । दूरदर्शन जो उत्तर प्रदेश का विभाग है, उसका उत्तर प्रदेश के अन्दर जितना क्षेत्राधिकार है उसमें ऐसे विज्ञापनों पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए । सरकार अपने प्रचार माध्यमों से, विज्ञापन से दूरदर्शन से यह बात जनता तक लायी जा सकती है कि पान पराग और रसरंजन के खाने से कैंसर हो सकता है । मैं समझता हूं कि इसका सम्बन्ध लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है । इस पर सरकार को तुरन्त बयान देना चाहिए । अतः आपसे गुजारिश है कि आप तत्काल इस पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे पान पराग का विज्ञापन कर रहे हैं या उसके खाने से गले का कैंसर हो सकता है, इसका विज्ञापन कर रहे हैं ? इसे स्पष्ट करा लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप आपस में तय कर लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह मजाक की बात नहीं है । लोक स्वास्थ्य का प्रश्न है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब अपना बजट भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि इन चीजों में स्टेचुटरी वार्निंग लिख दी जायेगी । यह कदम सरकार की ओर से उठाया गया । लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो पान मसाला बनाती हैं । अगर कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट आती है कि यह इन्जुरियस है तो उसकी जांच करा ली जायेगी और देख लिया जायेगा । उसको बन्द भी कराया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक बहुत ही गम्भीर बात की ओर इस सम्मानित सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं । यह बात सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । गायों के साथ करोड़ों हिन्दुओं और मुसलमानों की भावनायें जुड़ी हुई हैं न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जुड़ी हुई हैं । आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े पैमाने पर गायों की तस्करी की जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं तीन-चार उदाहरण देना चाहता हूं । मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से सहारनपुर के मिर्जापुर थाने के अन्तर्गत 40 गायों की तस्करी करते हुये पकड़ा गया । इसी प्रकार सरसड़ा में 82 गायें और बागपत इलाके में 532 गायें इकठ्ठी की गई थी जिन्हें काटने के लिये ले जाया जा रहा

था । कुछ लोग उस सम्बन्ध में पकड़े भी गये । वे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग थे । इस विषय में जो क्षेत्राधिकारी थे, जब वे जांच करने के लिये गये तो उन लोगों ने कबूल किया कि वे इन गायों को बम्बई के बूचड़खाने में ले जाना चाहते थे । मान्यवर, ये मामले तो ऐसे हैं जो पकड़ में आये हैं और हमारे निजी प्रयासों से पकड़े गये हैं । इससे पहले भी इस तरह के कई मामले इस सदन में उठाये गये कि एक बड़े पैमाने पर इन गायों की तस्करी की योजना बनती है लेकिन सरकार की ओर से उसकी रोकथाम के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है । नियमों में व्यवस्था है कि एक भी प्रदेश के बाहर इस तरह का पशु ले जाया जायेगा तो उसके लिये परमिट लिया जायेगा किन्तु परमिट नहीं लिया जाता है । इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि इसके साथ करोड़ों लोगों की भावनायें इससे जुड़ी हुई हैं और हजारों गायों को कटी हुई घायल अवस्था में देखकर जो एफ0 आई0 आर0 में भी लिखी होती हैं, लोगों में उत्तेजना होना स्वाभाविक है । मान्यवर, मेरठ मंडल में विशेष परिस्थिति है । सरकार इसकी तस्करी रोकने में विफल रही है । इसलिये मान्यवर, इसमें आप चर्चा करा दें । मैं समझता हूं कि इससे महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोकमहत्व का और कोई प्रश्न नहीं हो सकता जिसमें करोड़ों लोगों की भावनायें जुड़ी हों और यहां से गायों की कलकत्ता और बम्बई के बूचड़खानों में तस्करी की जा रही है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, गायों की रक्षा और सुरक्षा के लिये सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है, हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं । उन्होंने बहुत सही बात कही कि इससे सभी वर्गों के जजबात जुड़े हुए हैं । मान्यवर, मैं समझता हूं और आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहता हूं कि बाबर ने जो वसीयतनामा हुमायूं के नाम लिखा था, उसमें पहला मुद्दा यही था कि इस देश में गोवध समाप्त होना चाहिये और अकबर से लेकर आखिर तक उस पर अमल किया गया । तो मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने दुखद काण्ड की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उसमें मैं जांच कराऊंगा और छानबीन कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और सजा दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

अचल सिंह की सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है । श्री हृदय नरायन दीक्षित की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है और शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपका उससे क्या मतलब है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, दल में एक ही इन्जीनियर हैं, इनको समय दे दें, 2 मिनट बोल लें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, 26 नवम्बर, 1949 को जब भारत का संविधान बना, तो सरदार पटेल ने राजे और रजवाड़ों का पलायन किया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राजाओं के प्रिवी पर्स और उनके विशेषाधिकार को समाप्त किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में उसी प्रकार से सोने के हौदे पर काशी नरेश चल रहे हैं । वहां पर जो शादी में प्रदर्शन हुआ है, वह प्रदेश के लिये एक टीस पैदा कर रहा है और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे लोगों के राजतंत्र का झंडा है, यह स्थिति आज वहां पर है । लोकपति जी ने इसी सदन में कहा था कि काशी नरेश का नमक हम खाते हैं । आज राजा रानी नहीं हैं । मैंने 74 और 77 में चुनाव लड़ा था, राजा के खिलाफ बोलते हुये और 4 सौ वोट से हारता था । अब राजा रानी का जमाना नहीं है । कुछ लोग आज प्रदेश में हैं, बल्देव सिंह आर्य जी हैं, आप बहुत पुराने व्यक्ति हैं, इस प्रकार के कार्यों से टीस पैदा होती है । खुद तो दूध पीते हैं और बाकी बच्चे भूख से मरते हैं । आज हालत यह है कि डी0 एम0 और एस0 पी0 वहां जाते हैं और हर-हर महादेव बोलते हैं और ऐसा महसूस होता है कि आज भी हमारे प्रदेश के अन्दर राजतंत्र है । जब काशी विश्वनाथ मंदिर में चोरी हुई थी तो काशी नरेश ने कहा था कि मन्दिर में [××] और उनका देवत्व समाप्त हो गया है, [××] काशी नरेश ने अपने पुत्र के विवाह में 50 लाख दहेज लिया है, विवाह में हजारों लोग सम्मिलित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने कोई उस पर कार्यवाही नहीं की है । उस पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगाया है, इसको लगाये ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 49-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-50 (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 62--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) तथा अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

राजस्व एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 41,87,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 11,68,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,18,51,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 85,94,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आज राजस्व विभाग का बजट सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पुराना विभाग है । मान्यवर, भारतवर्ष को ही यह सौभाग्य हासिल है कि यहां जमीन के बारे में जिस समय सारे संसार में जमीन का कंसैप्ट, जमीन की मिलकियत के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया था और यह समझा जाता था कि जमीन केवल बादशाह की होती है तो उस समय यानी आज से साढ़े चार हजार साल पहले हमें इस बात का गर्व है कि जमीन केवल राजा की नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की है, तमाम जनता की है जो इसमें रहते हैं समझी जाती थी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो लाइन इस सम्बन्ध में पढ़ना चाहता हूं जैमिनी की पूर्व मिमांसा से जो अंग्रेजी में है—इसकी हिन्दी भी कर दूंगा—"दि किंग कैननाट गिव अवे दी अर्थ बिकाज इट इज नाट हिज इक्सक्लूसिव प्रापर्टी बट इज कामन टू आल विइंग्स इनज्वायिंग दि फ्रूट्स आफ दियर आन लेवर आन इट । इट बिलांग टू आल एलाइक" यानी बादशाह का अधिकार जमीन पर पूरा नहीं है बल्कि इस पर रहने वाले तमाम सब लोगों का है क्योंकि सब लोग इससे फायदा उठाते हैं । तो यह क्रान्तिकारी विचार लैण्ड के बारे में, लैण्ड डेवलपमेन्ट के बारे में सबसे पहले अगर सारे संसार में कहीं उठा तो वह यहां की पवित्र धरती पर उठा था, भारतवर्ष की धरती में उठा था । यह बात और भी गौरव की है कि भारतवर्ष में जब सर्वे हुआ था सैकड़ों साल पहले वह उत्तर प्रदेश की धरती में हुआ था । हमें इस बात का गौरव है माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी यहां पर बैठे हैं तो यह सबसे पहले सीतापुर के लहरपुर में हुआ था जो टोडरमल ने बादशाह अकबर के जमाने में जमीन का सर्वे कराया था । जब अंग्रेज भारतवर्ष में आये उन्होंने यहां की जुडिशियरी को बदला, यहां के प्रशासन को बदला हर तरह की तबदीलियां की, शिक्षा प्रणाली को भी बदला लेकिन वह यहां की जमीन की व्यवस्था को नहीं बदल सके । जो उस समय सर्वे हुआ वह आज तक उसी तरह से चला आ रहा है । जो हमारा राजस्व विभाग है इसकी तीन मुख्य बातें हैं जिन पर सारा कार्य आधारित है वह है जमींदारी एबोलीशन कानून, दूसरा है कनसालिडेशन आफ होल्डिंग और तीसरा है सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग । यह सब यहां किस प्रकार की गयी यह बड़े महत्व की बातें हैं । इस संबंध में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एचीवमेन्ट हुआ है । इस साल यानी 1987 में जब हमने स्व0 पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त जी की जन्म शताब्दी मनाई और अभी गत दिनों हमने उनकी पुण्य तिथि मनाई थी उनको हम खराजे अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने जमींदारी उन्मूलन एक्ट को यहां उत्तर प्रदेश में लागू किया और जमीन उनको दी जो जमीन जोतते थे एवं बीच से बिचलौलियों को समाप्त किया तथा ऐसी व्यवस्था लागू किया कि किसानों को जमान पर हक दिया कि जमीन उनको मिले । पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त ने जमींदारी उन्मूलन एक्ट के संबंध में कहा कि इस कानून को लागू करने से उम्मीद है कि हमारे सपने पूरे होंगे । आजादी के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम है । मैं समझता हूं कि यह सही स्वराज्य

लायेगा और यहां के लाखों, करोड़ों लोग इससे फायदा उठायेंगे । हमारे पूर्व राजस्व विभाग में बड़े-बड़े मंत्री रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने लैण्ड रिफार्म और इस जमीन्दारी उन्मूलन एक्ट को लागू करने में सक्रिय योगदान दिया है । तो जमींदारी उन्मूलन हुआ यह एक क्रान्तिकारी कदम था । क्रान्तिकारी कदम इस कारण था कि सैकड़ों और हजारों सालों से जो लोग गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे उनको एक तरह से आजादी मिली कि वह जमीन के हकदार बने । लेकिन अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लागू करना है । जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो पास किया गया था उनकी सारी धारायें पूरी तरह से लागू होती हैं कि नहीं, इस सम्बन्ध में कुछ हिस्सा शहरों में अभी भी छूट गये हैं, हमारा प्रयास है कि उनको भी इसके अंतर्गत लेकर कानून बनायें ।

मान्यवर, दूसरी चीज महत्वपूर्ण है कि जमींदारी उन्मूलन अक्टूबर और नवम्बर 1986 तक इसके अन्दर जितनी शिक्षण संस्थायें हैं, यूनिवर्सिटीज और गौशालायें हैं उन पर यह एप्लाई नही किया जाता था, तो अब वहां भी कर दिया है और नान-एग्रीकल्चरल अरबन एरियाज में इस पर विचार कर रहे हैं ।

तीसरा क्रान्तिकारी कदम हुआ कि पूर्व में जो राजस्व मंत्री रहे उन्होंने बड़ा कार्य किया और उनकी यह दूरदर्शिता थी कि उन्होंने सोचा कि लैण्ड होल्डिंग्स जो हैं उनकी सही तरीके से हदबन्दी और चकबन्दी होनी चाहिए । चकबन्दी क्रान्तिकारी चीज थी । उत्तर प्रदेश में जमींदारी समाप्त होने के बाद जमीन जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी थी, तो इकोनामिक होल्डिंग्स पर यह सम्भव नहीं था कि अच्छी कृषि कराई जा सके और सही तरीके से मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हो सके तो इसके लिये चकबन्दी लाई गयी । मान्यवर, फर्स्ट राउन्ड में चकबन्दी में जो एरिया लिया 157.76 लाख हेक्टेयर था वहां पूरी चकबन्दी 154,93 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है और बैलेन्स 2.83 लाख हेक्टेयर्स रह गया है । इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया । खटीमा, किच्छा और नैनीताल, इन तीन जगहों पर हाई कोर्ट ने चकबन्दी के लिये स्टे दे दिया, इसलिये यहां लागू नहीं कर सके । लेकिन हाई कोर्ट से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपने स्टे पर पुनर्विचार करें और जहां चकबन्दी नहीं हुई है, जहां गरीब किसान हैं, अपनी जमीन से हाथ धोये बैठे हैं और दूसरे लोग काब्जा किये हैं जिनको हक नहीं था, उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिये पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है कि जिनकी जमीन है उनको वापस लौटाई जाये और कब्जा दिलाया जाये ।

मान्यवर, कुछ जगहों पर दुबारा चकबन्दी हुई और उसमें 79 तहसीलों में कार्य हो रहा है जिसमें 69.72 लाख हेक्टेयर एरिया है । इसमें 1987-88 में 40 तहसीलें ली जा चुकी हैं और दुबारा चकबन्दी 11.47 लाख हेक्टेयर्स में पूरी हो चुकी है और बैलेन्स 58.25 लाख हेक्टेयर्स रह गयी है । इस तरह चकबन्दी में प्रयास किया गया कि जो टारगेट था उसको हासिल करें ।

मान्यवर, बीस सूत्रीय कार्यक्रम में जो पाचवां प्वाइन्ट है जिसके अन्दर करेक्शन आफ लैण्ड रिकार्ड्स जो हैं, जो हमारे खाते हैं, उसको सही किया जाये । इसके अन्दर भी प्राय: बहुत बड़े घपले हो जाते हैं, कहीं-कहीं पर से, बल्कि बहुत जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं कि सही तरीके से रिकार्ड्स नहीं बनाये गये हैं—हम लोगों के नाम नहीं लिखे गये हैं । अत: इसे अभियान के तौर पर 20 प्वाइन्ट्स प्रोग्राम में लिया गया है ताकि इसको चलाया जाये और सही तरीके से रिकार्ड्स रखे जायें । वर्ष 1985-86 में 3 लाख का हमारा इसमें टारगेट था और हमने 3.17 लाख का एचीवमेन्ट किया है ।

1986-87 में 3.25 लाख हेक्टेयर का हमारा लक्ष्य था और हमने हासिल किया 3.35 लाख हेक्टेयर । तो हमने इसमें 103 प्रतिशत सफलता हासिल की है । इसके साथ 1987-88 के लिए हमारा टारगेट 3.25 लाख हेक्टेयर का था और हमने उसमें 3.31 लाख हेक्टेयर एचीव किया है जो 101 प्रतिशत है इसके साथ ही आबादी साइंड में गूलें और चकरोड, स्कूल्स आदि के लिये तथा दूसरी अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के लिये जमीनों को आरक्षित किया है उसे सुरक्षित किया है ताकि इन चीजों के लिये यह इस्तेमाल हो सके । उसके बाद जमीनों को सीलिंग की बात थी । यह भी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बहुतों के पास इतनी जमीन है कि उनकी तमाम जरूरियात के बाद भी दूसरे लोग उन पर काबिज थे, और दूसरे प्रकार के वह लोग थे, जिनके पास बिलकुल जमीन नहीं थी । यह कहा गया कि इस पर लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू किया जाये और किसी को भी इजाजत न हो कि वह आवश्यकता से अधिक अनाप-सनाप जमीन अपने पास रख सके सन् आठ से एक्ट के तहद इस कार्य को काफी तेजी से शुरू किया गया है और उसके अन्तर्गत जो लैण्ड सरप्लस घोषित की गई है वह 3,11,335 एकड़ है और इसमें से 2,86,259 एकड़ का पजेशन हमने प्राप्त कर लिया है जो सेटल्ड किया गया है वह कुल जमीन 2,58,801 एकड़ है । मान्यवर, इसमें कुल बेनिफिशरीज है 2,20,721 । इन बेनिफिशरीज में जो हमारे अनुसूचित जाति के बेनिफिशरीज भाई हैं, उनकी भी एक अच्छी संख्या है और उन्हें 1,56,967 व्यक्तियों को 1,48,037 एकड़ भूमि दी गयी है । इसी तरह से जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जिनको यह जमीनें दी गई हैं उनकी संख्या 6,334 है और इन्हें 56,524 एकड़ जमीन दी गयी है । इसके अलावा इसमें अनुसूचित जन-जाति के लोगों को भी 1760 एकड़ भूमि प्रोवाइड की गई है और इनकी संख्या 1420 है । इसके साथ-साथ गांव सभा में इस वक्त 52, 480 एकड़ भूमि पब्लिक परपज के लिये रखी गई है । इसी तरह गांव सभाओं में जो लैण्ड लेस लोग थे, उनको जमीनें दी गई । जो लैण्ड टू लैण्डलेस स्कीम के अन्तर्गत जमींन्दारी एबोलीशन एण्ड रिफार्मर्स एक्ट की धारा 195/198 के अन्तर्गत दी गई है । इस प्रकार से गांव सभा की 8,19,521 हेक्टेयर जमीन 23,49,767 बेनिफिशरीज को प्रोवाइड की गयी है । इसमें से 8,17,106 हेक्टेयर भूमि का पजेशन भी प्राप्त हो गया है जो 23,42,087 व्यक्तियों से संबंधित लैण्ड है सरकारी प्रयासों के बावजूद बहुतों को पजेशन अभी भी नहीं मिल सका है । इसको स्वीकार करने में सरकार को कोई हिचक नहीं है । अब तक बहुत लोगों को कागज पर केवल जमीन एलाट हुई है । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में उनको जमीन दिलवायें । परन्तु इसमें बहुत सी दिक्कतें सरकार के सामने आ जाती है । कहीं पर न्यायालय आ जाते हैं कहीं पर असरदार लोग हैं जो जमीन किसी हालत में नहीं देना चाहते हैं । हमने कानून बनाया है कि जिस कमजोर वर्ग को हम जमीन दें, उनको कागज पर न दें, बल्कि वास्तविक रूप में मौके पर उसे पजेशन दिला दें । हमें उम्मीद है कि सम्मानित सदस्यों के सहयोग से और आपके सहयोग से और दोनों पक्षों की सहायता से, जहां गरीब को जमीन दिलाने का सवाल है, उसमें सरकार के साथ सब पूरी तरह से सहयोग करेंगे । जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी सबको जमीन मिल सकती है । इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोगों के लिये जो 20 सूत्रीय का प्रोग्राम नं0 14 है, उसमें उनकी रहायश के लिये आवास के लिए जमीन देने की बात है । 1984-85 में मान्यवर उत्तर प्रदेश का टारगेट 50 हजार था इसमें 87 हजार 302 लोगों को जमीन रहने के लिये दी गयी । 1985-86 में उत्तर प्रदेश का टारगेट फिर पचास हजार था इसमें 88 हजार 733 लोगों को रहने के लिए जमीन दी गई । 1986-87 में उत्तर प्रदेश का टारगेट फिर पचास हजार था । इसमें 87 हजार 552 लोगों को जमीन दी गई । 1987-88

में उत्तर प्रदेश का टारगेट 60 हजार था इसमें अभी 67 हजार 147 लोगों को जमीन रहने के लिए दी गई है यह फरवरी तक का बता रहा हूं, लेकिन 31 मार्च तक जो आंकड़े आयेंगे उसमें हम पहले ज्यादा जमीन दे सकेंगे । मान्यवर, अभी जैसा निवेदन किया कि रिकार्ड आपरेशन, जो सर्वे है, वह हमारे जो रिकार्ड हैं, उनके बारे में किया जायेगा । इसके लिए हमने आठ यूनिट बनाई है । इस साल 1500 गांव में काम पूरा हो गया है । नये-नये जिले में तथा और जगहों पर यह कम किया जा रहा है । मान्यवर, जो हरदोई में ट्रेनिंग स्कूल है यह 1935 में कायम किया गया था 1978 में अप ग्रेड किया गया । 28 हजार 99 रुपय इस पर हमने दिया है और 28 एकड़ जमीन भी दी है । यह स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे अधिकारी आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 हैं, उनके बारे में इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वह जिलों में तो चले जाते हैं, लेकिन न तो वह मौके पर जमीन को ही देखते हैं न और कोई कार्य ही ठीक तरह से देखते हैं । जो पहले हमारे रेवन्यू आफिसर होते थे । वह घोड़े पर जाते थे और सब देखते थे, जमीन को देखते थे, लेकिन आज के जो आफिसर हैं वह बंगले में बैठकर रिकार्ड देखने का प्रयास करते हैं वह कोई रिकार्ड आपरेशन गरीबों की जमीन का नहीं करते हैं । मान्यवर, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि बहुत से आई0 ए0 एस0 अधिकारी और पी0 सी0 एस0 अधिकारी, जो रेवेन्यू विभाग में हैं वह खसरा और खतौनी में फर्क नहीं बता सकते हैं । तो इनमें सबका सहयोग होना चाहिए । जो हमारी स्पाइनल काड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वह दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उसमें जरा सा भी डिफेक्ट हो जाए, तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, मखलूज हो जाता है, तो जो इन्सटीट्यूशन 1935 में कायम हुआ था, दिवाकर विक्रम जी सुन नहीं रहे हैं, जबकि मैं उन्हीं के समय की बात कह रहा हूं तो जो इंस्टीट्यूशन 1935 में कायम हुआ था यह 1978 में अपग्रेड हुआ । यह बहुत ही महत्वपूर्ण इन्सटीट्यूशन है हमने इस बात का निर्णय लिया है कि इसमें और ज्यादा सुधार करेंगे इस इंस्टीट्यूशन का नाम रखने का जो हमने निर्णय लिया है वह राजा टोडरमल के नाम पर रखने का निर्णय लिया है । बहुत सी बातें कहनी हैं जो मैं बाद में कहूंगा, अभी कुछ बातें ही कहना चाहता हूं मान्यवर गजेटियर के बारे में बताना चाहूंगा । गजेटियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाकूमन्ट है यह जिले का इतिहास होता है इसमें जिले की भौगोलिक स्थिति, वहां के रहने वाले लोग, वहां की तहसील, ब्लाक आदि चीजें सब इसमें रहती हैं । यह इन साइक्लोपीडिया है । लोग इसको देखते नहीं हैं, लेकिन पहले अगर किसी बारे में जानकारी करनी होती थी तो गजेटियर को ही देखा जाता था । तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उनका गजेटियर अपटूडेट हो जाये । 53 जिलों का गजेटियर तैयार हो चुका है । 30 जिले का गजेटियर छप चुका है और 11 जिले का गजेटियर प्रकाशित होने वाला है । इसमें हमारे रावत जी बड़ी मेहनत से लगे हैं । तीन हजार पृष्ठ हैं, जिसके अन्दर पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश का है । यह उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण डकूमेन्ट होगा । इस प्रदेश के बारे में, वह जल्दी छप जायगा । एक बात मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि गजेटियर्स एक जमाने में अंग्रेजी में लिखे गये हैं हमने आदेश दिया है कि सारे उत्तर प्रदेश में वह हिन्दी में लिखे जायं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकें । मान्यवर, बोर्ड आफ रेवेन्यू में बहुत से केसेज बहुत दिनों से पेंडिंग हैं । एक जो दुखद सत्य है उसको भी मैं कहना चाहता हूं कि जो केसेज अदालतों में हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जनता, विशेषकर किसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है । हमने इस बात का प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी केसेज को तय किया जाय । बोर्ड आफ रेवेन्यू में जो

केसेज बहुत दिनों के थे, उनके बारे में निर्देश दिया गया है कि अब केसेज का फैसला 90 दिन में होना चाहिये । पहले यह अवधि 3 साल की थी । इसी तरह से सीलिंग के मामले राज्य सरकार को दायर करने के लिये केवल 90 दिन की अवधि थी । अगर इतने दिनों में राज्य सरकार केस नहीं दायर कर पाती थी तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है । इसके कारण बहुत से लोग फायदा उठा लेते थे तो इस अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया है । राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि किसी जगह पर अगर गलत सीलिंग की जमीन गलत तरीके से लोगों के पास है तो उसके ऊपर अदालत में एक साल में मामला दायर कर सकते हैं । इसी तरह से अभी लैण्ड एक्वीजीशन की बात आयी थी ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है । सदन के अन्दर दलीय मीटिंग हो रही है । इसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, जनमोर्चा के साथियों के साथ बैठकर हम लोग विधान सभा की कार्यवाही सुन रहे हैं । इनको क्यों दर्द हो रहा है ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, सीतापुर के रहने वाले एक राजा टोडरमल थे जो लहरपुर से अपना घर छोड़कर बाहर निकल गये थ आर उसी जगह के रहने वाले माननीय राजेन्द्र गुप्त जी हैं रवेन्द्र एसे महत्वपूर्ण बजट पर अपनी सीट छोड़कर चल गये हैं । दोनों में अन्तर यह बताता हूं कि किसकी किससे कितनी दिलचस्पी है ? तो मैं लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में निवेदन कर रहा था । इस वक्त की स्थिति में बताना चाहता हूं कि 1-10-86 से लेकर 31-7-87 तक 75 करोड़ 90 लाख रुपये कम्पेंशेसन के रूप में दिये गये हैं । लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत से वेस्टेड सर्किल्स हैं जिनको हमें रोकना होगा । आज आबादी बढ़ रही है । जिस तरह से दरख्तों के कटने से आज चिन्ता हो गयी है कि दरख्त कम हो गये और दरख्तों को लगाने का काम चल रहा है । उसी तरह से जमीन की कमी की चिन्ता है । दरख्त तो आप लगा सकते हैं लेकिन जमीन को आप फैला नहीं सकते हैं । आज वेस्टेड सर्किल्स हैं जिनकी बहुत बड़ी साजिश है । बहुत से कालोनाइजर्स और इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने किसानों की जमीनों पर कब्जा किया है । बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट 500 एकड़ जमीन लेने के लिये प्रस्ताव करते हैं, उसको एक्वायर कराने का प्रस्ताव करते हैं । जब उनको जमीन मिल जाती है तो वहां पर 100 एकड़ में इण्डस्ट्री लगाकर 400 एकड़ पर कागजी खेती दिखाते हैं । इसको रोकना होगा । हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि किसानों की जमीनों को इस प्रकार से गलत तरीके से लिया जाय । हम किसानों पर सीलिंग लगाते हैं कि उनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन न रहे तो जो इस तरह से 500 एकड़ जमीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं, इसको उत्तर प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी । और इसको रोका है, अभी एक जगह की बात मेरे सामने आई थी, जहां पर एग्रीकल्चरल लैण्ड का मकान बनाने के लिए दी जा रही थी । जो हमारे पास ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, उन जमीनों का नक्शा हमने जिलाधिकारियों से मंगवाया है । अगर किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट को किसी कालोनाइजर की जमीन की जरूरत है, तो वह किसी ऊसर, बंजर जमीन को ले । अगर किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट

को इण्डस्ट्री लगाना है, तो वह ऊसर, बंजर के ऊपर इण्डस्ट्री लगायें, और गांव के अन्दर जाय । लेकिन हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम लखनऊ के करीब, गाजियाबाद के करीब इण्डस्ट्री लगा दें और कालोनीज बना दें और जो आसपास के किसान हैं, उनकी जमीन ले ली जाय । अगर किसी को जमीन की जरूरत है, तो वह सीधे किसान से बात करे और उसकी जमीन लेने के लिए मार्केट रेट के हिसाब से बात करे । पैसा जो है, वह किसानों के पास जाना चाहिए, इण्डस्ट्रियलिस्ट्स और कोलोनाइजर्स के पास नहीं जाना चाहिए । अभी हाल में इस प्रकार का मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन जो गरीब लोग थे, वे कोर्ट में नहीं जा सके । हमने यह फैसला लिया है कि जो लोग कोर्ट में नहीं जा सके, उनको भी वही मुआवजा दिलाया जायगा, जो मोआवजा कोर्ट में जाने वाले लोगों को कोर्ट ने दिलाया है । हमें इसमें आपके माध्यम से इस पूरे सदन का सहयोग, मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमीं लोग इस तरह से सिफारिश कर देते हैं कि यह जमीन जरूर ले लें ।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि किसानों की जमीन एक्वायर कराने के लिए किसी प्रकार की न तो सिफारिश करें और न हमें इसके लिए बाध्य करें, ताकि हम लोग इसका कार्यान्वयन सही तरीके से कर सकें । रिलीफ का काम भी राजस्व विभाग का है, यह इसका कोआर्डिनेटिंग डिपार्टमेन्ट है । इस वक्त सूखा जो पड़ा है, यह अभूत-पूर्व है । इससे एक लाख गांव प्रभावित हुए । इससे कुछ गांवों को छोड़कर करीब-करीब पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित रहा । इससे हमारी 3 हजार करोड़ की फसल का नुकसान हुआ । हमारी सरकार ने 10 से 12 घंटे तक बिजली देने का फैसला लिया है । हमने लगान की छूट दिया है और जो तमाम सब चीजें हैं, जिसके अन्दर सिंचाई की सुविधा, गूल की मरम्मत आदि, इसमें तमाम चीजें हैं, इसमें एक चीज यह है कि ब्लाक से लेकर स्टेट तक से हमने जनप्रतिनिधियों का कोआर्डिनेसन, मार्गदर्शन लेने के लिए कमेटी बनाई । ब्लाक की, डिस्ट्रिक्ट की और फिर डिविजनल कमिश्नर की और फिर उत्तर प्रदेश की कमेटीज बनाई गयीं । इसमें सबने सहयोग दिया । जो सर्वे इन्जीनियर्स थे, जनप्रतिनिधि थे, सबने मिल कर सूखे का मुकाबला किया । इस समय हमारी बहुत अच्छी फसल तैयार है । ईश्वर से प्रार्थना है कि यह बादल वगैरह छट जायं, ताकि फसल अच्छी तरह से काटी जाय । जो हमारी दिक्कतें हैं विभाग की, इसमें हमारी वित्तीय कठिनाइयां हैं, इस विभाग को इक्सपैंड करने के लिए । हमारा प्रयास है कि हम अपने सीमित साधनों में इसको इक्सपैंड कर सकें । मान्यवर, जैसा मैंने कहा राजस्व विभाग रीढ़ की हड्डी है, इसमें जब तक हमें सबका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक हम इसे सही तरीके से नहीं चला सकेंगे । हमारा अनुरोध है कि आप हमें अपना बहुमूल्य सुझाव दें । हम यह समझेंगे कि यह आप हमें अपना मार्ग-दर्शन दे रहे हैं । चाहे आप कितनी ही सख्त जुबान में कहें उसका स्वागत है । हम प्रयास करेंगे और जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा उससे हम डिपार्टमेन्ट को और सुचारु रूप से चला सकेंगे ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ घोषणाएं किसानों के बारे में की हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने घोषणाएं की हैं उसमें क्या इस बात की भी घोषणा करेंगे कि जो किसानों की जमीन बड़े-बड़े उद्योगपति लेते हैं या एक्वायर की जाती है वहां नौकरी के मामले में प्राथमिकता वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों को देंगे और बाजार भाव पर मुआवजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ये सभी हथियार आपके सामने रख देंगे तो रह क्या जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या 49-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के मांग की राशि को घटाकर एक रुपया करने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटाकर एक रुपया करने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर देने की मांग करता हूं । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर,

"बड़ा शोर सुनता था पहलू में दिल के,

जो चीरा तो कतरा-ए-खून भी न निकला ।"

जब से मालूम हुआ कि इस बार राजस्व का बजट डा0 रिजवी साहब रखेंगे तो मुझे जैसे आदमी को यह उम्मीद हुई थी कि आज वह इस बजट में कुछ क्रान्तिकारी घोषणाएं करेंगे और खासकर जब उन्होंने टोडरमल का नाम लिया इनका भी रिश्ता सीतापुर से है, मुझे मालूम था तो मैं समझता था कि वह आज अपने बजट भाषण के दौरान यह स्पष्ट घोषणा करेंगे कि सूखा और ओले से तबाह किसान, बाढ़ से तबाह किसान प्रदेश का, उसके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही, किसी भी प्रकार की बकाया की वसूली नहीं की जायेगी और वह यहां से आदेश निर्गत करेंगे कि किसी भी किसान को किसी भी कीमत पर यह जो सिविल प्रीजन में भेज दिया जाता है, वह कार्य नहीं होगा, ऐसी घोषणाएं करेंगे । मैं उम्मीद करता था आज इनसे कि भूमि सुधारों को लागू करने में कानूनों में जो खामियां हैं उसको वह दूर करने की घोषणा करेंगे । राजस्व संहिता जो एक कंसालीडेटेड कोड आफ रेवेन्यू लाज का बनाने का प्रयास चल रहा है कुछ उसके बारे में घोषणा करेंगे । यह बोर्ड आफ रेवेन्यू हमारे यहां का सफेद हाथी बना हुआ है, इसके विघटन की घोषणा करेंगे लेकिन एक भी घोषणा नहीं हुई, उससे मुझे निराशा हुई ।

श्रीमन्, जैसा इन्होंने स्वयं इस बजट भाषण में कहा, कृषि इस प्रदेश का मुख्य उद्योग है । राजस्व विभाग का कृषि और किसानों से सीधा रिश्ता है । मान्यवर, इसलिए मेरी मान्यता है कि राजस्व विभाग की जो नीतियां होंगी वह हमारे सामाजिक जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं और इसीलिए आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी मिलने के कुछ वर्षों के बाद तक हमारे देश के जो नेता थे, रहनुमा थे उन्होंने हमें पाठ पढ़ाया था, हमें एक सपना दिखाया था, उस समय का बड़ा प्रसिद्ध

नारा था कि जो धरती को जोते बोवे, वह धरती का राजा है । आजादी की लड़ाई के दौरान हम लोगों की एक कल्पना थी कि इस भारत में एक ऐसे समाज की संरचना हो जिसमें जोतने वाला धरती का, वही असली मालिक होगा धरती का लेकिन मान्यवर, वह सारी कल्पना को साकार करने की दिशा में जैसा मैंने शुरू में कहा—आजादी के बाद के कुछ वर्षों तक हमारे नेताओं ने किया भूमि सुधार को लागू करने में । हमारे प्रदेश ने यह सही बात है कि सारे देश की अगुवाई की थी जमींदारी का उन्मूलन करके, जमींदारी का विनाश करके भूमि सुधारों के मामले में । मान्यवर, 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठायी गयी थी कि देश का आर्थिक कार्यक्रम क्या होगा, कृषि का कार्यक्रम क्या होगा, उसको वह कमेटी निश्चित करे । उस कमेटी ने कहा था कि जो अपने श्रम से अपने परिवार सहित परिश्रम करके जमीन खोदे, जोते और बोए, वह जमीन का जोतने वाला है । उस समय तक हमारी दृष्टि साफ थी कि जो धरती को जोतने वाला है, उसको ही धरती का मालिक बनाने का प्रयास किया जायगा । यही नहीं, उसके बाद डा0 राजेन्द्र प्रसाद, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने सभी प्रदेशों के राजस्व मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई थी, दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, आर्या जी हैं, वह अच्छी तरह से जानते होंगे । उस मीटिंग में उन्होंने तमाम डिस्कशन के बाद एक कमेटी बैठाई थी जिसका नाम था "दि एग्रीरेरियन रिफार्म्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष जे0 सी0 कुमारप्पा साहब थे, सन् 1949 में उसकी रिपोर्ट आयी, जिसमें कहा गया कि :—

> "ओनली दोज हू पुट इन ए मिनिमम एमाउन्ट आफ फिजिकल लेबर एण्ड पार्टीसिपेट इन एक्चुअल एग्रीकल्चरल आपरेशन उड बी डीम्ड टू कल्टीवेट लैण्ड पर्सनली ।"

इसका हिन्दी रूपान्तर है कि जो अपने श्रम से खेत को स्वयं जोते, बोवे और इन्तजाम करे, वह जमीन का जोतने वाला है । उस समय तक हमारे नेताओं की दृष्टि साफ थी कि भूमि की खेती का अधिकार किसको देना चाहिए, हमें किसको देना है । लेकिन मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इसके साथ ही इसके बाद हमारी गति पूरी तरह से लड़खड़ा गयी, हमारे ईमान में खोट आया और हमारा इरादा बदल गया । इतना ही नहीं, शुरू में हमारे नेताओं की कल्पना थी कि सहकारिता को कृषि की रीढ़ का स्वरूप देंगे और जैसा कि जेड0 ए0 एण्ड ए0एल0आर0 एक्ट के बारे में राजस्व मंत्री ने जिक्र किया, उसमें भी हमारा सपना था कि सहकारी आन्दोलन और सहकारी खेती भूमि सुधार के प्रमुख अंग होंगे । जेड0ए0 एण्ड ए0एल0आर0 एक्ट के अध्याय 11 के सेक्शन 295 से 318 तक की धाराओं में इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि किस तरह से सहकारी खेती को लागू करने के लिए, उसे प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन इनीशियेटिव लिये जायेंगे ।

यह सब मैंने इसलिए कहा कि मैं बता देना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई के दिनों में जो हमारे नेता थे, वह किस तरह के समाज की संरचना करना चाहते थे, उनके सामने किसान का क्या स्वरूप था, वह भूमि की क्या व्यवस्था करना चाहते थे और आजादी के कुछ सालों के बाद हमारे रहनुमाओं ने किस तरह का इन्तजाम स्थापित करने का प्रयास किया और किस तरह से भूमि सुधार लागू करने की उनकी कल्पना थी । लेकिन उसके बाद मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा, इनके अन्दर खोट आ गया । इनके इरादे डगमगा गये । इनकी नीयत खराब हुई । जमीन की लूट हुई । जमींदारी गयी, लेकिन हजारों एकड़ के नये फार्म बन गये । इसमें किसको फायदा हुआ । राजस्व मंत्री बतावें कि किसकी वजह से यह नया सामंती क्लास पैदा हुआ । बड़े-बड़े फार्म वालों को किसने प्रश्रय दिया । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की तराई में देखें । वहां पर जितने भी रिटायर्ड आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0, पी0पी0 एस0 और बड़े व्यापारी घरानों के लोग हैं, उनके बड़े-बड़े फार्म वहां पर हैं । प्रदेश के बाहर के लोगों ने भी आकर वहां पर कब्जा जमाया ।

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, इसी तरह से आपके समक्ष कुछ आंकड़े आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं जो बड़े ही दिलचस्प हैं । 1953 में एक एकड़ से कम भूमि वाले, इस प्रदेश में, केवल 45 लाख परिवार थे । 1971-72 में एक नेशनल सेम्पल सर्वे कराया गया था, उसमें इन परिवारों की संख्या बढ़कर 86 लाख निकाली । कृषि पर आधारित परिवारों की संख्या पूरे प्रदेश भर में केवल 171 लाख है । मूलभूत कृषि पर आधारित परिवारों में से, प्रदेश में 50 प्रतिशत परिवार ऐसे रह गये जिनके पास केवल एक एकड़ या उससे कम भूमि रह गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी एक मिनट, आपने अनुदान संख्या 62 पर अपना प्रस्ताव नहीं पेश किया था ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-62 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन 50 प्रतिशत परिवारों के पास प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का केवल 4 प्रतिशत भाग रह गया । जबकि 10 एकड़ से अधिक जोतदारों का प्रतिशत 4.3 हो गया और उनके पास कुल कृषि योग्य भूमि का उसकी 30 प्रतिशत भूमि हो गयी । मान्यवर, हम भूमिहीनों को जमीन देने की बात करते हैं और बड़ी-बड़ी घोषणायें करते हैं । क्या यह सच नहीं है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । भारत सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों की जांच के लिए एक समिति बैठायी थी जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 1964 से 1974 के बीच जनसंख्या की वृद्धि तो हुई 18 प्रतिशत और उसी बीच में ग्रामीण श्रमिक परिवारों में वृद्धि हुई 35 प्रतिशत । क्या यह तथ्य भूमि सुधारों की बात के खोखलेपन को उजागर करने के लिए काफी नहीं है ? मान्यवर, मेरा आरोप है कि कानून जानबूझकर ऐसे बनाए गए कि बड़े-बड़े लोगों को फायदा हो उसमें जानबूझकर लूप-होल्स छोड़े गए ।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने जोत हदबन्दी कानून के बारे में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें कही । लेकिन क्या यह सही है कि 1960 में जोत हदबन्दी कानून बना, उसमें 40 एकड़ जोतों की सीमा रखी गयी उसमें यह था कि 15 अगस्त, 1960 की सीमा रखी गयी थी और इसके बाद स्थानान्तरण जो होंगे वह वैध नहीं माने जायेंगे । मेरा आरोप है, बाद में उनके साथी लोगों का दबाव पड़ा और जानबूझकर यह 15 अगस्त 1960 की सीमा 20 अगस्त कर दी गयी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस 5 दिन की सीमा को बढ़ाने के पीछे क्या मंशा थी ? इसके पीछे यही मंशा थी कि यह अवधि दे दी जाय, ताकि इस बीच लोगों को इल्लीगल जमीन को छिपाने का मौका मिल जाय । आपका जो मकसद था वह वहीं खत्म कर दिया गया । नतीजा यह हुआ कि कानून बनते समय आपका सपना था कि 29 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन परिवारों को दे सकेंगे, लेकिन उसके बाद आप 2 लाख से कुछ अधिक एकड़ ही भूमि की बात कर पाये । उसी तरह से मान्यवर, 1972 में दूसरा संशोधन हुआ था एक्ट में, 40 एकड़ के बजाय आपने 18 एकड़ की सीमा कर दी, उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ । यह क्या था, इनके इरादों में खोट आ गयी थी, हमने इमानदारी से उस नियम को लागू करने का प्रयास नहीं किया ।

1952 से 1965 के बीच में सहकारी खेती लागू करने की बाबत अध्याय 11 में व्यवस्था की गयी, लेकिन 1952 से 1965 के बीच में कितने सहकारी फार्म इस प्रदेश में स्थापित किये गये ? उसमें भी आप टोटल फेल्यूर रहे हैं । उसी का नतीजा था कि जेड0 ए0 एण्ड एल0 आर0 एक्ट से निकालकर अध्याय 11 और इसको सहकारिता विभाग को सौंप दिया, जहां पर भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ और है ही नहीं ।

मान्यवर, इसी तरह मंगल देव विशारद कमेटी आपने बिठायी थी । मान्यवर, इस कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है, उसकी संस्तुतियों को आज तक कौन लागू नहीं कर रहा है ? उसकी रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट में किन चेहरों का नकाब उठा है और उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ? उसके लिए कौन दोषी है ? इसलिए मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि माननीय राजस्व मंत्री जी आप अगर कुछ ईमानदारी से करना चाहते हैं और मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदमी हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में आपकी आस्था है, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं । मान्यवर, आज जिस तरह से जमीनों की खुली लूट हुई है, उसको देखते हुए मैं आपसे किसी अच्छी सी घोषणा की उम्मीद करता था, जिससे लोगों में आशा की किरण फैलती । मैं यह समझा था कि अगर श्री वीर बहादुर सिंह जी ने बजट पेश किया होता तो मुझे उनसे अपेक्षा नहीं होती । लेकिन आप तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदमी हैं और आप कोई ऐसी अच्छी घोषणा करते जिससे वीर बहादुर सिंह जी को भी कुछ प्रकाश मिलता कि किधर चलना चाहिए ? लेकिन आपने मुझे निराश किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुतियों को सरकार लागू कराने के लिए कष्ट करें । इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भूमि सुधारों को ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से निदेशालय बनाया जाये ।

आप जरा कल्पना कीजिए कि इतना भयंकर सूखा है इस प्रदेश में और राजस्व विभाग का लेखपाल, जिसके सामने राजस्व विभाग के कार्य को वरीयता नहीं है । आपने जो नसबन्दी का कोटा बना दिया है, उसके लिए नसबन्दी कोटे की प्राथमिकता है । इसी तरह से आपका जो कलेक्टर है, उसके लिये जो कम्पलसरी डिपाजिट्स हैं, छोटी बचत योजनाएं हैं, उनमें आपने इन्सेंटिव दे रखा है और अच्छा काम करने के लिये आप ईनाम देते हैं, इसलिये उनकी भी प्राथमिकता उधर ही है । उनका ध्यान राजस्व के मामलों पर कम है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व के साथ ईमानदारी हो, न्याय हो, इन्साफ हो, इसलिये उसे अलग किया जाये और यह जो दूसरे काम हैं, जो राष्ट्रीय हित के काम हैं, उनके लिये अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाये । मान्यवर, मैं फैमिली प्लानिंग का विरोध नहीं कर रहा हूं । लेकिन यह कह रहा हूं कि राजस्व विभाग पर इन दूसरे कामों का भार न डाला जाए । दूसरे कामों का भार डाल देने से आपके राजस्व डिपार्टमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इसी तरह से मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि प्रशासनिक कार्यों को जरा छोटा, और विकेन्द्रित कीजिये । अभी मान्यवर, कल फरीदाबाद की जिले की बात आई और आपकी सरकार ने कहा कि संसाधनों की कमी की वजह से अभी जिला बनाना संभव नहीं है । जब आप एक कमेटी बिठाते हैं और उसकी संस्तुतियां आती हैं, तो संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर आप इस काम को मत टालिए । जब तक आप छोटी-छोटी यूनिट्स नहीं बनायेंगे, तो जो आपकी बहुमुखी समस्यायें हैं, उनसे न तो आप परिचित हो पायेंगे और न ही प्रशासन परिचित हो पायेगा, न ही उसका सही साल्यूशन निकाला जा सकेगा । इसलिये मेरा कहना है कि मान्यवर, आप बहुत सी जगहों को तो संसाधनों की कमी की

वजह से टाल जाते हैं । लेकिन बहुत सी तहसीलों की जिनकी संस्तुति तक नहीं आती है, लेकिन जब आप पर पोलीटिकल प्रेशर पड़ता है, तब संसाधन आड़े नहीं आते हैं । मान्यवर, जब इस तरह की बातें होती हैं तो लोगों के निराशा व कुंठा फैलती है । लोगों के अन्दर उनकी उपेक्षा होने की बात फैलाती है, उससे वातावरण बिगड़ता है । इसी तरह से मान्यवर, जब संसाधन कम होने की बात है, तो आपका जो बोर्ड आफ रेवन्यू है, उसका क्या औचित्य है ? उसको खत्म करने में आपको क्या परेशानी है ? आपने जो सफेद हाथी पाल रखा है, उसको समाप्त कीजिये । राजस्व संहिता के बारे में भी मैंने कहा है लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि कितने दिन से यह प्रपोजल चल रहा है, कितने दिन से आप अध्ययन कर रहे हैं लेकिन आप इसको क्यों नहीं मानते हैं ? जितने भी रेवेन्यू लौज हैं, उनका आप एक कन्सोलिडेटेड कोड बनायें, जिससे स्पीडी डिस्पोजल हो सके । आपकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी । मेरा आरोप है कि जानबूझकर उसमें विलम्ब किया जा रहा है । अगर आप ईमानदारी से भूमि सुधार लागू करने का प्रयास करेंगे तो आपके ही मित्रगण आप पर दबाव डालेंगे । यदि आप किसानों के पक्षधर हैं और इस प्रदेश की जनता के पक्षधर है और अपने पुराने नेताओं का आप आदर करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा था "जो धरती जोते बोयेगा, वही धरती का राजा होगा" । अब अवसर आ गया है । एक व्यक्ति को एक पेशे का सिद्धान्त आप लागू करें । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो न आप बेरोजगारी की समस्या हल कर पायेंगे और न भूमि सुधार लागू कर पायेंगे और भूमि चोरों से आप भूमि की रक्षा भी नहीं कर पायेंगे । गांवसभा की आबादी है । 25—30 परसेन्ट झगड़े तो गांव सभा की आबादी को लेकर होते हैं, लेकिन आज तक आपने इसके सेटिलमेंट कराने के लिए कुछ नहीं किया । चकबन्दी में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपने क्या कार्य-वाही की है ।

माननीय मंत्री जी जिस समय जब किसी गांव की चकबन्दी खत्म होती है, तो वहां के किसानों पर कितना बड़ा गाज गिरता है । जमीन की पैमाइश नक्शे के हिसाब से की जाती है । किसान तो अपना खतौनी देखता है, लेकिन आपका लेखपाल नक्शे के हिसाब से पैमाइश करता है । नक्शा दुरस्ती की जो प्रोसीडिंग है, वह बहुत खर्चीली है, उसमें छोटे-छोटे किसान मारे जाते हैं, इसलिए आपको इसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए । आपको कानून में संशोधन करना चाहिए कि आने वाले जमाने में खतौनी में जो रकबा होगा, उसी के आधार पर पैमाइश होगी । माननीय मंत्री जी को एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि आपका यह रेवेन्यू मैनुअल आउट डेटेड हो गया है । आप इस पर पुनर्विचार कीजिए । आप अपनी ही ओर से संशोधन लायें । उसी तरह से भूमि आवंटन की बात आपने कही । मंत्री जी आपको मालूम होगा कि गरीबों को आवंटन में जो भूमि मिलती है, वह सब ऊसर व बंजर भूमि होती है । जब तक आप उसके लिए मुफ्त शासकीय सहायता नहीं देंगे, वह ऊसर व बंजर भूमि खेती करने लायक नहीं हो सकती है । आप ऐसा भी प्राविधान कीजिए कि जब जमीन का एलाटमेन्ट हो तो उस गरीब को उस जमीन को खेती लायक बनाने के साधन भी दिए जांय सरकार की तरफ से । माल के मुकदमों के स्पीडी डिस्पोजल के बारे में कहा गया । खाली आपके भाषण करने से व मेरे भाषण करने से स्पीडी डिस्पोजल तो होने वाला नहीं है । आपके जो माल के अधिकारी है एस0डी0एम0 है, साल भर हो जाता है, किसी मुकदमें पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । आपने उनके ऊपर इतना बोझ लाद रखा है कि उन्हें तमाम विभागों के कार्यों के कारण मुकदमों को देखने की कोई फुर्सत ही नहीं रहती, इसलिए आप इसके लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना कर दें, तभी आप किसानों के साथ रेवेन्यू ला के साथ इन्साफ कर पायेंगे ।

इसी प्रकार गांव सभा की जमीनों पर अनधिकृत कब्जा हो जाता है । आपका कानून है कि 122-बी की रिपोर्ट हो जाय, लेकिन यह मुकदमा तो दसियों साल चलता है । गरीब आदमी के हक में आवंटन किया, बड़े सामन्त का पहले से कब्जा है, मुकदमा होता है, पेनाल्टी होती है, कमिश्नर के यहां अपील हुई, उसने कह दिया कि मैंने कब्जा नहीं किया जो जुर्माना पहले उस पर हुआ होता है, वह जुर्माना भी माफ, फिर नये सिरे से 122-बी की कार्यवाही शुरू होती है । इसलिए पब्लिक यूटीलिटी की जमीनों पर जो अनधिकृत कब्जे हो जाते हैं, उसमें भी नियमों में संशोधन कीजिये, 122-बी से न आप कुछ कर पायेंगे, न जिसके लिये आप करना चाहते हैं, उसको कोई इन्साफ दे पायेंगे । इसमें कोई ऐसा प्रोवीजन कीजिये कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से खाली कराइये । हो सकता है कि कुछ मामलों में अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण हो, तो बाद के लिये प्रोवीजन बनाइये कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से हाई कोर्ट से रेमेडी मिल सके । 90 प्रतिशत केसेज में कानून के बदले एग्जीक्यूटिव एक्शन से कब्जा दिलायेंगे तो कब्जा मिल जायेगा ।

बाग बंटवारे के बारे में भी वही सीमा है, जो होल्डिंग के बारे में है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मैं नहीं जानता लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां दो, डेढ़ और चार बीघा की बागें हैं, 10-10 हिस्से होते हैं । आम के एक फल के लिये, महुए के एक फल के लिये, डाल के एक हिस्से के लिये कत्ल हो जाते हैं । इसमें पार्टीशन पर वह पाबन्दी न लगाइए जो एग्रीकल्चरल लैण्ड की होल्डिंग पर लगाते हैं ।

लेखपाल के कामों में से कुछ को हटा दीजिये । लेखपाल विधवा पेंशन का भी सत्यापन करता है, वृद्ध पेंशन का भी सत्यापन करता है, विकलांग पेंशन का भी सत्यापन करता है । मेरा निवेदन है कि अगर काम का बोझ कम करना चाहते हैं लेखपाल पर से और उसी के साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना चाहते हैं, तो सीधा कानून बना दीजिये, विकलांग का सर्टीफिकेट सी0 एम0 ओ0 देगा । विधवा और वृद्ध में भी "एज" फिक्स कर दीजिये कि इतनी "एज" का हो जाने के बाद हर आदमी को पेंशन दे देंगे । कोई खाते-पीते घर का आदमी, अच्छे घर का आदमी उसके लिये एप्लाई नहीं करेगा । इससे तमाम परेशानियां लोगों की कम होंगी और आपके विभाग का भार भी हल्का होगा ।

इसी तरह से लेखपालों के बारे में आपका जी0 ओ0 है कि अपने गृह जनपद गृह तहसील में नहीं रहेंगे । मेरी निजी जानकारी है और इधर तथा उधर के सारे सदस्यगण जानते हैं कि आज भी बड़ी संख्या में लेखपाल अपनी गृह तहसीलों में हैं वहां पर वे लोकल दुश्मनी काश्तकारों से निभाते हैं और राजनीति में खुलकर हिस्सा लेते हैं । कौन सी ऐसी बात है कि शासनादेश को आप लागू नहीं करा पाते हैं । कल इस पर मेरा एक सवाल था जिसका जवाब आया आदेश हुआ था 1986 में, लेकिन कृषि का कुछ काम करना था, इसलिये रोक दिया गया जून, 1988 तक कर दिये जायेंगे । जब कोई शासनादेश आप जारी करते हैं तो ईमानदारी से उसका पालन कराइये ।

इसी तरह से सूखे की बात आपने कही । आज सूखा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि तीनों से इस सूबे ने मार खाई है । यह सबसे विकराल समस्या है । मैं कहना चाहूंगा कि मेरी ऐसी भावना है कि सूखे से निपटने में हमने वह तेजी नहीं दिखायी है जो दिखानी चाहिये थी । काफी शिथिलता बरती है । उदाहरण के लिये एक तो आपके विभागों में कोआरडीनेशन नहीं है, राजस्व विभाग के आंकड़े क्षति के बारे में कुछ बोलते हैं तो कृषि मंत्री जी के विभाग के आंकड़े कुछ बोलते हैं । मेरा निवेदन यह है कि आंकड़े विश्वास करने लायक होने चाहिये । जिस सूखे के लिये एक केन्द्रीय दल आया था, एक

अध्ययन दल आया था केन्द्र से उसने 2 सितम्बर, 1987 को अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें उसने बतलाया है कि उत्तर प्रदेश में 30 अरब रु0 की खरीफ की फसल का क्षति हुइ है और आपका कृषि विभाग कहता है कि प्रदेश में केवल खरीफ के फसल की 20 प्रतिशत क्षति हुइ है । उन्होंने कहा कि खरीफ का उत्पादन बहुत कम हुआ है लेकिन आपका कृषि विभाग कहता है कि भीषण सूखे के बावजूद खरीफ का उत्पादन इस वर्ष 82 लाख मीट्रिक टन हुआ है । जबकि 1986 में यह 104 लाख टन था । तो यदि आपके कृषि विभाग के आंकड़ों को हम सत्य मान लें तो फिर खरीफ का उत्पादन हमारे सामने 82 लाख मीट्रिक टन था यानि पिछले वर्ष से केवल 22 लाख टन कम ।

इसी तरह से कहा गया कि इस वर्ष चावल भी 62 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जबकि इससे पहले वाले साल में केवल 72 लाख मीट्रिक टन ही चावल का उत्पादन हुआ था, तो केवल इस साल में 10 लाख मीट्रिक टन का अन्तर पड़ा ? सरकारी आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की 80 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है जबकि आपका कृषि विभाग कहता है कि उत्तर प्रदेश में 148 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी की बुवाई हुई है । इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग के आंकड़ों को आप न मानें और आपकी तरफ से उनको एक निर्देश जाना चाहिए विभाग के अधिकारियों के पास कि इस तरह से वे गलत आंकड़े न दें जिससे कि आगे चल कर आप परेशान हों ।

मैंने अभी आरोप लगाया था कि आपने शिथिलता बरती क्योंकि राज्य सरकार ने सूखे की सहायता के रूप में केन्द्र सरकार से 1314 करोड़ रुपये की मांग की लेकिन लगाया, जिसमें काम करने वाले कामगरों की संख्या 1,27,729 प्रतिदिन की है, मैं केन्द्र ने आपको दिया केवल 142 करोड़ रुपया यदि आप ईमानदार थे तो आपको क्यों कम रुपया दिया गया और आपने इतने में ही सन्तोष कर लिया ? इस सहायता राशि में भी आपने विभिन्न जिलों को और विभागों को केवल 132.91 करोड़ रु0 ही अवमुक्त किया । वास्तविक आंकड़ों के हिसाब से एक्चुयली आप 22 प्रतिशत ही खर्च कर पाये हैं जनवरी तक । अब फरवरी, मार्च तक कैसे आप यह खर्च कर पायेंगे ? इसका मतलब है कि यह बाकी पैसा किसी की जेब में जायेगा ।

इसी तरह से आपने बाढ़ के लिये अनुदान मांगा था 186.96 करोड़ रु0 का, लेकिन आपको केन्द्र ने दिया केवल 20.49 करोड़ रुपया । आप कहते हैं कि आपने सूखे और बाढ़ की विभीषिका का मुकाबिला सही ढंग से कर लिया । जबकि 21 दिसम्बर, 1987 तक कुल जनपदों में कुल 9.99 करोड़ रुपये खर्च करके 79.47 लाख मानव दिवस सृजित किये गये जबकि जरूरत थी आपको हर रोज 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने की । वहां आपने 6 महीनों में कुल एक करोड़ मानव दिवस रोजगार नहीं सृजित कर पाये । उसके बाद आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने गम्भीरता के साथ सूखा का मुकाबिला किया है । प्रदेश में 57 जिलों में से 55 जिलों में सूखा है जिसमें 98,868 गांवों की 8 करोड़ 40 लाख 64 हजार आबादी सूखे से प्रभावित है । प्रदेश में खरीफ की फसल का कुल क्षेत्रफल 1 करोड़ 19 लाख 47 हजार हेक्टेयर है, जिसमें से 46 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल बिना बोया ही रह गया । 55 लाख 67 हजार हेक्टेयर की फसल सूखे से प्रभावित हो जाने के कारण से क्षतिग्रस्त हुई ।

डेढ़ करोड़ छोटी जोत वाले किसान परिवार और करीब 52 लाख खेतिहर मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं । और आपने पूरे प्रदेश में मात्र 5,371 परियोजनाओं पर काम लगाया, जिसमें काम करने वाले कामगरों की संख्या 1,27,729 प्रतिदिन की है, मैं इस संबंध में आपसे ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी इस प्रगति से संतुष्ट

है और यदि नहीं तो क्या इसको दूर करने के कोई प्रयास भी किये है और यदि नहीं किये है, या नहीं कर रहे है तो उसके कारण क्या है इसका कृपया बता दें ? साथ ही मान्यवर में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप भूमि सुधार के कानून को गम्भीरता से लागू करना चाहते है तो यह जो नम्बर दो का पैसा है, कमीशन का पैसा है, जिसे जमीनों को खरीदने में लगाया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए कोई न कोई तरीका अवश्य अपनाना पड़ेगा और मैं मान्यवर बिना किसी संकोच के स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार सारे भ्रष्टाचारों की गंगोत्री है, मैं मानता हूं कि राजनीतिज्ञ इसमें ज्यादा लिप्त नहीं परन्तु फिर भी यदि राजनीतिज्ञ दो पैसे की बेईमानी करेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए 20 पैसे का दरवाजा अवश्य खुल जायेगा क्योंकि इससे हमारी कार उनके सामने दबी रहेगी और यह भी सही है कि हमारा यदि एक राजनीतिक व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा तो इससे हजारों नौकरशाही का ऐसे अवसर प्रदान करेगा तो यह स्थिति है, इस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे है ।

इसी सदन के अंदर एक मामला अरबन सीलिंग का सामने आया, जिसमें 13 आई0 ए0 एस0 अफसर भी लिंक थे, लोक आयुक्त द्वारा उस मामले की जांच हुयी लेकिन उसमें आप क्या कर पाये, कुछ भी नहीं कर पाये, क्योंकि उसमें आपका एक मंत्री भी नत्थी था, जिसकी वजह से आपका 13 आई0 ए0 एस0 आफिसर्स को भी छोड़ना पड़ा और यही नहीं लोक आयुक्त जैसी संस्था भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं रही और अगर आपको भी , उसके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने के लिये अध्यादेश लाना पड़ा । आज अगर इस उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री 1.50 एकड़ से बढ़ाकर 3 एकड़ भूमि रखेगा तो दूसरों को इससे ज्यादा भूमि रखने का मौका मिलेगा । मैं यह बात एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं और इस भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं पायेंगे, इसलिए इन तमाम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि यह जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है जो उद्गम है दूसरे भ्रष्टाचार की, उसे रोकना पड़ेगा और इसे रोकने के लिए कानून में आपको संशोधन करने पड़ेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय राजस्व एवं संसदीय कार्य मंत्री जी से आशा करता हूं कि जब वह जवाब देंगे तो कम से कम जो मैंने सुझाव दिये है और जो लागू करने के लायक हों तो ईमानदारी से उन पर भी कहियेगा और जो किसानों के उत्पीड़न की कार्यवाही चल रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, यह कार्यवाही अब नहीं की जायेगी, राजस्व संहिता व अन्य जो बातें मैंने कहीं है, उन पर कांक्रीट सुझाव देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

चौधरी श्याम लाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठें, चौधरी साहब को हमने बुला लिया है ।

चौधरी श्याम लाल—

मान्यवर, आज देश की 80 फीसदी जनता की उत्पादन का साधन कृषि है और इस ओर वह घोर संघर्ष कर रही है और यदि 80 फीसदी जनता की सैकड़ों आवश्यकताएं जो उसके साथ जुड़ी हुयी है और यदि उसकी यह जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो उसका जो शारीरिक स्पाइनल कार्ड है, वह ठीक नहीं रहेगी और जब अगर स्पाइनल कार्ड ठीक नहीं है तो

बाडी पैरालाइज हो जायेगी । मान्यवर, जब जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम आया, तो उसका यह मंशा थी कि जमींदारी समाप्त होकर वास्तव में जो जमीन बचेगी वह खतिहर मजदूरों तक पहुंच सकेगी और आपने इस बात का प्राविधान भी एक्ट में किया कि जो जमींदारो से जमीन निकलेगी वह गांव सभा में चली जायेगी । और सवा छह एकड़ तक जमीन लैण्ड लेस लेबरर्स को एलाट की जायेगी । जमींदारी एबोलिशन एक्ट में उसकी धारा 198 में यह प्राविधान किया गया कि भूमिहीन कृषक मजदूरों को पट्टे दिये जायेंगे और शिक्षण संस्थाओं को जो बागवानी और कृषि से संबंधित हैं, उनको दी जायेगी । उसका नतीजा यह हुआ कि लम्बी जोते वाले लोगों के जो बालिग लड़के थे और भूमिहीन थे, उनको वह जमीन एलाट कर दी गयी, उनको पट्टा कर दिया गया और इस प्राविधान का यह रिजल्ट हुआ कि भूमिहोनों को जिनको वास्तव में जमीन मिलनी चाहिये थी, उनको नहीं मिली और जिनको नहीं मिलनी चाहिये थी, उनको मिल गयी । इस प्रकार से पात्र व्यक्तियों को जमीन नहीं मिल पायी । जब यह देखा गया कि पात्र व्यक्तियों को जमीन नहीं मिल रही है तो सन् 1962 में पट्टा कंसिलेशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला और फिर 1974 में यह व्यवस्था की गयी कि प्राथमिकता लिस्ट बनायी गयी, उसमें भी खिलवाड़ हुआ । आवंटन की कार्यवाही चल रही है । लेकिन आवंटन में क्वालिटी आफ लैंड में गड़बड़ी है । एक ग्राम सभा सरकिल में कुछ अच्छी जमीन है और कुछ ऊसर है । जो खराब जमीन है, वह हरिजनों को दी जाती है और अच्छी जमीन श्रेणी-ग वालों को दे दी जाती है । हमारी मंशा यह है कि जब तक कि 3 1/8 एकड़ तक हरिजन को जमीन न मिल जाये तब तक दूसरी श्रेणी के लोगों को जमीन न दी जाये । बुन्देलखण्ड में यह 4.68 एकड़ के बराबर होती है ।

मान्यवर, अफसोस की बात है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का कब्जा 3 1/6 एकड़ से कम है तो उसको असंक्रमणीय भूमिधर अधिकार दे दिये जायेंगे । लेकिन स्टेट की स्टैंडिंग राजस्व कमेटी में मैंने इसकी रेखा, लेकिन आज तक यह नहीं किया गया । उसका इम्पेक्ट क्या हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी क्या व्यवस्था है, इसके बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । मान्यवर, 122-बी के अन्तर्गत हरिजनों पर मुकदमें दायर किये जा रहे हैं और लम्बे-लम्बे जुर्माने हो रहे हैं, तो मान्यवर आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करें । शहरी अरबन जमींदारी विनाश कब का हो चुका है लेकिन हरिजनों को भूमि की मिल्कियत नहीं मिली है और न कब्जा ही मिला है, तो इस काम को बोर्ड आफ रेवेन्यू को करना चाहिये । मान्यवर, आप चक-बन्दी की बात करते हैं, अगर आपके मन में मदद करना नहीं है चकबन्दी में हरिजन आबादी के लिये जमीन सुरक्षित की जाती है और न उचित स्थान पर जमीन छोड़ी जाती है । उनके लिये भूमि खलिहानों के लिए सुरक्षित नहीं की जाती है । जहां भराव वाली जमीन होती है वहां पर छोड़ी जाती है, मरघटों पर जमीन छोड़ी जाती है । अगर आपको उन्हें जमीन देनी है, अगर आप उनका वेलफियर चाहते हैं तो जैसे भारत के संविधान में व्यवस्था है, आर्टिकिल 38 में उनके लिये जो व्यवस्था है उसके अनुसार उन्हें जमीन दें । अगर आपकी यह मंशा है कि हमगरीब, निर्बल वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण करें तो आप निर्देश कर दें कि उनके लिये उचित जगह पर जमीन छोड़ी जाय ।

आज यह हो रहा है कि जो हरिजन वित्त निगम आपने खोला है वह मरघटों पर जमीन देता है दुकानों के लिए । जो बड़ी-बड़ी जोत वाले सरमायेदार हैं वे चकबन्दी प्रक्रियाओं के ऊपर जाकर जमीन अपने नजदीकी लोगों के नाम करा देते हैं वे चकबन्दी अधिकारियों को प्रलोभन देकर आउट आफ कंसोलिडेशन करा लेते हैं । बाद में इक्विजिशन

की बात आती है । आप जोत सीमा अधिनियम की बात करते हैं । हम ही कालोनाइजर्स हैं, हम ही चरिटेबुल इन्डाउमेन्ट के मालिक हैं । यहां पर चार प्रकार के चोर हैं जो 70-70 एकड़ जमीन रखे हैं और यही परसनल लैंड के मालिक हैं । यह जमीन अलग-अलग बच्चों के नाम बंटी हुई है । एक लड़का राधा के मंदिर का मालिक है, एक लड़का कृष्ण के मंदिर का मालिक है, पत्नी परसनल लैंड की मालिक है, एक लड़का रामचन्द्र जी के मन्दिर का मालिक है । इस तरह से बड़ी जोत वाले लोग जमीन के मालिक हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम इन भूमि चोरों के ऊपर आप अंकुश लगायें, उनकी एक लिस्ट बना दें कि वे कौन-कौन से लोग जो शोषण कर रहे हैं । जब तक आप इनके लिये नियम नहीं बनायेंगे तब तक आपसे यह बात सम्भलने वाली नहीं है ।

आपके यहां जमीन की कई तरह की किस्में हैं । भूदान यज्ञ वाली जमीन का कोई प्रबन्ध नहीं है । नान-जेड ए0 जमीन है इन जमीनों का बन्दोबस्त अभी आपके पास नहीं है । भूदान की जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है । लेकिन आज यह हो रहा है जो कि अवैध है । इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए । यदि भूदान की भूमि का हस्तांतरण होता है तो उसको गांव सभा में आना चाहिए, आजतक ऐसा नहीं हुआ है । इसलिए ऐसी व्यवस्था कीजिए ऐसा लेजिस्लेशन बनायें जिससे वास्तव में लोगों को फायदा हो । कांग्रेस का एक इतिहास रहा है और वास्तव में भूमि सुधार की शुरुआत कांग्रेस की राष्ट्रीय नीतियों से हुई है । हमारी मंशा यह है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाय । ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि फायदा गरीब और निर्बल वर्ग को मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद फतेहपुर की कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, फतेहपुर गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ है । गंगा के कटान की वजह से फतेहपुर की जमीन उन्नाव चली गई और उन्नाव की जमीन फतेहपुर चली गई । कुछ वर्षों पूर्व परिषद् द्वारा आदेश हुए कि दोनों उन्नाव और फतेहपुर के जनपदों की सीमाओं में आने वाले गांवों के वितरण के लिए एक कमेटी बैठे जिसमें इलाहाबाद मंडल के कमिश्नर और उन्नाव के कमिश्नर तथा रायबरेली और कानपुर के जिलाधिकारियों की एक बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि जिन 8 गांवों को जो उन्नाव जनपद के हैं वह गंगा की कटान से पूरे के पूरे फतेहपुर की तरफ हैं । यही नहीं उन 8 गांवों के क्रिमिनल मामले थाना कल्याणपुर फतेहपुर में लगते हैं लेकिन जो दीवानी के मुकदमें होते हैं वह उन्नाव में लगते हैं । इसी तरह से वोटिंग के समय पोलिंग पार्टी उन्नाव से पूर्व और कानपुर होते हुये फतेहपुर चौड़ागरा जाती है । वहां आम समस्या आने जाने की हो गयी है । यह भी तय हुआ था कि 5 गांव फतेहपुर के रायबरेली में चले जायेंगे, जो चले भी गये जिनमें धुलीखेड़ा, धर्मपुर, बेनी खेड़ा आदि हैं लेकिन जिनको फतेहपुर आना था वह अभी तक हस्तांतरित नहीं हुए हैं । बेनी खेड़ा गांव के कुछ काश्तकारों के नाम जमीन उन्नाव में दर्ज है और वही जमीन फतेहपुर में भी उनके नाम है । तो इस प्रकार वहां विवाद पैदा हो गया है । कुछ कहते हैं कि यह जमीन हमारी है और दूसरे कहते हैं कि यह हमारी है । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक और समस्या की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बिंदकी तहसील में ग्राम माँहर, हरसिंहपुर जो जी0 टी0 रोड पर स्थित है वहां पर बड़ी मात्रा में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हो रही है । वहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं क्योंकि वह जिला उद्योग में शून्य घोषित है, इसलिये नये उद्योग लगाने में काफी छूट मिलती है । तो फैक्ट्री वाले जमीन लेते हैं उसमें वह खेती के नाम से लेते हैं लेकिन फैक्ट्री लगाते हैं । मोहार गांव में आर0 ए0 सीमेंट फैक्ट्री वालों ने 10 लाख रुपये की स्टैम्प की चोरी की है इसी प्रकार तमाम और केसेज हैं जिन्होंने 5, 10 लाख रुपये की स्टैम्प की चोरी की है जो रजिस्ट्रार और विभाग वालों से मिल कर करते हैं ।

हमारे यहां जहानाबाद एक कस्बा है वहां की जमीन बहुत कीमती है वहां के परगना अधिकारी बसंत लाल वर्मा ने एक लाख रुपये लेकर 10 लाख की जमीन दो तीन लोगों के नाम कर दी है । इस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे जनपद में ग्राम चक्की में यू0 पी0 एस0 आइ0 डी0 सी0 ने औद्योगिक एरिया बना दिया है । लेकिन जो जमीन का मुआवजा दिया जाता है वह 8, 10 हजार रुपया मात्र है जिससे किसानों में बहुत बड़ा असंतोष है और वह भुखमरी के कगार पर है । इस ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

कुछ और समस्यायें हैं । 1985 से पहले हमारे यहां मेरी तहसील में ग्राम गन-हरपी में कुछ हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों ने गांव समाज की जमीन पर अपने मकान बनाये थे लेकिन उन पर 115 का मुकदमा चल रहा है, वह मारे-मारे कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने पिछली बार सदन में घोषणा की थी कि 1985 से पहले जिन लोगों ने ऐसी जमीनों पर अपने घर बना लिये हैं, चाहे वह ग्राम समाज की जमीन हो या प्राइवेट ही क्यों न हो वह जमीन उनको ही दे दी जायेगी लेकिन आपके कर्मचारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों को दौड़ा रहे हैं । गांव समाज की यह जमीन ऐसी है जिस पर वह अपना जीवन निर्भर करते हैं उससे उनको निकाला नहीं जा सकता है लेकिन उसकी देख-रेख करने का काम वहां के गांव समाज का है । (लाल बत्ती होने पर) मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करता हूं । कुटिया परगना, बिंदकी तहसील में तीन गांव ऐसे हैं—रेवाडी, मलवा और रामपुर जिनकी सैकड़ों बाघे जमीन ग्राम समाज की थी जिसको पहले भूदान में हस्तांतरित किया गया और उससे अब लेकर कुछ लोगों ने पट्टा करा लिया है जो 400 बीघे जमीन है ग्राम समाज की तो मैं इसकी जांच की मांग करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो राजस्व बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसमें बहुत से सुझाव व्यवहारिक और बहुत से सुझाव अव्यवहारिक दिये हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को समाप्त कर दिया जाये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सबसे पुरानी संस्था है, इसकी अपनी एक पहिचान है, इसका एक स्थायित्व है । यह बोर्ड आफ रेवेन्यू टैक्स वसूली का काम करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और सुपरवाइज करता है । यह काम यह संस्था संतोषजनक ढंग से कर रही है, इसलिये इसको समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जहां पर बोर्ड आफ रेवेन्यू समाप्त किये गये हैं, जैसे तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश तो वहां की हालत अच्छी नहीं बल्कि खराब हुई है । मान्यवर, तमिलनाडु में तीन निदेशालय, स्थापित किये गये और उनका काम इस तरीके से नहीं है, जिसके तरीके से बोर्ड आफ रेवेन्यू करता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था । यही हालत आन्ध्र प्रदेश की है । मान्यवर, हर जगह सुधार की गुंजाइश है लेकिन उसको समाप्त कर दिया जाये और उसकी जगह पर बेहतर सब्स्टीट्यूट न आये तो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है ।

मान्यवर, उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि डाइरेक्ट्रेट कायम कर दिया जाये तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है । यह सारा काम बोर्ड आफ रेवेन्यू और उसके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी बराबर कर रहे हैं । जिस तरह रेलगाड़ी का डिब्बा बंधा रहता है उसी तरह से विभाग नीचे से ऊपर तक बंधा हुआ है । आज जरूरत इस बात की है कि इसमें अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए । इसलिये अलग से डाइरेक्ट्रेक्ट कायम करने की आवश्यकता नहीं है ।

मान्यवर, तीसरी बात उन्होंने कही कि एक पेशे के आधार पर भूमि रखी जाये और जमीन का सुधार एवं वितरण कायदे से होना चाहिए और जिस कदर जमीन के माध्यम से गरीबों का शोषण होता है वह कम होना चाहिए । मान्यवर, भारतवर्ष क्या सारी दुनिया एक समय में राजाओं, महाराजाओं, तालुकेदारों और बादशाहों के अधिकार में थी । डा0 स्मिथ के मुताबिक—''इंडियन कम्युनिटी हैज नो हिस्ट्री दैट कैन बी टोल्ड''—हिन्दी में है—''साधारण आदमी का कोई इतिहास नहीं है जिसकी चर्चा की जाये ।'' लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे समाज का विकास होता रहा और चीजों में परिवर्तन होता गया, तो सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में इसमें सुधार की दिशा में कदम उठाया गया और 1940 का टेनेन्सी एक्ट लागू हुआ, उसमें हेरेडेबिल्टी का राइट दिया गया कि टेनेन्ट्स का स्टेटस बेहतर हो जाये ।

मान्यवर, दूसरा कदम जमींदारी एबोलीशन का उठाया गया । 1 जलाई, 1952 को जब एक्ट लागू किया गया तो बड़े पैमाने पर टेनेन्ट्स को उठाना और पूरे अधिकार दिये गये एवं बिचौलियों को समाप्त किया गया । इसके बाद और एक्ट आये जैसे सीलिंग के एक्ट की यही मंशा थी कि जिनके पास बहुत जमीन है और शोषण करते हैं वह कम कर दी जाये और भूमि का बराबर वितरण किया जाये ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन कुदरत का उपहार है और उसको सभी को इस्तेमाल करने का अधिकार है । गांव में जिसके पास जमीन है उसकी इज्जत ज्यादा है । बजाए इसके जिनके पास जमीन नहीं है । इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जमीनों का वितरण लेजिस्लेशन के माध्यम से किया जाना चाहिये । मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस दिशा में सफलता मिले लेकिन जिस दशा में सफलता मिलनी चाहिए, उस दशा में नहीं मिली है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको रिवाइज करके, जिन्होंने जमीनों की चोरी की है, कानून को मैनूपुलेट करके अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है, जो न्यायालय में मामले पड़े हुए हैं, उन सबको आप एक्सपेंडाईट करने का प्रयास करें और जमीन को व्यवस्थित ढंग से वितरित करायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करिये । क्योंकि 2 बजे से दूसरा बजट लगा है । इसमें ज्यादा समय हमारे पास नहीं है ।

श्री फजलुल बारी—

दूसरा बजट श्रम विभाग है, उसके महत्व को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस बजट को कम से कम 2 के स्थान पर 3 बजे तक चलाया जाये तो 2 घंटे में वह निपट जायेगा ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं रेवेन्यू विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो सबसे बुनियादी काम है, सबसे बड़ा काम है, वह पड़ताल का काम होता है उसके माध्यम से जनता और सरकार नजदीक आती है । किन्तु इन दिनों यह काम बहुत कम हो गया है । यह बहुत कम हो गया है । फील्ड पर पड़ताल करने की प्रथा थी कराब-करोब समाप्त होती जा रही है । इसको रिस्टोर किया जाये । इसमें जो चेकिंग, मुआयने और इंस्पेक्शन की बात थी, यह सब कार्य अब नहीं होता है । इसको रिस्टोर करना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि होना यह चाहिए कि हल्के में ही पटवारी रहेगा, लेकिन वह हल्के में नहीं रहता है । इसी पटवारी की तरह अन्य दूसरे ग्राम स्तर के कर्मचारी भी, जिन्हें वहां रहना चाहिये, वहां नहीं रहते हैं । इसलिये आप एक क्लस्टर ऐसा बनायें किसी एक बड़े गांव में जहां पर उस गांव के और आस-पास 4-5 गांवों से संबंधित ग्राम स्तरीय कर्मचारी पटवारी और दूसरे फील्ड के कर्मचारी वहीं एक स्थान पर अनिवार्य रूप से नित्य रहें । आप वहां पर उनके लिए रेजीडेंस की व्यवस्था कर दें और उनके लिए डाकखाने और पुलिस चौकी आदि की भी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दें । इससे गांवों का अच्छी तरह से काम चलेगा और इन कर्मचारियों को सुरक्षा भी प्राप्त हो, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त एक बात यह और है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए । हमारे यहां आई0 ए0 एस0 अफसर को फील्ड टू फील्ड अपने को एसोसियेट करना चाहिए कि यह काम हो रहा है । उनकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए और मुकदमों के शीघ्र निवारण के लिए आप यह तय कर दें कि हफ्ते में 2-3 दिन इन-इन दिन एस0 डी0 ओ0 तहसीलदार अपने कोर्ट्स में बैठेंगे और मुकदमों की सुनवाई करेंगे, निर्णय करेंगे और उनके इस काम में दूसरे सेक्रेटरी और अन्य उच्च अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे कि किस कदर काम हो रहा है । कानून में चाहे चेंज की आवश्यकता हो, इसको किया जाना चाहिए । कानून में यह भी संशोधन करके जो सेकेण्ड अपील है, बहुत से रेफरेंश रिवीजन हैं उनको बन्द होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री उपसभापक्ष—

आपका बहुत समय हो गया है । (व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह—

इससे बहुत लाभ होगा, बहुत बड़ा विभाग है, ओल्ड विभाग है, इसमें बहुत सी कठिनाइयां आ गई हैं, साथ ही अन्य विभागों के बहुत से काम इसमें आ गये हैं, इन सबके बावजूद रेवेन्यू विभाग मोस्ट लायल विभाग है और सरकार के कार्यों के कार्यान्वयन में उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय, मैं रवीन्द्रनाथ तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि . . .

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जैसे ही यदुनाथ सिंह जी खड़े हुये बोलने के लिए, मंत्री जी चले गये ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

दो-तीन मंत्री बैठे हुए हैं ।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, इसमें आप व्यवस्था दें ।

माननीय यदुनाथ सिंह जी खड़े हुये और साजिश के तौर पर तुरन्त इनके मंत्री जी उठकर चले गये वह इनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं ।

श्री बाबूराम यादव—

गौरी शंकर जी की कोई अहमियत नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जो तिवारी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग जितना धोखा दे रहा है उतना कोई विभाग धोखा नहीं दे रहा है । हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी 56 विभाग अपने पास रखे हैं लेकिन किसी आई0 ए0 एस0 अधिकारी पर इनका कन्ट्रोल नहीं है और छप्पन छुरी इनके पास है । अभी श्री अम्मार रिजवी जी ने कहा टोडरमल के बारे में, तो राजा टोडरमल ने जो बन्दोबस्त अकबर के समय में किया था वैसा बन्दोबस्त भी वह नहीं कर पाये हैं । इनको पूरे प्रदेश को देखना चाहिये । काशी नरेश के बारे में कहना चाहूंगा उनकी हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कोई सीलिंग एक्ट नहीं लगा है । मिर्जापुर में बहुत से बड़े-बड़े लोगों के फार्म लगे हैं, पंडित लोकपति जी का भी फार्म लगा है जिसके ऊपर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू नहीं किया गया है । यह गरीबों का देश है । लोकतांत्रिक देश है । आप मान्यवर इतिहास को देखें कोई भी राजस्व का कानून 1886 का बना है । आज के जन-जीवन के उपयुक्त नहीं है ।

उत्तर प्रदेश की सरकार को 50 परसेन्ट से ऊपर आमदनी राजस्व से होती है लेकिन राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में किसानों को 15-15 दिन के लिये जेल में बन्द कर दिया जाता है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की उत्पीड़न की कार्यवाही को बन्द कराने की राजस्व मंत्री कृपा करें । मान्यवर, लेखपाल के बारे में कहना चाहूंगा कि लेखपाल से कलेक्टर तक सब बैठे हुए हैं जिनको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है । चुनार तहसील का स्वामित्व लेखपाल ने खत्म कर दिया है । खजरौल गांव से लेकर समरपुरा और उसके पास की जगहों का स्वामित्व खत्म कर दिया गया है लेखपाल अपने हल्के में नहीं रहता है ।कभी-कभी लेखपाल को खोजने में काफी समय लग जाता है । राजस्व परिषद् का गठन बहुत धोखाधड़ी का है । राजस्व परिषद् न होकर राजस्व डाइरेक्टर होना चाहिए ।

दैवी आपदाओं के बारे में कहना चाहूंगा जो सूखा पड़ता है बाढ़ आदि आती है उसमें ठीक तरह से राहत नहीं पहुंचाई जाती है । अभी मेरे क्षेत्र में मेरे सामने 25—30 भैंसे रोड एक्सीडेन्ट में मारी गई है, लेकिन पशुपालकों को कोई राहत नहीं दी गयी है । इसके अलावा कहना चाहूंगा कि बनारस में पाण्डेपुर है तथा और भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है । मध्यपुर सुकृत में चकबन्दी लागू नहीं की गई है । मिर्जापुर में कैमूर रेंज है वहां पर आदिवासी रहते है । 1978 के पहले से आदिवासी वहां रह रहे है यह लोग कोल और मैधा जाति के है बहुत से अधिकारी चले गये है लेकिन वहां पर सर्वे के नाम पर कोई चीज नहीं हुई है । आज वहां पर बड़ी-बड़ी परियोजनायें, जो 40-40 मेगावाट की है जैसे ओबरा, कनहर परियोजना, रिहन्ड, आनपारा, शक्तिनगर आदि लगायी जा रही है जिससे वहां की गरीब जनता आदिवासियों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है । वहां के जो कोल-भील और आदिवासी है उनकी प्राचीन संस्कृति नष्ट हो रही है । यह लोग जमीनें सन् 1978 के पहले से जोत रहे है लेकिन उनको भूमिधरी के अधिकार अभी नहीं दिये गये है ।

राजस्व की वसूली के मामले में मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर किसानों को 15-15 दिन के लिये बन्द कर दिया जाता है । 2 लाख खान मजदूर वहां पर काम कर रहा है । चुनार का पत्थर, लामाटिनियर जिससे बना है, विधान सभा, कलकत्ता का विक्टोरिया हाउस चुनार के पत्थर से बना हुआ है लेकिन इन खान मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है । पत्थर मजदूरों पर रायल्टी और राजस्व वसूली के नाम पर घोर उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन मजदूरों का उत्पीड़न बन्द किया जाय । इलाहाबाद और बनारस के बीच में मिर्जापुर में खान मजदूरों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है । अगर इसके जिम्मेदार माननीय राजस्व मंत्री जी है तो वह इस उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने का कष्ट करें ।

[समय 1 बजकर 16 मिनट]

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, अभी राजस्व मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत किया तो बहुत सारे बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है । लेकिन मैं कुछ चीजों पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं कहना चाहता हूं कि क्या राजस्व राज्य मंत्री जी कटौती के प्रस्ताव पर समापन भाषण कर रहे है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको इन्टरवीन करने का अधिकार है । वह अपना भाषण दे सकते है, उनके लिये समय दिया जा सकता है ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे तिवारी जी बोल रहे थे । वह हमारे बहुत विद्वान सदस्य है और वरिष्ठ भी है । आपने कहा कि सरकार सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस तरह से उपलब्धि होनी चाहिये थी वह नहीं हुयी

है । मैं आपका ध्यान कालिदास के एक श्लोक की तरफ ले जाना चाहता हूं । जिसमें विद्वान पुरुषों की ओर संकेत है—

"अनन्त रत्नप्रभवस्य यस्य
हिमं न सौभाग्य विलोपिजातम्
एकोहि दोषो गुण सन्निपाते,
निमज्जतीन्दोः किरणेष्वांकः ।"

कालिदास जी नें लिखा है कि हिमालय पहाड़, जिसकी गोद में अनन्त रत्न भरे पड़े है उसको भी दोष लगा देते है और कहते है कि उसका दोष यह है कि उसकी चोटियां बर्फ से ढ़की रहती है । हिमालय की चोटियों की बर्फ, गंगोत्री और यमुनोत्री की धारा के रूप में जीवन धरती पर न उतरे तो हमारी जीवनधारा सूख जाय । गुणों के समूह में एक दोष चन्द्रमा की किरणों में उसकी कालिमा की तरह लुप्त हो जाता है तो बहुत से कार्य किये गये है उनकी ओर दृष्टि रखें अगर उस चश्में से देखी जायगी तो जो कार्य किये गये है उनका ज्ञान होगा । जैसे गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है, यह दो दृष्टिकोण है । गिलास आधा भरा है यह दृष्टिकोण आशावादी है और गिलास आधा खाली है यह दृष्टिकोण निराशावादी है । काम कितने हुये नहीं है अगर उस पर नजर आयगी तो आप से उस खुर्दबीन से निकाल लेंगे । लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस दृष्टि से देखे कि हमने कितना प्रयास किया है तो उसके अनुरूप आपको हमारी उपलब्धियों का पता चलगा कि हमने क्या-क्या कार्य किये है ? तो मैं आपका ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित कर रहा हूं जिसमें आपने कहा कि सूखा-राहत के कार्य में जो कार्य किया गया है, वह 22 परसेन्ट ही कार्य किया गया है । हमारे पास जनवरी, 1988 तक के आंकड़े है । केन्द्र से प्राप्त सूखा सहायता तथा उसके उपभोग की स्थिति के बारे में मैं सदन को बता देना चाहता हूं । हमको केन्द्रीय सहायता की धनराशि 141 करोड़ 53 लाख मिली, 135 करोड़ 42 लाख की धनराशि वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त कर दी गई और उसके बाद जो धनराशि है वह 71 करोड़ 73 लाख प्रयुक्त हुई, जो कि पूरा का पूरा 51 प्रतिशत बनती है, जिसके बारे में आपने यह कह दिया कि 22 परसेन्ट ही कार्य किया गया ।

मैं यह सोच रहा था कि आप जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्य सही परसेन्टेज निकालेंगे, पशुपालन में केन्द्रीय सहायता की धनराशि 2.43 करोड़ मिली, वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 2.43 करोड़ और प्रयुक्त धनराशि 0.25 करोड़ जो कि 10 परसेंट होती है । इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए है । केन्द्रीय सहायता की धनराशि 1.01 करोड़ रु0, जिसे वित्त विभाग ने अवमुक्त कर दिया वह भी 1.01 करोड़ और प्रयुक्त धनराशि भी 1.01 करोड़, जो कि 100 परसेन्ट होता है । आपके हिसाब से 22 परसेन्ट एचीवमेन्ट कैसे हो गया । आपकी निगाह इसकी तरफ भी जानी चाहिये थी पेयजल की व्यवस्था के लिये शहरी क्षेत्र में 4.84 करोड़ केन्द्रीय सहायता मिली, वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 4.84 करोड़ और प्रयुक्त धनराशि 3.20 करोड़ और जिसका प्रतिशत 66 परसेन्ट होता है । ग्रामीण क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सहायता की धनराशि 8.70 करोड़, वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 8.70 करोड़ और प्रयुक्त धनराशि 6.85 करोड़, जिसका प्रतिशत 79 है । रिग्स तथा उपकरणों के क्रय में केन्द्रीय सहायता की धनराशि 0.53 करोड़, वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 0.53 करोड़, प्रयुक्त धनराशि 0.53 करोड़, जिसका प्रतिशत 100 होता है । कृषि निवेश सब्सिडी में केन्द्रीय सहायता की धनराशि 20.00 करोड़ वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 20.00 करोड़, प्रयुक्त धनराशि

6·33 करोड़ जो कि 32 परसेन्ट होता है । रोजगार सृजन के बारे में मैं बताना चाहता हूं । ग्राम्य विकास में केन्द्रीय सहायता की धनराशि 90·62 करोड़, वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 84·51 करोड़ प्रयुक्त धनराशि 43·45 करोड़ और परसेन्टेज 48 है ।

लघु सिंचाई में केन्द्रीय सहायता की धनराशि 10·00 करोड़ वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 10·00 करोड़, प्रयुक्त धनराशि 10·00 जो कि पूरा का पूरा 100 परसेन्ट बनता है । माननीय तिवारी जी की इस अंकणित को निकालने की आवश्यकता थी । मेरा अनुरोध है कि इसे पुनः जोड़कर तब औसत निकालियेगा । पौष्टिक आहार कार्यक्रम में केन्द्रीय सहायता की धनराशि 3·40 करोड़, वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि 3·40 करोड़, प्रयुक्त धनराशि 0·11 करोड़, जो कि 3 प्रतिशत होता है ।

रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने रोजगार सृजन के लिये प्राप्त रुपया 100·62 करोड़ की सहायता में से ग्राम्य विकास विभाग को आवंटित, रुपया 90·62 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष 15 फरवरी, 1988 तक विभागवार आवंटन एवं उसके उपभोग की स्थिति बताना चाहता हूं । ग्राम्य विकास विभाग में आवंटित धनराशि 29·20 करोड़ उपभोग की गयी धनराशि 20·91 करोड़ और सृजित मानव दिवस 170·25 लाख सिंचाई विभाग में आवंटित धनराशि 15·81 करोड़ रुपये उपभोग की गयी धनराशि 5·95 करोड़ रुपये, सृजित मानव दिवस 36·70 लाख । भूमि संरक्षण में आवंटित धनराशि 15·27 करोड़ रुपये उपभोग की गयी धनराशि 4·43 करोड़ रुपये, सृजित मानव दिवस 24·09 लाख । इसी तरह से सड़क निर्माण में आवंटित धनराशि 23·50 करोड़ रुपये उपभोग की गयी धनराशि 12·16 करोड़ और सृजित मानव दिवस 97·65 लाख । इस तरह से जब टोटल आप करियेगा, तो 84 करोड़ 51 लाख रुपये जो आवंटित हुआ, उसमें से 43·45 करोड़ रुपये का उपभोग कर लिया गया और सृजित मानव दिवस 328·69 लाख दिवस हुये हैं । मान्यवर लघु सिंचाई में भी आप देखेंगे कि लघु सिंचाई कार्यों हेतु क्षेत्रीय विकास विभाग को आवंटित 10 करोड़ रुपये की धनराशि का पूरा उपभोग दिसम्बर, 87 तक हो गया था और उससे 16670 निःशुल्क बोरिंग की गयी तथा 8 लाख 30 हजार मानव दिवसों का रोजगार का सृजन हुआ । कृषि निवेशों हेतु आवंटित 20 करोड़ की धनराशि का मैंने उल्लेख किया उसमें 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल है जिसमें अगैती आलू की फसल पर व्यय 90 लाख का हुआ है । दूसरी बात मैंने पौष्टिक आहार की कही, हमारी बख्शी दीदी जी बैठी हैं ।

(श्री विजय सिंह राणा द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान ।)

श्री उपाध्यक्ष—

राणा जी आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, आप देखियेगा कि पौष्टिक आहार कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग को आवंटित रुपये 3 करोड़ 40 लाख के सापेक्ष में रुपये 11 लाख का व्यय हुआ है और उसमें से 1 करोड़ 57 लाख 35 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है । इसी तरह से मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 में आप देखेंगे कुल वित्तीय लक्ष्य जो था 155·94 करोड़ रुपये का था और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 में 152·86 करोड़ का था । आप देखेंगे कि रोजगार उपलब्धि का प्रतिशत एन0 आर0 ई0 पी0 में 75 है और आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 में 65 प्रतिशत है । मान्यवर, मैं कुछ और बातों की तरफ माननीय तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, इस बार भयंकर सूखे के कारण जो संख्या प्रभावित हुई है वह 8 करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुई है और ग्रामों की संख्या एक लाख है । यह प्रान्त में

शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा रहा है । फसल की बुवाई न होने के कारण जो हानि हुई है वह 3 हजार करोड़ रुपये की है । कार्यवाही जो की गयी वह निजी नलकूपों को राजकीय नलकूपों को 10 से 12 घन्टे प्रतिदिन विद्युत् की आपूर्ति, 50 प्रतिशत से अधिक की हानि वाले क्षेत्रों में भू-राजस्व की अनुमन्य छूट तथा भू-राजस्व एवं अन्य कृषि देयों की वसूलियों में उत्पीड़क कार्यवाही का स्थगन किया गया है, जन सहयोग के लिए जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा न्याय पंचायत स्तर पर सूखा राहत समितियों का गठन हुआ है, वैकल्पिक तथा कम समय वाली फसलों को बोने के लिए किसानों को मार्गदर्शन एवं उन्हें प्रेरणा दी गयी है ।

सघन कार्यक्रम के रूप में व्यापक पैमाने पर गहरों की सफाई हुई है, राजकीय नलकूपों की गूलों की मरम्मत हुई है, अनुपयुक्त पम्पसेटों तथा मोटरों को बदलने की व्यवस्था की गयी है, लघु सीमान्त कृषकों के लिये नि:शुल्क बोरिंग तथा 65,000 बोरिंग के लक्ष्य की पूर्ति की गयी है, बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है, केन्द्रीय सरकार से 1,314 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए निवेदन किया, केन्द्रीय सरकार से 141·53 करोड़ रुपये की धनराशि की सहायता दी गयी है, रोजगार प्रधान योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि 100·62 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । एन0 आई0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है, लघु सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान 20 करोड़ के अन्तर्गत 40 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि निवेश सब्सीडी दी गयी है । 10,000 के ऊपर समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल की व्यवस्था की गयी है जिसमें 35,000 हैण्ड पम्प लगाये गये । अब इससे ज्यादा और क्या उपलब्धि की आशा करते हैं । निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को नि:शुल्क खाद्यान्न एवं वस्त्र का वितरण किया गया है । इसके अन्तर्गत प्रतिमाह 10 कि0 ग्रा0 खाद्यान्न तथा वर्ष में एक बार 50 रुपये तक के मूल्य के वस्त्र नि:शुल्क दिये गये हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जिसका ध्यान गरीबों की तरफ गया है । कृष्ण और सुदामा की स्थिति जैसी थी जब द्वारपाल जाता है तो कैसी स्थिति होती है सुदामा की, तो मान्यवर, वीर बहादुर सिंह की सरकार ने ध्यान दिया है उसी तरह से गरीबों के ऊपर बेसहारा स्कीम चलाकर । तो मान्यवर, सुदामा के बारे में बताना चाहता हूं—उनकी पत्नी कहती है कि—

कोदों, सवां जुरतो भरिपेट, तो चाहति न दधि दूध मिठौती ।
शीत वितीत भयो सिसियातहिं, हौं हठीकै यों न हठौती ।।
जो जनती न हितू हरि सों, तुम्हें काहे को द्वारिका ठेलि पठौती ।
या घरसे न गयों कबहूं पिय, टूटो तवौ अरु फूटी कठौती ।।

तो न तो इस फूटे कठौते में आटा माड़ा जायेगा और टूटे तवा पर रोटी बनेगी, ऐसी यह बेसहारा योजना लागू की गयी है ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

इसी तरह से मान्यवर, आप देखें कि द्वारपाल वर्णन करता है कि सुदामा जी कैसे आये हैं ?

सीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे केहि ग्रामा ।
धोती फटी सीलटी दुपटी अरु, पाय उपानह की नहि सामा ।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा ।
पूंछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा ।।"

मान्यवर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पगा नहीं शीश में झगा नहीं ऐसे व्यक्ति के लिये वीर बहादुर सिंह की सरकार ने एक वर्ष में 50 रुपये का कपड़ा उपलब्ध कराया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसकी सराहना की जानी चाहिये। मान्यवर, अभी उल्लेख किया गया कि जाने माने रावतजी जैसे अधिकारी गजेटियर का काम कर रहे हैं।

शासन की संवेदनशीलता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को उसमें जोड़ा गया है। हम देखेंगे कि गांव के गरीब में खुशहाली आए, उसके चेहरे चमक उठें और उन पर विश्वास को रेखा आए। तब हम समझेंगे कि खुशहाली आयी। मान्यवर, माननीय सदस्यगण बार-बार खड़े हो रहे हैं। मान्यवर, हम एक-एक व्यक्ति की समस्या से जूझेंगे, एक-एक समस्या का निदान करेंगे। हमारी जो उपलब्धियां हैं, माननीय राजस्व मंत्री ने जिनका उल्लेख किया है, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं उन्होंने जो टोडरमल इन्स्टीट्यूट का जिक्र किया उसमें उत्तर प्रदेश के ही नहीं बाहर के अधिकारी आई0 ए0 एस0 और अन्य बाहर के अधिकारी भी ट्रेनिंग प्राप्त करने आ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लिये मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। इस पर आपके द्वारा मेंजे थप-थपाई जानी चाहिये थीं और उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की जानी चाहिये थी। अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमारी मंशा देखें, हम क्या करना चाहते हैं, यह देखें। "गच्छन् पिपीलिको याति, योजनानां शतान्यपि, अगच्छान् वेनतेयोपि, पदमेक न गच्छति।" यानि कि चलते हुए चींटी 400 कोस जा सकती है, लेकिन न चलते हुए गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। हम चलते हुए चींटी की तरह अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। हम किंकर्तव्यविमूढ़ होकर नहीं बैठना चाहते। उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम गांव-गांव में पहुंच जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यगण से कहूंगा कि वे अपने चश्मे को बदलें फिर देखें उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी के बजट को बल देता हूं।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैंने राजस्व विभाग की अनुदानों की मांगों पर दो माननीय राजस्व मंत्री जी के भाषण सुने। पहले राजस्व मंत्री जी ने कमियों को स्वीकार किया और सुझावों को आमंत्रित किया। दूसरे माननीय राजस्व मंत्री ने अपना भाषण कविता, नारे आदि जोड़ कर सारी कमियों को छिपाने का बड़ा ही असफल प्रयत्न किया है। मैं समझता था कि माननीय राजस्व मंत्री जो दूसरे आए हुए हैं, कुछ मतलब की बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने वह सारी बातें कहीं जो चौराहों पर, सड़कों पर हम भी बोल देते हैं। सदन इसके लिये नहीं बना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ध्यान दें और अंतरमुखी होकर मेरी इन बातों को सुनने की कृपा करें। खासकर मैं माननीय राज्य मंत्री राजस्व से निवेदन करता हूं, आप सुनें, आपने कहा कि सूखा राहत में यह वह दिया गया, बड़ी-बड़ी बातें कहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी यह नहीं बताया कि जो पैसा दिया गया, वह गया कहां ? आज आप प्रदेश की स्थिति को देख लें, कहां कितना सूखा में काम हुआ है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि दोनों माननीय मंत्री जी सुन लें। आप किसी जिले को चुन लें और वहां की स्थिति दिखवा लें कि वहां कितना पैसा गया और उसके संदर्भ में क्या-क्या काम हुए ? आपके सामने वस्तुस्थिति आ जायेगी। आप उसके बाद देख लेंगे कि आपका सारा अलाप बेकार ठहरेगा। आपने ऐसे समय में न लगान माफ किया और न छात्रों की फीस माफी की। मैं दूसरे नम्बर के माननीय राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के 57 जिलों में से, किसी जिलें में चले जायं, आप स्वयं देखेंगे कि वहां की तहसील की हवालात भेड़ बकरियों की तरह लोगों से भरी हुई हैं, जिन्होंने लगान नहीं दिया, उन्हें बन्द कर दिया गया

(शेम--शेम की आवाजें)

है । पिछली खरीफ भी यह लगान मुलतवी की गयी थी जुलाई, 1987 से लेकर जनवरी 1988 तक । मैं दोनों माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि फरवरी 1988 में कौन सी फसल आ जाने वाली थी जो लगान का चुकता करा देती । फरवरी में तो चिड़िया, भेड़, कत्ते, बकरी-जानवर भी भूखों मरते हैं । जिसने आपका लगाने अदा नहीं किया उसे तहसील की हवालातों में भरा गया । यही आपकी नीति है, यही आपकी दृष्टिकोण है ? सूखा राहत में फिर कौन सा काम इस सरकार ने किया । मान्यवर, बस्ती जनपद की बांसी तहसील में जागरगठिया गांव में 5 मार्च को आग लग गयी, उसमें आठ घर तबाह हो गये, न वहां लोगों के पास अन्न है, न कपड़ा है, न पैसा है । इसी तरह से बांसी तहसील का ही मझारी गांव जल गया, कोई सहायता वहां नहीं पहुंचाई गयी इस सरकार की ओर से । मान्यवर, केवल 100—200 और 400 रुपये की सहायता की बात की जाती है, मान्यवर, आज की स्थिति में एक छप्पर का 5 कमरे का मकान भी 10-10 हजार में बनता है । इस 200—400 रुपये की सहायता से न वे अन्न खरीद पायेंगे, न वस्त्र खरीद पायेंगे और न मकान बना पायेंगे । जागरगठिया और मझारी गांव में जो आग लगी, न खाना न वस्त्र और न कोई दूसरी सहायता वहां पहुंचायी गयी ।

मान्यवर, मैं आशा करता था पहले माननीय मंत्री जी से कि वह ऐलान करेंगे कि तहसील की हवालात में जो लोग बन्द पड़े हुए हैं, सरकारी देयों की वजह से, उनको छोड़ा जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया । जनवरी 1988 में सारे खरीफ की लगान सूखाकाल को देखते हुए माफ कर दी जाय ।

(इस समय 1 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, बस दो मिनट और लूंगा । मान्यवर, चकबन्दी पर बड़ा अलाप लगाया गया कि सब जगह चकबन्दी करवा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र, श्रद्धेय पंत जी का पूरा इलाका पड़ा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र में आज तक चकबन्दी नहीं हुई है । आप घोषणा करते हैं कि श्रद्धेय पंत जी के सारे पर्वतीय क्षेत्र में तत्काल चकबन्दी करवायी जायेगी । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां हैं । दोनों नदियों के बायें-दायें दोनों ओर के इलाकों की चकबन्दी नहीं हुई । मुझे भी इस संबंध में लिखते-लिखते तीन साल हो गये हैं लेकिन शायद आपको तो किसानों को परेशान करने में ही मजा आता है । राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों के दोनों ओर बांध बन गया, गांवों की चकबन्दी नहीं हुई वहां चकबन्दी करवायी जाय । मैं जानना चाहता हूं कि मुझे लिखते-लिखते तीन वर्ष बीत गये हैं, आज तक यह चकबन्दी किन कारणों से नहीं करायी गयी ? जहां चकबन्दी प्रक्रिया पूरी हुई, तो वहां का बस्ता भी राजस्व विभाग को नहीं गया । गांव की निशानदेही नहीं हुई है । बांसी तहसील के बेलवनवा गांव में निशानदेही नहीं हुई है, वहां फौजदारी हो रही है, मुकदमें चल रहे हैं । इसके साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बांसी तहसील में ही बनौली गांव है, सारे के सारे कागज राजस्व विभाग को नहीं गये । मान्यवर, पहले पत्थर लगता था, गांव-गांव के बीच सीमांकन होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पत्थर लगाने का काम हट गया है । मान्यवर, नदियां रास्ता बदलती रहती हैं, राप्ती ने रास्ता बदला । बांसी तहसील में डुमरियाबुजुर्ग की भूमि छूटी । लेकिन, सात साल गुजर गये, उस गांव की जमीन बाहर निकल आयी, लेकिन डुमरियाबुजुर्ग गांव की पैमाइश आज तक नहीं हुई । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी भी पिछले कई सालों से लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है इस सरकार का उस तरफ । मान्यवर, यहां सदन में यह अलाप लगाते हैं, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन मौके पर कहीं

कुछ नहीं है । जिससे लगे कि यह सरकार कोई काम कर रही है । मान्यवर, गांव की आबादी का बन्दोबस्त नहीं हुआ ।

मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में 6 तहसीलों में लगभग 35 हजार मुकदमें 115-सी के विवादास्पद विचाराधीन है । मान्यवर, सारे उत्तर प्रदेश में लाखों लाख किसान है जिसको यह परेशान कर रहे हैं । मंत्री जी को उन्हें दौड़ाने में मजा आता है । हर 15 दिन के बाद उनकी तारीख पड़ती है, वह दौड़ कर जाते हैं और फिर उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता । मान्यवर, यह सरकार उन मामलों को मौके की पैमाइश से निपटाने के आदेश क्यों नहीं देती है । मान्यवर, आज जोत बनाना भी बन्द कर दिया गया और अगर यह जोत बही बनाने के काम को जारी रहने देते तो किसानों की सारी परेशानी रफा हो जाती । मान्यवर, इसी तरह खतौनी में लेखपाल इन्द्राज करता है, मान्यवर, उसको अगर दो प्रति हो, एक तहसील में रहे तो लेखपाल की जो मनमानी आज चल रही है वह न चल पाती ।

इसी तरह से मान्यवर, अनुदान संख्या 62 में विधान मंडल सचिवालय के कर्मचारियों के लिये आपने पैसा मांगा है । मान्यवर, आपने भी स्वीकार किया था कि शासन के सचिवालय और विधान मण्डल के जो कर्मचारी हैं, दोनों का वेतन का उच्चीकरण समान कर दिया जायेगा । यह काम आज तक नहीं हुआ । यहां पर रिपोर्टर्स बैठे हैं, इनमें सेलेक्शन ग्रेड के भी रिपोर्टर्स हैं । मान्यवर, जो शासन का शासनादेश है, उसमें इस संवर्ग का कोई स्थान नहीं है इनको अनुभाग अधिकारी के समकक्ष माना गया है । वही वेतनमान इनको मिलना चाहिए । इसके साथ-साथ मान्यवर, आज तक कर्जों की माफी की घोषणा नहीं हुई । मुझे उम्मीद थी कि इस बजट के अवसर पर 20 हजार तक के कर्जों की माफी की घोषणा कर दी जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आज जितने भी लोग हवालात में बन्द हैं, उनको तत्काल छोड़े जाने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश में किसानों की समस्यायें हैं और राजस्व विभाग निश्चित रूप से अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । मान्यवर, एक मुश्किल के साथ मैं इस बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । संस्कृत में एक श्लोक है कि

"नरपति हित कर्तां द्वेषितां याति लोके,
जनपद हित कर्ता त्यज्यते प्राथिवेन्दै,
इति महति विरोधे वर्तमाने समाने,
नृपति जनपदा नाम दुलभः कार्यकर्ता ।"

मान्यवर, इसका अर्थ है कि एक ओर सत्ता पक्ष है जिसका काम है समर्थन करना । दूसरी तरफ विरोध पक्ष जो जनता की बात करेंगे । मैं अपना धर्म समझता हूं कि जनता की बात मैं करूं और उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं । यह विरोधाभास है इन दोनों कार्यों में, लेकिन फिर भी जनता को तथ्य प्रस्तुत करना आवश्यक है । हमारे विद्वान राजस्व मंत्री जी ने, जो हमारे मित्र भी हैं, बजट प्रस्तुत करते समय अनेकानेक बातों की चर्चा की है । उन्होंने और राज्य मंत्री जी ने भी तमाम आकड़े अपने श्लोकों के साथ यहां पर प्रस्तुत किये । यदि आकड़ों का हम यहां विश्लेषण करें तो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि यहां से जो धन निर्गत किया गया है वह धन का उपयोग आज

तक केवल 51 प्रतिशत ही हो सका है, जबकि आज इस महीने में केवल 20 दिन बाकी है और 51 प्रतिशत खर्च वह बता रहे हैं । इसी तरह पेयजल स्थिति के विषय में उन्होंने कहा कि 66 प्रतिशत खर्चा हुआ है, इनके आकड़ों के हिसाब से । मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी स्वयं मौके पर जाकर गांवों में देखें तो वह महसूस करेंगे कि वास्तव में 66 प्रतिशत न होकर केवल 32 प्रतिशत या 30 प्रतिशत से भी नीचे खर्चा हुआ है । इस तरह से ग्राम विकास विभाग पर 48 प्रतिशत खर्च होने की बात कही गयी है, जो भी वास्तविकता से परे है । मान्यवर, आंकड़ों के जाल से न हमको मतलब है और न जनता को मतलब है । गांवों में जो लोग रहते हैं, वे चाहते हैं कि उन गांवों में सड़कें बनें और जो हैण्ड पाइप लगे हुए हैं, वे पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं ।

मान्यवर, लगातार हमारे जनपद के प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि पुरवा तहसील बहुत बड़ी है उन्नाव की । इसमें एक तहसील बनाई जाय । पुरवा तहसील को तोड़कर दूसरी तहसील की व्यवस्था इस तरह से की जाय, जिससे सारा कार्य संचालित हो । एक ओर तो लखनऊ का बार्डर लगा हुआ है और दूसरा ओर कानपुर व फतेहपुर बार्डर है । इसलिए हमारी मांग है कि पुरवा तहसील को तोड़कर एक और नई तहसील उसमें बनाई जाय । हदबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । फतेहपुर के किनारे, कानपुर के किनारे उन्नाव की जमीन इस तरह से गई है, इसलिए इसकी सीमा का फिर से निर्धारण किया जाय, जिससे किसानों को परेशानी न हो ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक तथ्य और रखना चाहता हूं । जहां तक मुझे जानकारी मिली है 199 करोड़ रुपये की कटौती की गई है वार्षिक योजना में, दूसरी तरह सूखे के नाम पर आया है मात्र 142 करोड़ रुपया । यदि सूखे के नाम पर रुपये नहीं भी आते तो हमारी वार्षिक योजना में काफी कुछ काम तो होता ही । सूखे के नाम पर कच्ची सड़कें बनाने का काम हो रहा है, उनमें न तो पुल बनना है और न पुलिया बननी है । वह भी जो 142 करोड़ रुपये की धनराशि जिलों में पहुंची है, उसके बारे में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, मैं इस संबंध में सुन्दरकाण्ड की एक चौपाई कहना चाहता हूं—"सचिव, वैद्य, गुरु तीन प्रिय बोलहियमय आस, राज्य धर्म तनु तीन का बेगि होइहि नाश ।" यह उचित नहीं है । जो सत्य है, जो धरती पर है, सामने दिखाई पड़ रहा है उसे कागज पर, झूठे आंकड़ों के आधार पर, अखबार की झूठी बयानों के आधार पर उसे परिवर्तित मत कीजिए । हमारे राजस्व मंत्री जी बहुत ही विद्वान साथी हैं, उन्हें इस पर नये सिरे से विचार करना चाहिए ।

एक बात और है हमारे क्षेत्र उन्नाव तहसील में चकबन्दी चलाई जा रही है । वहां पर इसमें भ्रष्टाचार की अनवरत शिकायतें हमारे पास आ रही हैं । उन शिकायतों पर हम बार-बार जिलाधिकारी व मुख्य मंत्री जी को लिख रहे हैं, लेकिन मुझे खेद है कि उन शिकायतों के बावजूद अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, राजस्व राज्य मंत्री जी के लिए मेरा एक शेर है । "बादल भी है, बिजली भी है, वर्षा भी है सामने, मेरी प्यास वैसी है जैसे दी थी राम ने ।"

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 7 समुन्दर जैसा तो इनका पेट है, इनकी प्यास तो ऐसी ही रहेगी ।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । परम्परा यह रही है कि किसी भी मसले पर एक सदस्य इधर से बोलते हैं और एक सदस्य उधर से बोलते हैं । श्री बाजपेई जी भी बोले और उधर से भी एक सदस्य बोले क्या कटौती के प्रस्ताव पर उधर के लोगों को ही बुलवायेंगे, क्या इधर से भी बजट पर बुलवायेंगे कि नहीं ? बाजपेयी जी "हां" कहेंगे या "ना" कहेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय बाजपेयी जी, कांग्रेस की सूची में है या नहीं, इसकी व्यवस्था दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके बैठ जायं ।

माननीया साहनी जी ने दो बातें उठायीं । एक बात तो यह कि परिपाटी का पालन किया जाना चाहिये, एक सदस्य उधर से बोलें और एक सदस्य इधर से बोलें । जहां तक मैं समझता हूं कि परिपाटी का पालन किया है अभी तक, जो सूची है, माननीय बाजपेयी जी का नाम कांग्रेस की सूची में दिया गया है । जहां तक "हां" और "ना" का सवाल है, जब प्रश्न उपस्थित होगा तब पता चलेगा कौन "हां" में है कौन "ना" में है ।

*श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, एक पुरानी कहावत है "दिया तले अंधेरा" । इस बजट के संबंध में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जिस जिले के हैं वहां पर उक्त कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है, उसको मैं बताना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखते समय माननीय तिवारी जी ने कहा था कि उनके पास 1.58 एकड़ जमीन है, जो उनको उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है । मैं बताना चाहता हूं कि उनको कुल .53 एकड़ जमीन उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है । उनकी पैतृक जमीन का कुल योग 1.58 एकड़ था । लेकिन उनके [× ×] ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । किसी माननीय सदस्य के बारे में किसी तरह का आरोप जब सन्दर्भित किया जाय तो उसकी प्रतिलिपि या आरोप-पत्र होना चाहिये । जिस तरह का आरोप लगाया गया है, इस तरह की कोई चीज गलत है, यह संसदीय भी नहीं है, इसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान ।)

श्री अधिष्ठाता—

आप शान्त रहें तो मैं अपनी व्यवस्था दूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हर्ष वर्धन—

मैं चुनौती देता हूं कि आरोप की जांच करा लें नहीं साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप चुनौती अवश्य दें, लेकिन भाषण में जो कुछ कहा गया है वह संसदीय है या नहीं यह देखना मेरा काम है । अगर उसमें कोई बात असंसदीय होगी तो निकाल दी जायगी ।

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, इसी प्रकार खजनी तहसील का गठन किया गया । खजनी बड़ा पुराना कस्बा है । उस कस्बे में या उसके आस-पास तहसील मुख्यालय न बनाकर उसे खजनी से दूर 7 कि0 मी0 दूर हरनहीं में, जो माननीय वीर बहादुर जी का गांव है, वहां बनाया जा रहा है ताकि उनकी जमीन की कीमत बढ़ सके और इनके गांव का वैभव बढ़ सके । यह सरकारी साधनों का दुरुपयोग है ।

नौतनवां एक नई तहसील बनायी गयी है । उसका तहसील मुख्यालय अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से एक-डेढ़ कि0मी0 पर बनाया जा रहा है, जो अदूरदर्शितापूर्ण कदम है । नौतनवां तहसील का गठन तो ठीक है, लेकिन उसका तहसील हेड क्वार्टर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से कम से कम 5-6 कि0मी0 दूर बनवाने की कृपा करें ।

नौतनवां तहसील में दो विकास खण्डों का समावेश किया गया नौतनवां और लक्ष्मीपुर । इसके साथ ही न्याय पंचायत छिरोली, पुरन्दरपुर, समरधीरा, सिंगपुर यहां से लोगों को चालीस-चालीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसके अलावा दूसरी तरफ से लोगों को फरेंदा तहसील तक आना पड़ता है जिसकी भी दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, इसलिए मेरी मांग है कि खजनी तहसील में भी न्याय पंचायत बना दी जाय और यह बीच की दूरी को ऐसा करके समाप्त किया जाय । साथ ही वहां एक चकदर गांव है जिसमें टोला कोमर है जो कि फरेंदा ही तहसील के अन्तर्गत पड़ता है, वह टोला सदैव बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसे अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जाय और इसके लिये कहीं अन्यत्र भूमि अधिगृहीत की जाय ।

भूमि अधिग्रहण के संबंध में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग द्वारा जो भूमि अधिगृहीत की जाती है उसका मुआविजा किसानों को दिये जाने में बहुत विलम्ब होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लोगों को मुआविजा जल्दी दिलाने के संबंध में शासन की कोई नीति निर्धारित की जाय जिससे कि लोगों को अपनी भूमि का तत्काल मुआविजा मिल जाया करे और इतनी भी भूमि उसकी न ले ली जाय कि वह किसान भूमिहीन हो जाय ।

गोरखपुर में बांसगांव तहसील का जो बंटवारा हुआ है, मेरा निवेदन है कि उस पर पुनर्विचार किया जाय । बस इतनी ही बात कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माननीय राजस्व मंत्री, श्री अम्मार रिजवी द्वारा प्रस्तुत राजस्व के बजट पर बोलने का अवसर दिया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूखा के बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा कि उनके विभाग के द्वारा इस संबंध में काफी व्यवस्था की जा रही है । मैं पर्वतीय क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में, जो भी कार्यवाही सूखे के लिए मैदानी क्षेत्र में की गयी है, वहां का भौगोलिक स्थिति विषम होने के कारण सहायता का लाभ नहीं हो पा रहा है । मैदानी क्षेत्र की और पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भिन्न-भिन्न है, दोनों में अन्तर है इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के लिये जो नीति निर्धारित की जाय, जो योजनायें बनायी जायं वह वहां के अनरूप हों ।

पहाड़ों के लिये सूखा को देखते हुए जैसे आपने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 5-5 नलकूप लगाने की व्यवस्था की है उसके एवज में पर्वतीय क्षेत्र की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है और न किया गया है । अभी जैसा कि माननीय हरीश जी कह रहे थे, वे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्र की भूमि के लिए आप चकबन्दी लागू कीजिये । क्योंकि वहां की भूमि छिटकी-छिटकी है जिसके कारण वहां के लोग उद्यान नहीं लगा सकते है, अपनी फसल की एक साथ रखवाली नहीं कर सकते है । यदि आप चक बना देंगे तो सुविधा हो जायेगी । मैं आमंत्रित करता हूं कि चक बनाने की शुरुआत आप हमारे ही चुनाव क्षेत्र से कीजिये ताकि वहां के लोगों को पता चले कि यहां भी भूमि संबंधी कोई परिवर्तन किया जा सकता है ।

पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मेरा निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को सही माने में लाभ हो इसके लिये आप इसे सूखा राहत देने में सबसे पहले विद्यार्थियों की फीस को माफ करें, चाहे इसके लिये आपकी पर्वतीय विकास के बजट से ही यह वहन करना पड़े । मेरे क्षेत्र रानीखेत में बड़ी विषम परिस्थिति है, वह क्षेत्र बहुत ही विषम है, वहां सैनिक छावनी है और इसीलिए वहां का एस0 डी 0एम0 हमेशा आई0 ए0 एस0 अधिकारी ही भेजा जाता है । वहां की विषमता को देखते हुए वहां के महत्व को देखते हुए वहां आई0 ए0 एस0 अधिकारी ही एस0 डी0 एम0 बन कर जाता है ।

उसकी स्थिति और महत्ता को देखते हुए रानीखेत को अल्मोड़ा से एक अलग जिला घोषित किया जाये, जिससे वहां पर हर प्रकार की विकास व उन्नति सम्भव हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं मा0 राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री पारसनाथ यादव—

मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, राजस्व विभाग का किसान से सीधा संबंध है । और मा0 राजस्व मंत्री ने अपने बजट को प्रस्तुत करते समय यह कहा कि हम अपने काश्तकारों को जमीनों की चकबन्दी करा कर सीधा लाभ पहुंचाना चाहते हैं, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि हमारा लक्ष्य कितना था और अब तक उसे कितना पूरा कर चुके हैं ? साथ ही मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले उन्हें यह भी देख लेना चाहिए था कि यह चकबन्दी का काम गांवों में चल भी रहा है या नहीं । मैं मान्यवर अपने जनपद जौनपुर की ओर मा0 मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जहां पर बीसों साल से चकबन्दी चल रही है, परन्तु आज भी ऐसे तमाम

गांव हैं, जहां पर आज तक चकबन्दी नहीं हो सकी है । हमारी तहसील मड़ियांव के अन्तर्गत ही गांव कोरो, ढनिकट तथा पुरसवा आदि हैं, जहां चकबन्दी नहीं हुई हैं,; मान्यवर, यह कैसा भ्रष्टाचार है और वहां पर जो लेखपाल व अन्य कर्मचारी हैं, वहां की बची हुई जो जमीन को, बड़े लोग सब अपने-अपने नाम दर्ज करा रहे है । साथ ही इन कर्मचारियों ने वहां पर फर्जी रिपोर्ट दे दी कि यहां पर अब कोई काम शेष नहीं है, जिससे वहां का स्टाफ भी हटा लिया गया, यह सारा अत्याचार हो रहे है तो मान्यवर, इस ओर आप देखें और कुछ ऐसी व्यवस्था करा दें कि जो लोग वहां पर काफी समय से रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं, वह जमीन उन्हीं को दी जाये । साथ ही मान्यवर, दूसरे स्तर पर जिन किसानों के 122-बी व 115-बी के अन्तर्गत मुकदमे काफी अरसे से पड़े हुए हैं, तहसील मड़ियांव में कोई भी अधिकारी बैठता नहीं है, न लेखपाल, न तहसीलदार और न कानूनगो । सभी फर्जी कार्य करते फिर रहे हैं, कोई भी कार्यालय में समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि राजस्व कर्मचारी कम से कम हमारे यहां ठीक काम कर सकें ।

साथ ही मान्यवर, सूखे पर जो धन आपने दिया है, कृपया इसे भी दिखवा लें कि उनका उपयोग ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं । मानव दिवस सृजन की बात कही जाती है इस ओर भी कृपया देख लें कि कितने मजदूरों को काम पर मस्टर रोल पर लगाया गया है और कितनों को नहीं लगाया गया है और सूखा राहत कार्यों में आपने जो भी धन दिया है, वह सब अधिकारी व कर्मचारी मिल कर खा गये और ठेकेदारी प्रथा द्वारा सड़कों का व नहरों की सफाई का कार्य कराया गया है, मस्टर रोल द्वारा नहीं कराया गया है और जो भी कार्य खाद्यान्न के रूप में कराये गये हैं, वह खाद्यान्न भी सब आपस में बांट लीजिये । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह कृपया हमारे यहां के समस्त मामलों की जांच करायें और इसमें जो भी दोषी पाया जाय, उसे दंडित करने की कृपा करें । तीसरी बात मैं आपसे और आग्रह करना चाहता हूं रजिस्ट्रार आफिस में जितनी धांधली हो रही है, उतनी और कहीं नहीं हो रही है । जो लोग पहुंच के हैं या जो लोग सुविधा शुल्क दे देते हैं, उनकी अच्छी किस्म की जमीन, सड़क के किनारे की जमीन की रजिस्ट्री कम दर पर हो जाती है और जो लोग सुविधा शुल्क नहीं दे पाते हैं, उनसे बड़ी रकम ली जाती है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी जमीन नहर या अन्य किसी सार्वजनिक कार्य में अधिग्रहीत कर ली जाती है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है और अगर दिया भी जाता है, तो बहुत कम रेट पर दिया जाता है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बाबू सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री, डा0 अम्मार रिजवी साहेब द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनेकों लाभकारी घोषणायें की हैं और उसके साथ ही साथ हमारे राज्य राजस्व मंत्री जी ने उसमें चार चांद लगा दिये हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारी सरकार गरीबों के लिये, किसानों के लिये और मेहनतकश मजदूरों के लिये आमूल चूल परिवर्तन कर रही है और उनके लिये सुधार करना चाहती है । इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । गांव में जो बंजर की जमीन है, उसका सही ढंग से बंटवारा नहीं हो पाता है । जो सही पात्र हैं, उनको जमीन नहीं मिल पाती है और जो जमीन दी जाती है वह केवल उन लोगों को दी जा रही है, जो नसबन्दी की शर्तें पूरी करते हैं । जिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों को आवश्यकता नहीं है, उनको जमीन प्राप्त हो जाती है । इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि योग्य जो भूमि है, उसको रक्षा करने की आवश्यकता है । जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है और भूमि की मात्रा कम होती जा रही है । उद्योगों तथा सरकारी कार्यों के लिये कृषि योग्य जमीन को नहीं लिया जाना चाहिये और न उसका आवंटन ही किया जाना चाहिये । आवास विकास विभाग की जो योजनायें हैं, उनमें कृषि योग्य भूमि ली जाती है, जिससे कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है । इसलिये मेरा सुझाव है कि आवास योजनाओं के लिये अकृषि भूमि को ही लिया जाना चाहिये और आवास बनाये जाते हैं वह बड़े और अमीर लोगों के लिये ही बनाये जाते हैं, छोटे लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं । तो सरकार को इस प्रकार की योजना बनानी चाहिये जिससे कि कमजोर लोगों को आवास प्राप्त हो सके । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भूमि किसानों की ली जाती है, वह किस दर पर ली जाती है, उसे मार्केट रेट पर लेना चाहिये ।

मान्यवर, चकबन्दी में बड़ा भ्रष्टाचार है, मेरे जनपद में चकबन्दी चल रही है । मान्यवर, कैराना तहसील, जिला मुजफ्फरनगर में 1956-57 में चकबन्दी हुई थी । वहां पर दुबारा चकबन्दी हो रही है, 10 साल से लोगों को कब्जा नहीं मिला है तो किसान किस प्रकार से अपनी जमीन में सुधार कर सकता है । मेरा निवेदन है कि ऐसे गांवों के आंकड़े प्राप्त किये जायें और तीन साल से अधिक चकबन्दी में समय नहीं लगना चाहिये । इसके साथ ही साथ उनको कब्जा भी जल्दी ही मिलना चाहिये । बहुत जगहों पर चकबन्दी पूरी हो गयी है, लेकिन कब्जा नहीं मिला है, इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये । मान्यवर, हमारा क्षेत्र तहसील बागपत, जिला मुजफ्फरनगर है, उसके बहुत से गांव चकबन्दी से अलग हैं जैसे जतोई, धोलरा-धोलरी, तितावी, गरीरपुर, लखान, नूमा खेड़ा, ढिंढावली, कुटली-कुटला, बढ़ौला कलां, अटाली, चरोली । यहां पर चकबन्दी की आवश्यकता है और चकबन्दी करायी जाये । मान्यवर, चकबन्दी में ए0 सी0 ओ0 स्टेज पर कई-कई साल गुजर जाते हैं । सी0 ओ0 स्टेज पर दो वर्ष और उसके ऊपर तो कोई पुरसा हाल नहीं है । वर्षों से लोग चकबन्दी में फंसे रहते हैं । इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें सुधार किया जाय और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार दूर किया जाय । अन्त में मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा और उन्होंने तीन चीजों की ओर ध्यान दिलाया । इस प्रदेश में एक तो टूटी तवा और फूटी कठौती वाले लोग हैं । दूसरी जिनके सिर पर पगा है और न तन पर झगा है, उनके लिये यह सरकार व्यवस्था कर रही है । तीसरी बात उन्होंने कही कि चींटी की रफ्तार से यह उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है । इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी बात कही । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इस बात पर अफसोस जाहिर करें कि आजादी के 40 साल के बाद भी इनके प्रदेश के लोग ऐसे हैं जिनके पास फूटा तवा और टूटी कठौती तक नहीं है और 40 साल की आजादी के बाद जब हम 21 वीं शदी में पहुंचने की सोच रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार चींटी की रफ्तार से चल रही है । इसके ऊपर मंत्री जी को खेद प्रकट करना चाहिए और सुधार की कोशिश करनी चाहिए । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी एक माननीय सदस्य ने उधर से पर्वतीय एक जिले की बात कही । उसके सम्बन्ध में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश भी एक पूरा पर्वतीय प्रदेश है जहां के बराबर का बजट देने का आप दावा करते हैं । वहां पर दादराख्वार एक तहसील है जिसमें मात्र 8 गांव हैं । वहां पर मात्र 8 गांवों में एक तहसील बन सकती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में इतने बड़े गांव हैं । यह एक ग्राम सभा के बराबर तहसील है । यहां पर पर्वतीय क्षेत्र इतना लम्बा-चौड़ा होने के कारण विकास के कार्यक्रमों को लागू किया जाना मुश्किल है । इसलिये मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे राजस्व गांव बनाये जांय, उनको ग्राम सभायें बनाया जायं । इस तरह से छोटी तहसीलें बनाने के प्रश्न पर आप विचार करें । छोटे-छोटे जिले बनाये जाय । जहां तक पृथक पर्वतीय राज्य बनाने का सवाल है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों को देखते हुये, वहां के लोग खुद लड़कर इसे अलग राज्य बना लेंगे किन्तु उससे पहले आप छोटे-छोटे गांव, छोटी-छोटी तहसीलें बनाने के प्रश्न पर विचार कर लें ।

मान्यवर, राहत और पुनर्वासन की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, आपको जानकारी है कि आज सबसे बड़ा सूखा इस समय यहां पर पड़ा है । पर्वतीय क्षेत्र में दो चीजें कामन होती हैं । सूखा तो पड़ता ही है लेकिन कभी-कभी अतिवृष्टि हो जाती है जिससे लोगों के घरबार चौपट हो जाते हैं, जन-धन की हानि होती है । दूसरे वहां पर ओलावृष्टि भी अधिक होती है । ओलावृष्टि यहां पर अक्सर होती है । यह पर्वतीय क्षेत्रों का दुर्भाग्य है कि वहां पर हर साल ओला-वृष्टि होती है । जब राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसका जायजा लेने वहां पर जाते हैं तो वे सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, दूर दराज के गांव में नहीं जाते हैं । सड़क के किनारे बैठकर ही सूखा राहत का हिसाब-किताब लगाते हैं कि कितना सूखा पड़ा, कितनी ओला वृष्टि हुई और कहां अतिवृष्टि हुई । इस तरह से वे प्रदेश सरकार को भेज देते हैं जिससे वहां के लोगों को यहां से सहायता मिलती है । यह सहा-यता कम और अपर्याप्त होती है । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में तीन चीजों की ओर ध्यान दिया जाय । सूखा, ओला वृष्टि और भू-स्खलन । वहां हर मौसम में ओलावृष्टि होती है जिससे फसलों को तो नुकसान होता ही है फलों को भी भारी नुकसान होता है । इसी प्रकार भू-स्खलन से भी जन-धन को अपार क्षति पहुंचती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

इनके अलावा कतिपय और चीजों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी की ओर हमारे माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की तरह हिमाचल प्रदेश का एरिया भी है । वहां पर चकबंदी लागू कर दी गयी है और वह सफल रही है और कोई दिक्कत नहीं आई है । लेकिन हमारे यहां चकबंदी पर खटीमा से शुरू की गयी है जिसका नतीजा यह है कि उससे वहां लोगों में असंतोष है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें, अब मैंने पुरुषोत्तम लाल जी को पुकारा है ।

श्री काशी सिंह एरी—

खटीमा में थारू और बोक्सा लोगों की जमीन है जिसको पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश सैनिकों ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर और पेंशन का धन लगा कर खरीदा है लेकिन वह जमीन उनके नाम पर नहीं है और जब चकबंदी होगी तो वह उसके असली स्वामी के पास चली जायेगी । इससे वहां लोगों में बड़ा रोष है । आपने चकबंदी का काम तो नहीं किया, हां थारू, बोक्सा और भूतपूर्व सैनिकों के बीच झगड़ा पैदा करने का काम जरूर पैदा कर दिया है । अभी जैसा माननीय सहरा जी ने कहा और आफर किया कि उनके यहां रानीखेत तहसील से काम शुरू किया जाय । तो मैं कहना चाहता हूं कि चकबन्दी आपको करनी है तो आप पहले काशीपुर तहसील से शुरू कराइये ।

श्री अधिष्ठाता—

एरी जी अब आप बैठें ।

श्री काशी सिंह एरी—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । माननीय तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

आज हमारे देश और प्रदेश में इतना भयंकर सूखा पड़ा, जो पिछले सौ साल में भी नहीं पड़ा लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में हमारे राजस्व मंत्री जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से और कुशल प्रशासन से गरीबों को, हरिजनों को किसी प्रकार से इस विभीषिका में मरने नहीं दिया और पूरे प्रदेश के सर्वहारा वर्ग को, खेतिहर मजदूरों को राहत पहुंचाई, उसके लिये मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं ।

राजस्व बजट जो प्रस्तुत किया गया है विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और निर्बल वर्ग के लोगों के हित में है । माननीय मंत्री जी ने ऐसे भूमिहीन लोगों को जीविकोपार्जन हेतु कृषि योग्य जमीन का पूरे प्रदेश में वितरण कराया है, जो निश्चित रूप से अतुलनीय तथा प्रशंसनीय कार्य है । जहां इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, वहीं जो कमियां हैं उनकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे सिराथू विधान सभा क्षेत्र, जनपद इलाहाबाद में जहां से मैं विधायक हूं, पिछले तीन वर्षों से गरीब हरिजनों को तथा भूमिहीनों को कोई जमीन नहीं दी गयी है । मेरे बार-बार निवेदन करने पर भी, तमाम प्रकरण लाने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । वहां पर हरिजनों को, गरीबों को भूमि का लालच देकर कि उनको जमीन का पट्टा दिया जायगा और मकान की भूमि दिये जायेंगे, इस आधार पर उनकी नसबन्दी कर दी गयी लेकिन अभी तक उन गरीबों को जमीन नहीं दी गयी है, इस प्रकार अनेक अनियमिततायें बर्ती गयी हैं, जो चिंता का विषय है ।

श्री राम शरण—

यहां आ जाइये ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

हम लोग हकीकत को रखते हैं, उस पर हमारी सरकार काम करती है । इस समय हमारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री ऐसे व्यक्ति ह, जिन्होंने गरीबों के हितों के लिये, खेतिहर मजदूरों के हितों के लिये तमाम विकास के काम किये हैं । परन्तु कहीं-कहीं भूल हो जाती है और अनियमितताएं होती हैं तो उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं । मान्यवर, जिन्होंने गड़बड़ियां की है उनके प्रति राजस्व मंत्री जी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ।

मान्यवर, शासन के आदेश हैं कि क्षेत्र के विधायकों को लेकर गरीबों के पट्टे देने का कार्य किया जाना चाहिए लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में आज तक किसी परगना अधिकारी या एस0 डी0 एम0 ने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया है और न मेरे साथ मेरे क्षेत्र में घूमे हैं और न हरिजनों को एक भी पट्टा गांवों में कैम्प करके दिया गया है । इसलिये राजस्व मंत्री जी विशेष आदेश देकर मेरे सिराथू विधान सभाई क्षेत्र में गरीबों और खेतिहर गरीब मजदूरों को जिनको भूमि पट्टे पर नहीं दी गयी है, उनको दी जाय और जिन अधिकारियों ने शोषण किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और पट्टों का आवंटन कराया जाये । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मूलचन्द—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मंत्री जी ने अपने बजट में आवंटन पर ध्यान तो ज्यादा दिया है लेकिन हमें लगता है कि कागज पर इनको जो लिखकर दे दिया जाता है, यह वही बता देते हैं । मान्यवर, हमारे यहां ज्ञानपुर तहसील में आवंटन के संबंध में नियम 301 में आपके माध्यम से यहां सूचना पड़ी थी, उसमें बताया था कि इतने कृषि आवंटन में पट्टे, इतने मत्स्य पालन और इतने आवास आवंटन लोगों को किये गये हैं । मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी ने यहां सदन में जवाब दिया था कि आवास आवंटियों और मत्स्य पालन आवंटियों, इन सभी को कब्जे दे दिये गये हैं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और आप बतायें कि पट्टी गांव में 59 लोगों को आवास आवंटन हुये हैं लेकिन आवंटियों को कब्जे नहीं दिये गये हैं बल्कि ए0 डी0 एम0 ने स्टे कर दिया है । इस संबंध में आवंटियों को 32 दफा तारीख पड़ने पर हाजिर होना पड़ा और फिर भी कब्जे नहीं दिये गये, इसलिये आवंटियों ने इसको छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं जा सके । उन लोगों ने आवंटन शुदा जमीन पर घर बनाये थे, जिनको गिरा दिया गया । गरीब लोग वहां आवास आवंटन पट्टा मन्सूखी के मुकदमे हर तारीख के लिये 50 रुपये खर्च करता है क्योंकि उसे 10 रुपये कचेहरी तक जाने, 10 रुपये तांबू को, 10 रुपये वकील को और 15 रुपये किसी को साथ ले जाता है, उस पर खर्च करता है । स्टे हो जाने पर जवाबदेही वकील तैयार करेगा तो 100 रुपये लेता है और बहस करेगा तो 125 रुपये लेगा और मंत्री जी कहते हैं कि कब्जे दे दिया है ।

मान्यवर, अपने गांव सराय भाव सिंह में 106 बीघे जमीन का आवंटन 67 लोगों को चकबन्दी के पहले हुआ था जिनके नाम माल कागजात में दर्ज है किन्तु एक दरख्वास्त पर ए0 डी0 एम0 ने स्टे कर दिया है चकबन्दी न की जाये । मैं कहता हूं कि चकबन्दी उसकी करा दें । मान्यवर, यह जो आपने पट्टे का अभियान चलाया है, इससे गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है, उनकी गरीबी बढ़ रही

है, किसी तरह उनको राहत नहीं मिल रही है । इसलिए आप उसकी सीमा निर्धारित कर दें कि कब तक पट्टा मंसूखी चले । पट्टा मंसूखी लोग कायदे के खिलाफ करते हैं और जो इनके लेखपाल हैं उनका वह इसमें मुलजिम नहीं बनाते हैं । जब हमने इस बारे में तहसील में कहा तो उन्होंने इस बारे में हमें साफ तौर पर बताया कि जिन्होंने अनाप कब्जा कर लिया है वह तो नसबन्दी में सरकार को सहयोग देते हैं, वह कहते हैं कि हम जानते हैं कि उन्होंने कब्जा किया है, किन्तु उनके खिलाफ हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि वह नसबन्दी क्षेत्र में हमारे सहयोगी हैं, जबर हैं । उन्हीं के कहने पर लोग नसबन्दी कराते हैं, वह चाहे सही करें या गलत करें, हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, न कर सकते हैं । बड़े-बड़े पूंजीपति लोगों ने सड़क के किनारे की कीमती जमीनों पर नसबन्दी के नाम पर कब्जा प्राप्त कर लिये हैं और वह जमीन उसी गांव के लोगों को गरीबों और हरिजनों को नहीं दी जा रही है । हमारे यहां एक गांव कुशवड़ा है, वहां धारा 52 का प्रकाशन होने के बाद भी मुकदमा चल रहा है और ग्राम समाज की जमीन फर्जी तौर पर लोगों ने एलाट करा ली है और जो वहां पर तालाब आदि थे, उनके बारे में आदेश में लिखा गया है कि मालियत देय थी, दी गई । अब यह कहां से आई, इसका किसी को पता नहीं है । इसलिए आपका बजट ठीक नहीं है । यह धोखा है । मंत्री जी ने यह डपोरशंखी बजट पढ़ दिया है । इसमें आप सुधार करें । यह मानवता, मनुष्यता और इंसानियत के खिलाफ है, इस पर ध्यान देकर आप झूठ न बोलें । अब इस बजट के बारे में एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, इसे आप सुन लें :—

नफरत का तूफान है हरसू, वहशत की गुलकारी है,
आज नया अन्दाज है लोगों, दुश्मन की तैयारी है ।
गांव-गांव में आग के शोले, जंग मुल्क में जारी है,
ऐवानों में रहने वालों अब तुम्हारी बारी है ।।

*श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करती हूं और माननीय सदस्य श्री मूलचन्द के शेर के जवाब में अपना शेर कहकर मैं अपनी बात प्रारम्भ करना चाहती हूं । यह मेरी शेर विरोधी भाई तिवारी जी को समर्पित है ।

"रकबा तुम्हारे गांव का मीलों हुआ तो क्या,
रकबा तुम्हारे दिल का तो दो इंच भी नहीं ।"

(व्यवधान)

तिवारी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, यह गरीबों, किसानों, हरिजनों और गांवों के 85 प्रतिशत लोगों के राजस्व विभाग का बजट है । मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेकर कम से कम अपने दिल के दो इंच से ज्यादा जगह होने का तो उदाहरण प्रस्तुत कर दें । आजादी के पहले राजस्व विभाग का ताल्लुक जमीन्दारों, ताल्लुकेदारों और राजा-महाराजाओं तक सीमित था, किन्तु आजादी के बाद सरकार ने हमारी लोकप्रिय सरकार ने गरीबों, हरिजनों, मजदूरों और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को भी इस विभाग में भागीदार बनाया है । उन्हें राजस्व विभाग ने पट्टे दिये,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रहने के लिए आवास दिया है । नहीं तो पहले यह छोटे लोग हरिजन और किसान लोग बड़े लोगों के दरबारों के किनारे किसी कोने में पड़े रहते थे और जब यह बड़े लोग इनसे नाराज होते थे, तो इनको उजाड़ देते थे और आज वह किसान के रूप में माने जा रहे हैं । मान्यवर, सीलिंग हुई और सीलिंग करके बड़े-बड़े लोगों की जमीनें कम की गईं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय साहनी साहबा बोल रही हैं तो उधर भाई रामशरण दास जी का दिल धड़क रहा है, तो इनके बोलने के बाद रामशरण दास जी को समय देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह मेरी आंखें आकर्षित करेंगे तो इनको भी बुलवाऊंगा ।

श्रीमती कमला साहनी—

यह मेरा क्या मुकाबला करेंगे । वैसे तो आपके निर्णय के ऊपर हैं । मान्यवर, मैं कह रही थी कि बड़े-बड़े लोगों की जमीनें निकालकर खेतीहर मजदूरों को दी गईं । इससे वह बहुत लाभान्वित हुए । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि कुत्ते और बिल्ली के नाम से बेनामी जमीनें ली जाती हैं । राजा सोहरतगढ़ के घर एक चमेली नाम की बिल्ली पली हुई है और उसके नाम से कई एकड़ जमीन है । घरुबार के चौधरी लोग बेनामी जमीन की चोरी कर रहे हैं उनके नाम से कई एकड़ जमीन है, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह ऐसी बेनामी जमीन की खोज करवायें और पट्टे के बारे में कहना चाहूंगी पट्टे हुए, बहुत सी जमीन पर लोगों के कब्जे हुए, मजदूर लोग, अपनी जमीन का मालिक कहने लगे, बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं तो उसमें कुछ चीजें गलत भी सामने आती हैं ऐसा होना स्वाभाविक है । मेरे क्षेत्र खुनवा में पट्टे हुए हैं प्रधान और लेखपाल ने मिलकर उस जमीन को बेच दिया । मेरे क्षेत्र खुनवा में नेपाल के लोगों ने भी पट्टे पाये हैं और इस गांव के 20 किलोमीटर दूर के लोगों ने भी पट्टे पाए हैं और यह लोग जमीन को बेच-बेचकर चले गये हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए । मेरे क्षेत्र खुनवा में पल्टादेवी मदरहना उर्फ रामनगर महलीमहला के कई पट्टेदार हैं । यह लोग 20 सालों से अपने अपने पट्टे लिये घूम रहे हैं लेकिन उसजमीन को राजा सोहरतगढ़ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जिन पट्टेदारों को कब्जा नहीं मिल है सरकार उनको कब्जा दिलाए, सरकार ने अभियान चला रखा है और बहुत तेजी से इसका कार्यान्वियन हो रहा है, पट्टेदारों को जमीन दिलाई जाए, लेकिन जो गांव छूट गये हैं उसमें सरकार पट्टेदारों को कब्जा दिलाए । यह मेरा सरकार से निवेदन है ।

मान्यवर, हमारी सरकार राहत कार्य के लिए चाहे वह सूखा राहत हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आगजनी हो राजस्व विभाग से सहायता देती है । तकावी देती है, लोन भी देती है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं । एक मसला घरुबार का है वैसे यह मसला उद्योग विभाग का है, लेकिन इससे राजस्व को हानि हो रही है । एक बालू का पट्टा है उस पर चौधरी लोगों ने कब्जा कर रखा है जिससे राजस्व की हानि हो रही है । मान्यवर, एक बात सिद्धार्थ नगर के बारे में कहना चाहूंगी नये नगर का नाम सिद्धार्थनगर रखने की घोषणा

पिछले बजट में की गई थी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सिद्धार्थ नगर की अधिसूचना जारी कराने का कष्ट करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रामशरणदास जी आपको चुनौती दी गई है आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कर लें ।

(श्री राम शरण दास के खड़े होने पर)

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, हमें भी समय दिया जाय ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, ऐसा है कि अगर और लोग बोलना चाहते हैं तो वह बोल लें । वह बोल लेंगे तब मैं बोल लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

राम शरण दास जी ने पराजय स्वीकार करके साष्टांग कर दिया है इसलिए मैं हृदय नारायण दीक्षित जी को बुला रहा हूं ।

(समय 2 बजकर 35 मिनट)

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, आपने जो राजस्व बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, उधर कुछ दिल की बातें हो रही थीं और राम शरण दास जी बैठ गये हैं तो इनकी ओर से मैं दिल की बात कर दूं । मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई व्यक्ति परदेश जा रहा था उसने अपनी पत्नी से कहा :—

मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़कर,
मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा ।

उसकी पत्नी गरीबी और भुखमरी से परेशान थी जैसी आपकी व्यवस्था में है, उसने कहा :—

कहीं और ले जाकर दिल अपना रख दो,
यहां याद करने की फुरसत कहां है ?

तो मान्यवर, माननीय सदस्य तिवारी जी ने जो कुछ बातें अपने कटौती के प्रस्ताव को रखते हुये कहीं हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, चकबन्दी राजस्व विभाग का अहम कार्य है । मैं अपने उन्नाव जनपद की चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । करीब 30 साल हुये हमारे अपने क्षेत्र में चकबन्दी का काम चल रहा है । अभी तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है । गांव के लोग छोटे-छोटे कामों के लिये, इन्तखाब के लिए जिला केन्द्र के चक्कर लगाते रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री जी मेरे सुझाव पर गौर करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे । जो पुस्तिका यहां वितरित की गयी है उसमें भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना का विषय उठाया गया है । एक गैस पाइप लाइन सुल्तानपुर को उन्नाव से मेरे क्षेत्र से होकर जा

रही है । 120 फीट चौड़ी सड़क बन रही है जिसमें खेत के खेत और गांव के गांव बरबाद हो रहे हैं । किसानों को उनकी भूमि का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है । मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी मुआवजे की बाबत इस विषय पर गौर करेंगे । यह जो पुस्तिका है इसमें भूमि आवन्टनों के कब्जे के बारे में स्वीकार किया गया है कि पूरे उ0 प्र0 में 7437 लोगों को कब्जे नहीं दिये गये हैं । मेरा कहना है मेरे जनपद उन्नाव में हजारों लोग एसे हैं जिनको पट्टे तो मिले हैं लेकिन कब्जा नहीं दिया गया है । आवंटन के पट्टे किये जाने के संबंध में नियम है, ज0 वि0 अ0 की धारा 198 में पात्रता की शर्तें बतायी गयीं हैं कि व्यक्ति को भूमिहीन होना चाहिए और खेती के काम में मजदूरी से जुड़ा होना चाहिए । लेकिन इस समय और पिछले साल खासतौर से जो पट्टे हुये हैं उसमें भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है । उसको पट्टे हुये हैं जो नसबन्दी करा सकता है या कहीं से केस लाकर दे सकता है । भूमि के आवंटन के संबंध में इसी तरह से पात्रता की जितनी शर्तें हैं उनका पालन नहीं किया गया है, पात्रता का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया है ।

अभी राजस्व मंत्री नं0 2 बता रहे थे कि सूखा राहत के अन्तर्गत बहुत से श्रम दिवस सृजित किये गये हैं । मेरे जनपद के पुरवा विधान सभा क्षेत्र के संबंध में मैं चुनौती पूर्वक कह सकता हूं कि जितने भी श्रम दिवसों के सृजन के आंकड़े पेश किये गये हैं या जिन मजदूरों के नाम दर्ज करके यहां पर भेजे गये हैं वह सब फर्जी हैं । मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान इधर महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, वह महत्वपूर्ण विषय है राजस्व वसूली का । भीषण सूखा पड़ा है जिसमें पूरी की पूरी खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है । सरकार ने भी स्वीकार किया है कि फसल नष्ट हो गयी है । आवश्यकता यह थी कि जब तक नयी फसल न आ जाय किसी प्रकार की वसूली न की जाती, लगान को माफ कर दिया जाता, बच्चों की फीस माफ कर दी जाती । फसल आ जाने तक वसूली न किए जाने की मांग करते हुए मैं माननीय तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन सरकार ने एसा नहीं किया । हरीश जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जो तहसीलें हैं वह इस समय किसानों से भरी हैं । राजस्व वसूली के संबंध में एक यहां से कोटा गया है प्रत्येक जिला अधिकारी को कि वहां से 31 मार्च तक इतने लाख रुपये की वसूली करके देना है । अन्य लोग नायब तहसीलदार गांव-गांव जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं । सिर्फ इस समय सरकार के पास दो काम रह गये हैं एक नसबन्दी के केस ढूढ़ना तथा दूसरा वसूली करने का । मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तुरन्त आदेश जारी करें कि जो लोग जेलों में बन्द हैं उनको रिहा किया जाय और जब तक नयी फसल नहीं आ जाती है तब तक किसी प्रकार की कोई वसूली न की जाय । जिस समय माननीय राजस्व मंत्री जी बोल रहे थे उस समय उन्होंने बताया कि तमाम कुयें खुदवाये गये हैं और तालाब खुदवाये गये हैं । मेरे जनपद उन्नाव में कहीं एक भी तालाब नहीं भरा गया है और न कहीं कोई कुंआ खुदवाया गया है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री देवता दीन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे राजस्व बजट पर बोलने का अवसर दिया । राजस्व मंत्री जी इस समय नहीं हैं इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे कार्यवाही में नोट करवा दें । चूंकि पिछले वर्ष हमारे नानपारा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुयी थी जिसमें वहां के 40 ग्राम के मकान व फसलें ओला से नष्ट हुई थीं । सरकार ने इसकी जांच पड़ताल करायी थी । कायदा यह है कि 50

प्रतिशत से ज्यादा जब फसल नष्ट हो जाती है तो सहायता दी जाती है । लेकिन 50 फीसदी से कम नुकसान हुआ था इसलिए सहायता नहीं मिली । जो मकान टूट गये थे या गिर गये थे उनके लिये 2 सौ रुपये दिये गये थे । और इस तरह से 3 लाख रुपया वहां बांटा गया था । 40 गांव में लगभग 25 गांव में सहायता बांटी गयी थी बाकी गांवों में पैसा नहीं दिया । मैंने इसकी शिकायत की थी तो राजस्व मंत्री जी ने लिखा था कि मैंने आपकी शिकायत की जांच करवायी । आपकी शिकायत सत्य पायी गयी और नायब तहसीलदार तथा कानूनगो दोषी पाये गये हैं । जिन लोगों को गांव में पैसा बंटा उनसे वसूली शुरू हो गयी लेकिन जिन सरकारी आदमियों की गलती थी उनको कोई सजा नहीं दी गयी । जिन नायब तहसीलदार के बारे में उन्होंने लिखा था उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उसको तहसीलदार बना दिया गया ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सूखा राहत में हमारे यहां नल दिये गये हैं । इनकी लम्बाई 50 फीट है । आप बतायें कि सूखे के समय में इससे क्या फायदा होगा । कम से कम 80 फीट नल देना चाहिये । मेरा क्षेत्र गांजर का है । नल वहां पर लगाये जा रहे हैं जहां पर सूखा नहीं है । इसलिये मेरा कहना है कि नल वहां पर लगाये जायं जहां पर सूखा हो । सूखा राहत कार्यक्रम में जो पैसा गया है उससे सड़कों का काम किया जा रहा है लेकिन सड़कों पर कोई पुलिया नहीं बनवायी गयी है । (व्यवधान) मान्यवर, मैं इतना सुझाव देना चाहता हूं कि अगर उसमें पुलिया नहीं दी गयी तो अगले साल सड़क बिल्कुल खत्म हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री देवता दीन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा है उस पर कार्यवाही करवाई जाय । आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका आभारी हूं । (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें, बैठें । मैंने राजकिशोर सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो एक अरब से अधिक की धनराशि की मांग की है 5 मदों में कुल मिलाकर, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ है । मान्यवर, जो ये हमारे मंत्री, बड़े मंत्री और छोटे मंत्री हैं, छोटे मंत्री जब बोल रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था और मालूम होता था कि उनके ऊपर कोई भूत सवार हो गया है और कोई अंग इनका नहीं बचा जो न हिला हो और मुझे ऐसा लगा कि कहीं नुक्कड़ ड्रामा हो रहा है और वास्तविकता को छिपाने के लिए इन्होंने संस्कृत के श्लोक में और बहुत सारी बातें कहीं । मान्यवर, यह असल में राजस्व विभाग नहीं, यह भू राजस्व विभाग है इसका नामकरण सही ढंग से होना चाहिये ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, आपने मुझे याद किया और कहा कि कोई भूत सवार हो गया । मान्यवर, राजकिशोर जी के साये के अलावा और कोई साया भूत हम पर सवार नहीं है, मैं यह सूचना देना चाहता हूं ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या जमीन की है । जमीन के बारे में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां की जमीन के बारे में यहां एक मंगल देव विशारद कमेटी बनायी गयी । उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा करके इस बात के लिए चेष्टा की थी, कोशिश की थी कि कितनी सीलिंग की जमीन है । उनकी रिपोर्ट का मतलब हमारे प्रदेश में जो जमीन निकाली जा सकती थी हदबन्दी में, सीलिंग में उन सारी जमीनों को जो यहां के बड़े-बड़े भूस्वामी, जो पुराने जमींदार थे उन्होंने उन जमीनों को चुरा लिया है । क्या हमारे राजस्व मंत्री इस बात की घोषणा करेंगे कि उन चोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे और इन तमाम जमीनों को उनसे निकालकर भूमिहीनों, गरीबों, हरिजनों में और जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको बांट देंगे और कब्जा करा देंगे, अगर वह कर दें तो मैं तिवारी जी से कहूंगा कि वे कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री हर देव—

बांट देंगे ।

श्री राज किशोर सिंह—

न बांटे हैं, न बांट सकते हैं । इन जमीन चोरों से जमीन छीनकर न गरीबों में बांट पाये हैं और न बांट सकते हैं । यही समस्या है । जब तक जमीन जोतने वाले के हाथ में नहीं होगी तब तक यह गरीबी दूर नहीं हो सकती है । चाहे एल0 आर0 आइ0 जी0 पी0 योजना चलायें, चाहे एन0 आर0 ई0 पी0 योजना चलायें, गरीबी की रेखा से नीचे जाने वाले नहीं हैं । इसके अलावा जो ग्रामीण बेकारी है उसका कारण जमीन है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मूलगामी जमीन सुधार लागू करिये । आपने कभी आंकड़े बताये कि कितनी जमीन निकाली है, हदबन्दी से कितना पट्टा दिया है और कितने प्रदेश आपके इस देश में हैं जिन्होंने 10 लाख एकड़ जमीन निकालकर भूमिहीन गरीबों को दी है ? यह विडम्बना है कि आज बड़े-बड़े जमीन चोर बने हुए हैं । इस सदन के अन्दर एक मरतबा चर्चा चली थी । खास तौर से भगवान के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर, अल्लामियां के नाम पर जमीन ले लिया है, जमीन भूमिहीन जोतने वाले को नहीं दी गयी है । इसीलिए यह मुख्य समस्या है । इसलिये भूमि सुधार कानून लागू किया जाय और जो सही मायने में इस धरती पर अन्न पैदा करते हैं, धरती पर पसीना गिराते हैं उनको जमीन दी जाय, तब देखिये कि अन्न का उत्पादन कितने गुना बढ़ जाता है और बेरोजगारी दूर होती है । यह मुख्य प्रश्न है और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो तथाकथित जमींदारी का उन्मूलन किया है, वह आज भी कई शहरों में मौजूद है । बस्ती में मेंहदावल में है, रामपुर में है । मैंने कई बार कहा कि इन शहरों से इन बड़े मालिकान को खत्म करके इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन आपने कदम नहीं उठाये । आप क्यों नहीं कहते कि इन टाउन एरिया में जहां जमींदारी कायम है, उसको खतम करेंगे, इसका आपको यहां

पर एलान करना चाहिये । मान्यवर, अभी हमारे राजस्व राज्य मंत्री कह रहे थे कि सूखे में बहुत काम किया है । मैंने पिछली बार कहा था कि एक कमेटी बना लीजिए और मेरे जिले में चलिये और देखिये कि किसने सूखा राहत में राहत पाया है । आपके कार्यकर्ताओं ने ठेकेदारी ली है । मैं नहीं कहना चाहता कि कितने लोग ठेकेदारी लेकर गाड़ी में सड़के और पुल बनवा रहे हैं और खड़ंजे लगवा रहे हैं और उसमें मजे से खा रहे हैं । यह वास्तविकता है, सच्चाई है । आप इससे इन्कार नहीं कर सकते । और कहते हैं कि मानव दिवस सृजित किये । बीस सूत्री कार्यक्रम क्या कहता है । मानव दिवस के लिये आवश्यक है कि मस्टर रोल पर काम कराया जाय । मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं । जितने सम्पर्क मार्ग हैं, सब ठेकेदारों से बनवाये जा रहे हैं । किसानों और मजदूरों को लूटा जा रहा है । आपने किसानों की लगान नहीं माफ की, न खाद में सब्सिडी दी और न बिजली का रेट घटाये, न सिंचाई के रेट घटाये । सूखा राहत में कुछ लोग जो आपके हैं, उनकी पलटन खड़ी हो गयी । यह आने वाले दिनों के लिये बहुत अच्छी बात नहीं है । मान्यवर, आवंटन के बारे में कहा गया तो जो आवंटन किया गया, उसका कब्जा नहीं दिया गया और दूसरी बात जो आप कहते हैं चकबन्दी के बारे में, इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है । इनके चक रोड लोगों ने जोत लिये हैं । मैंने एक एस0 डी0 एम0 को दरख्वास्त दी कि वहां की पैमाइश कराकर हदबन्दी कर दीजिये । लेकिन कुछ नहीं हुआ । इससे सारा किसान परेशान है । मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूँ कि इन पर विशेष ध्यान दें और चक रोड की पैमाइश कराकर हदबस्त करा दें जिससे कि वहां आने जाने वालों की दिक्कत दूर हो सके । इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री बलजीत सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भू-आवंटन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । मान्यवर, सन् 52 में राजे-महाराजे और बहुत से बड़े-बड़े जमींदारों से जमींदारी उन्मूलन कर उन लोगों को सरकार द्वारा हक दिया गया था जो उस जमीन को जोतते थे और उनको भूमिधर का हक दिया गया । उसके बाद मान्यवर, हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन लोगों को जो खेतिहर मजदूर थे जो उन खेतों में काम करते थे, जो हरिजन थे, अनुसूचित जाति के आदमी थे, जिनके पास न रहने की अच्छी सुविधा थी, न खेती के लिये जमीन थी, उनको भू-आवंटन की योजना चलाई और उनको गांव में ग्राम सभा की जमीन का आवंटन किया । उनके आवास की सुविधा के लिये भू-आवंटन किया । यह एक सराहनीय कदम था ।

(मेजों की थपथपाहट)

गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का जो हम लोगों का कार्यक्रम था और है, वह भी एक बुनियादी कदम था । मान्यवर, लेकिन इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि योजनाओं के तहत जो भी आवंटन हुआ, चाहे खेती के लिये जमीन आवंटित हुई, आवास के लिये आवासीय भूमि आवंटित हुई, लेकिन उस पर अधिकांश लोगों को, 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को, उसका कब्जा मौके पर नहीं दिया गया । मान्यवर, हमेशा इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाता है कि इन गरीब लोगों को जो आवंटन भूमि का

हुआ है इन योजनाओं के तहत, उनका मौके पर कब्जा दिलाया जाय । लेकिन, बफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां के जिलाधिकारी ने, वहां के प्रशासन ने, कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें । दूसरे माननीय सदस्य खड़े न हों, बैठ जायं ।

श्री बलजीत सिंह—

सन् 1976 में और उसके बाद जो भूमि का आवंटन हुआ था विभिन्न योजनाओं के तहत, जो आवासीय भूमि के पट्टे दिये गये थे, कृषि भूमि के पट्टे दिये गये थे, उनमें आज नसबन्दी के नाम पर दूसरे लोगों को उन्हीं पट्टों पर कब्जा कराया जा रहा है, जोकि बहुत ही गलत कार्य है । इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये । उन कब्जों पर से गरीब लोगों को हटाकर दूसरे सवर्ण जाति के लोगों को जिन्होंने एक आध नसबन्दी का केस दिया है, उनको उस पर कब्जा दिलाने का कार्य किया जा रहा है । गरीब लोगों को जबरदस्ती उन कब्जों से हटाया जा रहा है इसमें सरकार को अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिये और इसकी रोकथाम करनी चाहिये । यह भी कहना चाहता हूं कि जो परगनाधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, जो नसबन्दी के नाम पर गरीब लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और दूसरे सवर्ण लोगों को उनके पट्टों पर कब्जा दिलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । मान्यवर, चकबन्दी के बारे में भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री बलजीत सिंह—

बस एक मिनट और लूंगा । मान्यवर, जनपद मथुरा की चकबन्दी दूसरी दफा होने जा रही है । मान्यवर, हमारे बगल में हरियाणा प्रान्त है, उसमें जो चकबन्दी हुई है, वह किलाबन्दी हुई है, एक ही जगह काश्तकारों को जमीन दी गयी है, उसके लिये रास्ते निकाले गये हैं, ऐसा लगता है एक डोली पर चले जायं, 4 मील तक एक ही डोली पर चले जायेंगे । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि चकों को अच्छी तरह से बनाया जाय, सही रास्ते छोड़े जायं । बहुत से गांवों में अभी भी ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

(श्री फजलुल बारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बलजीत सिंह अब आप बैठें । माननीय बारी साहब बैठें । बारी साहब दो मिनट बोल लीजियेगा । समय कम है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, दो मिनट में कैसे काम चलेगा ?

श्री बलजीत सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आपने बड़ा एहसास किया, जो मुझको आपने इस पर बोलने का अवसर दे दिया । मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के जो रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, चन्द बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बल इसलिए देता हूं कि अम्मार भाई को डाइटिंग की जरूरत है, उनको तो चाहिए कि यह कटौती पास हो जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

विषय पर बारी साहब जल्दी आ जाइये । समय कम है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जमींदारी उन्मूलन और इस तरह के दूसरे कोंग्राम व्वा तिरस्कार किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जमींदारी तो अभी भी बाकी है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनके सीतापुर जिले की बात कहना चाहता हूं । इनके यहां रामपुर, मथुरा और बहादुरगंज—यह दोनों गांव हैं, इससे मंत्री जी काफी वाकिफ हैं, कभी वहां नवाब लोग हुआ करते थे, उनकी जमीनें थी, आज वह ग्राम समाज की जमीन है, वहां बाजार लग रहा है, लेकिन वही फ्यूडल लोग लगे हुए बाजारों में वसूली कर रहे हैं । कब्जे हरिजनों, गरीबों को, खेतिहर मजदूरों को नहीं मिले हैं । मान्यवर, आप खुद फैसला कर लें, जब इनकी नाक के नीचे खुद इस तरह का जब काम हो रहा है, तो फिर दूसरी जगहों की क्या हालत होगी ? इसको देखें । मान्यवर, सबसे बड़ी बात एक यह भी है कि अगर कहीं पट्टा किया भी है, लेकिन फ्यूडल्स ने उस पर कब्जा कर रखा है, गरीबों को वह कब्जा नहीं मिल पा रहा है ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के सिलसिले में मैंने एक बात की थी, उसका जो जवाब वहां से आया वही जवाब यहां पर दे दिया गया । मान्यवर, मेरे पास पूरे तथ्य हैं । इन्होंने जो जवाब दिया था कि त्रुटियों के कारण पट्टा नहीं दिया जा सका, जबकि मान्यवर, जितने भी रिलवेन्ट पेपर्स हैं, वह आज से 2 साल पहले तहसील में जमा हो चुके थे । पट्टा फ्यूडल्स के पास था इसलिए गरीब लोग पट्टा नहीं पा सके । मान्यवर, दूसरी समस्या नदी के कटाव की वजह से है । मान्यवर, वहां पर ऐसे संघर्ष हुआ जैसे भारत और बंगलादेश की सीमा का मसला हो । दोनों तरफ की पुलिस, दोनों तरफ के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी इस तरह से किसानों से लड़ते हैं, कत्ल होते हैं, इसका तुरन्त कोई इन्तजाम होना चाहिये । अभी 8 तारीख को गोन्डा बस्ती के बार्डर पर हम किसी तरह बचकर यहां तक चले आये । माननीय मंत्री जी से मैंने इस संबंध में कहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, इसके लिये राजस्व परिषद की तरफ से किसी एक अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये, जो नियमित समय में 2-3 महीने में ऐसे केसेज का निस्तारण कर दें, ताकि वहां पर हिंसक घटनायें न हों सकें । मान्यवर, एक बहुत अहम बात है चकबन्दी जब इन्होंने कराई, तो उस समय इनके पास चकबन्दी के लिये कोई प्लानिंग नहीं थी, यह बिल्कुल दिशाहीन थे । इन्हें यह नहीं मालूम था कि कौन प्रोजेक्ट कितनी मात्रा में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चलनी है, क्या प्लान होना है ? मान्यवर, एक-दो बातें रह गई हैं जैसे वक्फ की जो जमीनें हैं, उनके संबंध में किसी सदस्य ने यहां कुछ नहीं कहा । उसके सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि जो वक्फ कमिश्नर जिलों में थे, उन्होंने सर्वे किया है । खासकर खतौनी में कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिये माननीय मंत्री जी को कोई कार्यवाही करना चाहिए । जो वक्फ की जमीनें दूसरों के कब्जे में हैं।

श्री अधिष्ठाता—

बारो साहब, अब बिल्कुल समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोल नहीं पाये हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि जो लोग रह गये हैं, वह अपनी बात माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे इस बात का एहसास है कि आज बहुत कम लोग बोल पाये हैं । आज श्रम पर भी बहस होनी है और मेरठ किसानों पर भी बहस होनी है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । कल हम लोग 9 बजे तक बैठे थे, आज भी बैठ लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

यह मेरे हाथ में नहीं है । कार्य मंत्रणा समिति ने जो फैसला किया है, वही यहां पर होगा । वैसे आप लोग लिखकर माननीय राजस्व मंत्री जी को दे दें, उनका वही महत्व होगा, जो कार्यवाही में लोगों के आये भाषणों का है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन लोगों ने यहां पर चर्चा में भाग लिया है । चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों । मान्यवर, आज चर्चा से यह बात साफ हो गई है कि सारे सदस्यों को इस बात की आतुरता है और उनकी आन्तरिक इच्छा है कि भूमि सुधारों को ईमानदारी से लागू किया जाय भूमि चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय । गरीब लोगों को जो आवंटन किया जाता है, उन पर उन्हें आसानी से कब्जा मिल जाय । सभी लोग चाहते हैं कि राजस्व के जो कानून हैं, उन्हें सरल और सुगम बनाया जाय । सभी लोगों ने यह भावना व्यक्त की, केवल राजस्व राज्य मंत्री जी को छोड़कर, उन्होंने कुछ आंकड़ों पर अपनी असहमति व्यक्ति की है । मैंने भी जो आंकड़े दिये, वे भी आप ही के विभाग के आंकड़े थे । यह बात सही है कि मेरे पास दिसम्बर तक के आंकड़े थे । हो सकता है जनवरी और फरवरी इन दो महीनों के बीच आपने 20 फीसदी से 50 फीसदी पहुंचा दिया हो । यदि आप इसे ईमानदारी से मानते हैं तो आपको मुबारक हो और मैं भी आपको मुबारकवाद देता हूं । इधर बैठने वाले लोगों से पूछें उधर बैठने वाले लोगों से पूंछे स्वयं आप अपने क्षेत्र में जाकर देखें तब आप इन आंकड़ों की असलियत तक पहुंच जायेंगे । मैं आपके माध्यम से राजस्व राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं उन्हें लगेगा कि कागज के आंकड़ों में और असलियत में कितना बड़ा फर्क है । इसलिए इस खाई को दूर करने के लिए आपको ईमानदारी से प्रयास करना होगा । चूंकि मैंने खामियां इंगित की हैं, इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया जाय, इस दृष्टि से जनतंत्र नहीं चला करता है । हम

आलोचना करते हैं, अगर उस आलोचना में आपको कुछ सार लगे, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए इस दृष्टि से आप इसे देखें । इसी पृष्ठ भूमि में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं रेवेन्यू कोड बिल का मामला है, यह कोई जनता पार्टी, सी0 पी0 आई0, सी0 पी0 एम0 या कांग्रेस का नहीं है । इस आदरणीय सदन में बैठे हुए सारे लोग, आज से नहीं 1977 से पहले, से लोगों की यह फीलिंग रही है कि इसमें सुधार होना चाहिए । मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि 1977 में मैं इसके लिए एक प्राईवेट बिल लाया था । श्री शारदा भक्त सिंह उस समय राजस्व मंत्री थे, उन्होंने मेरे पास एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकार खुद ही एक काम्प्रहेन्सिव रेवेन्यू कोड बिल लाना चाहती है, इसलिए आप इसे वापस ले लें, इसी बिना पर मैंने वापस लिया । 1978 में बिल आया था । सलेक्ट कमेटी को मामला गया तब तक विधान सभा डिजाल्व हो गई, वह फाईनल स्टेज पर नहीं आया । उसके बाद आपकी सरकार बनी । माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, तो तब वह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था, फिर पास नहीं हो पाया । यह हकीकत है कि आज सब लोग यह महसूस करते हैं कि इसमें मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए । बिना इन संशोधनों के यह जो राजस्व का कानून है, उससे जो भूमि सुधार हैं, उन्हें ईमानदारी से और कायदे से लागू नहीं किया जा सकता माननीय श्री लाल प्रताप सिंह जी ने कहा कि रेवेन्यू कोड बिल की कोई जरूरत नहीं है । आप यह एटीट्यूड न बनायें कि यह मामला श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में लाया गया था, अब वह बाहर हैं, इसलिये इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाय, जनता पार्टी ने इसकी अगुवाई की है, इसलिए इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाय। इस तरह से जनतंत्र चलने वाला नहीं है । यदि आप ऐसा करेंगे तो लोगों को आपके ईमान पर शक होगा । लोग यह समझने लगेंगे कि आप जो बातें करते हैं, उसको लागू नहीं करना चाहते हैं । अगर कोई कठिनाई है तो उसके बारे में कहें । मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब राजस्व मंत्री जी अपना बयान दें, उस समय वह बतायें कि यह मामला किस स्टेज तक पहुंच गया है और इस विधान सभा में इस बिल को कब तक रि-इन्ट्रड्-यूस कर दिया जायेगा । आपने जो पुस्तक दी है, इसका हवाला मैंने शुरू में ही दे दिया था. मैं फिर कहूंगा कि जनवरी, 1988 तक वसूलियों के स्थगन आदेश दिये थे । माननीय श्री हरीश जी ने कहा कि जनवरी 1988 में और आज की स्थिति में कौन सा परिवर्तन हो गया है । आप सभी लोग मानते हैं कि यह इससदी का भयंकरतम सूखा था । केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी माना है कि सितम्बर तक 30 अरब रुपये की फसल का नुकसान हुआ है । आज भी हम उसके ग्रिप में हैं । घोषणा क्यों नहीं करते कि सूखे, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि को ध्यान में रखते हुए किसानों के लगानों को इस वर्ष माफ करेंगे, छात्रों की फीस माफ करेंगे, बिजली के जो बकाया हैं, उन्हें माफ कर देंगे । वर्तमान में किसानों की हालत को देखते हुए, हम घोषणा करते हैं कि, जिस प्रकार उद्योगपतियों को रियायतें दी जाती हैं, उसी प्रकार 5 हजार रुपये तक के कर्जे किसानों के माफ करेंगे, ऐसा आप क्यों नहीं कहते ? 5 हजार रुपये तक के जो किसानों के कर्जे हैं, उनको माफ करें । यह जो इरीगेशन मैनुअल है, जिसमें साफ है कि 50 प्रतिशत तक क्षति होगी तो आधा माफ होगा और उसके ऊपर अगर क्षति होगी तो पूरी सिंचाई माफ होगा । अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डायरेक्शन दें कि वह खाली इस जी हुजूरी में न रहें कि ऊपर के अफसर खुश होंगे, चाहे किसान मरा जाय, इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगायें और जहां 75 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है, वहां पूरी सिंचाई तथा लगान माफ करें ।

अरबन एरिया के बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था । मुझे खुशी हुई है जानकर कि आपके अंदर भी है कि जो भी अरबन एरिया में है केवल एग्रीकल्चरल लैण्ड को छोड़कर बाकी जमींदारी खत्म नहीं हुई है । उसको खत्म करने के लिये आप कुछ कहेंगे तो हम स्वागत करेंगे । अरबन सीलिंग एक्ट में जो घाटावे हैं, उनको दूर करने के

लिये आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, अपने उत्तर भाषण में इस पर भी प्रकाश डालें ?

मैंने डि-सेण्ट्रलाइजेशन की बात कही थी और कहा था कि कुछ जिले ऐसे हैं, जहां प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी परेशानी पैदा होती है । फैजाबाद जिले की बात आई और जिलों की बात आयी । मैं खुद फैजाबाद जिले को जानता हूं । यह रूदौली से शुरू होता है और आजमगढ़ तक चला जाता है, जिसको उस सीमा से फैजाबाद आना पड़ता है, उसको बड़ी परेशानी होती है । जमाने से मांग आ रही है कि अकबरपुर को जिला बनायें लेकिन पता नहीं क्या बात है कि बन नहीं पा रहा है ।

निःशुल्क बोरिंग की बात माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी ने की । रिछारिया साहब मेरे जिले के प्रभारी मंत्री थे । उनके सामने 20-सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में आया था कितने सालों से छूट का पैसा नहीं मिला, बोरिंग हो गयी इंजन नहीं खरीद सके, बोरिंग हुई पड़ी है, कर्जे पर सूद लद रहा है । कागज में आ गया होगा कि इरीगेशन की फैसिलिटी दे गयी लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है । निःशुल्क बोरिंग के नाम पर केवल बोरिंग हो गयी है, बाकी काम नहीं हो पा रहा है । यह ऐसा मुद्दा है कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ।

रजिस्ट्री दफ्तर की बात आयी । मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से पिछले सत्र में कहा था, हमारे जिले में रजिस्ट्री के भ्रष्टाचार की जो हालत है । केवल अकबरपुर में कितने फर्जी बैनामे हुए हैं, 57 केसेज रजिस्टर्ड हैं बड़े-बड़े सफेदपोश लोगों के खिलाफ थानों में कि गरीब की जायदाद को फर्जी आदमी को खड़ा करके बैनामा करा लिया । इसमें रजिस्ट्री आफिस वालों से साजिश होती है । एक रजिस्ट्रार है वहां पर, पता नहीं कितने लम्बे हाथ हैं उनके सारे सूबे के रजिस्ट्रार के लिये आदेश हो गये, तबादले के केवल अकबरपुर तहसील के रजिस्ट्रार को छोड़कर । आम शोहरत है कि 2 लाख रु0 उसने ऊपर के अधिकारियों को दिये थे । अब उन्होंने दिया था या नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कौन सा कारण है कि फर्जी रजिस्ट्री और बैनामों की बाढ़ वहां पर आ गयी है, सारे राजनीतिक दलों की शिकायत पर जिसका ट्रांसफर हुआ, उसको फिर वहीं के लिये आदेश दे दिये गये, कहीं न कहीं कोई न कोई खामी तो है, यह दलीय मसला नहीं है । यदि आप राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो ऐसी बातों को आपको गम्भीरता से देखना होगा । आपने एक घोषणा की कि उद्योग तथा आवास के लिये कृषि योग्य भूमि जो ली जाती है उस पर आप पाबन्दी लगाने की बात सोंच रहे हैं । मैं आपकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं, लेकिन यदि ईमानदारी से आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस बारे में पुख्ता कानून जब तक नहीं बनायेंगे, आप किसानों को इस बारे में संरक्षण नहीं प्रदान कर सकते हैं । रेवन्यू कोड बिल बनाने का मामला काफी अरसे से चला आ रहा है, जिसके द्वारा 26 एक्ट निरस्त होकर एक एक्ट बनेगा इसको आप क्यों नहीं शीघ्र पूरा कर देते हैं । मैं चाहता हूं कि अभी जब राजस्व मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े हों तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में वे कोई न कोई निश्चित घोषणा जरूर करेंगे कि इस संबंध में सरकार की निश्चित नीति क्या है और क्या नीति वे बनाने जा रहे हैं ।

इसके साथ ही मैं उन तमाम सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मेरी बातों का समर्थन किया इस संबंध में सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सारे सम्मानित सदस्यों का विशेष कर माननीय तिवारी जी का आभारी हूं कि उन्होंने रेवेन्यू के बजट की चर्चा में भाग लिया और सभी माननीय

सदस्यों ने किसी दल विशेष के आधार पर नहीं बात कही बल्कि बहुत रचनात्मक सुझाव दिये, इसके लिये मैं सबका धन्यवाद करता हूं ।

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने कुछ प्रश्न उठाये थे, इतना समय नहीं है कि मैं उनकी सब बातों के उत्तर दे सकूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मंगलदेव कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो उन्होंने कहा कि उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं किया गया है, मैं आपके माध्यम से उनको सूचित करना चाहता हूं कि उसकी अधिकांश सिफारिशों का इम्पलीमेंटेशन कराया जा चुका है । कुछ जमीनें रह गयी है जिन पर कब्जा है, अभी उनके बारे में इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो सका है, ऐसे 82 केसेज विभिन्न कोर्ट में पड़े हुए हैं न्याय के लिए, उनके कारण इम्पलीमेन्टेशन रुका हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास है कि शीघ्र ही इसके क्रियान्वयन को पूरा किया जायेगा ।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के बारे इस पक्ष के और उस पक्ष के सदस्यों ने कुछ बातें कहीं, में । जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि इसमें कुछ अवरोध है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन चीजों को दूर कर दें । इतनी पुरानी इस्टीट्यूशन, इसको और ज्यादा सक्रिय बनाया जाय, इस तरफ हम प्रयास कर रहे हैं ।

(इस समय 3 बजकर 17 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

एक बात और कही गयी डाईरेक्ट लैण्ड रिफार्म होने की, तो यह कार्य बोर्ड आफ रेवन्यू के द्वारा किया जा रहा है । जब एक संस्था यह काम कर रही है तो वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि दूसरे माध्यम का इसमें प्रयोग किया जाय ।

मैनुअल के बारे में कहा गया कि यह आउट डेटेड हो गया है तो इसको हम संशोधित करवा रहे हैं और यह रिवाईज होकर प्रकाशित हो गया है । जमीन जो हरिजनों को दी गयी शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राईब्स को उनके लिए कहा गया, तो इसका टोटल अलाटमेन्ट 14,04,737 हेक्टेयर एरिया शेड्यूल कास्ट को तथा और 4,08,718 हेक्टेयर का एरिया दिया गया है, शिडूलट्राईब्स को 1,94,822 हेक्टेयर भूमि दी गयी है, परन्तु इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं, मैं इनकी शिकायतों को गलत नहीं कहता, लेकिन इनको दूर करने के लिए जहां सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, वहीं पर यदि आप लोग भी अपना पूरा सहयोग दें तो यह कार्य दूनी गति से हो सकेगा । माननीय तिवारी जी ने कहा कि जो लोग वृद्ध हैं, कमजोर हैं, इन्फर्म हैं, ऐसे लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए, मान्यवर यह तो बहुत अच्छा सुझाव है, और ऐसा किया जा सकता है कि जो ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, उसके साथ इन बे-सहारा लोगों को भी जोड़ दिया जाय और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में अपने भाषण के दौरान कुछ कहा भी है कि इस ओर भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट है । इसके नाते कम से कम ऐसे लोगों को फायदा अवश्य पहुंचाया जाए, लेकिन हमारे साथ वित्तीय सीमाएं भी बहुत है, इन सीमाओं के रहते हुए सारे कार्य करना चाहते हुए भी, नहीं कर पा रहे हैं । हमारे यहां कोआपरेटिव फार्मस हैं, शुरू में जमींदारी एबालीशन में इसे रक्खा गया था, लेकिन बाद में इसे यू0 पी0 कोआपरेटिव में कर दिया गया । अब यह काम वह लोग देखते हैं । बागों के बारे में माननीय तिवारी जी ने कहा इस वक्त जो छोटे-छोटे बागात हैं, उनकी सीलिंग में काफी कठिनाई पैदा होती है, इस वक्त जो ढाई एकड़ के बाग हैं, उनको इस एक्ट में शामिल कर लिया गया है । इसी प्रकार से और भी बहुत से सुझाव माननीय श्याम लाल जी ने दिए और यह भी कहा कि एस0सी0/एस0 टी0 को जो जमीनें मिलती हैं, वह तालाबों व पोखरों आदि खराब जगहों पर दे दी जाती हैं, इसी बात को माननीय तिवारी

जी ने भी कहा, यह सही है और हम यह कोशिश भी कर रहे हैं कि इनको अच्छी जगह जमीनें आवंटित का जाएं, लेकिन जमीनों की चोरी और जबरदस्ती कब्जा करने की जो शिकायतें हैं, जो असरदार लोग हैं, वह कई तरीकों से जमीनों के पट्टे अपने नाम से करा लेते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इस ओर भी सरकार का सक्रिय कदम उठाना आवश्यक समझती है लेकिन हमारे जितने भी जन प्रतिनिधि हैं, उनसे एक निवेदन इस ओर यह कहना है कि वह अपने-अपने क्षेत्र की ऐसी तमाम समस्याओं की एक सूची बनाएं तथा उनको भी ऐसे मामलों की स्वयं भी सुरक्षा करनी होगी, इस प्रकार से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है । माननीय अंचल जी ने स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कहा कि बहुत चोरी हो रही है, इस संबंध में जहां पर भी इस प्रकार की कार्यवाही हो रही हो हमें निश्चित सूचना दें, हम उसे दिखवाएंगे और मान्यवर यह भी यहां पर कहा गया कि 1985 से पहले जिन एस0 सी0/एस0 टी0ज0 को जमीनें दी गयीं, उनसे वह जमीनें जबर्दस्ती खाली कराई जा रही हैं, अगर कोई स्पैसिफिक केस है, इसके बारे में वह बता दें, हम इसको निकलवा कर दिखवा लेंगे । दूसरे मान्यवर माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने कहा कि रेवेन्यू विभाग के जो आफिसर्स हैं और काम करने वाले हैं, उनकी ऐक्टीविटीज ठीक नहीं हैं, हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसा हो, इस ओर भी हम सक्रिय कदम उठाएंगे तो उनको सक्रिय होना पड़ेगा । जब वह राजस्व का काम करते हैं, तो उनको पड़ताल करनी ही पड़ेगी । लेखपालों के बारे में कहा गया कि वे अपनी जगह पर नहीं रहते हैं, कुछ लोगों का सुझाव है कि उनको तहसील के बाहर किया जाये और कुछ लोगों का सुझाव है कि उनको अपने गांव के पास रखा जाये, अभी तक तो तहसील के बाहर रखने की प्रक्रिया है । अब इस पर भी विचार कर लिया जायेगा । माननीय यदूनाथ सिंह ने खुजरावल के बारे में कहा और कैमूर के बारे में भी कहा । उन्होंने कहा कि अधिकारी और लेखपाल वहां पर नहीं ठहरते हैं । कैमूर में जो आदिवासी हैं, उनका कब्जा हटाया जा रहा है । कैमूर का क्षेत्र है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उसी जिले से सम्बन्धित हैं, जमींदारी एबोलिशन की जो धारा 131 है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है । धारा 131-ए बनायी गयी है, जिसके द्वारा उनके पजेशन को नियमित कर दिया जायेगा, इसमें चिन्ता करने की बात नहीं है । इसी प्रकार से हर्ष वर्धन जी ने कहा कि चकधर तहसील के बारे में लैंड एक्वीजिशन का मामला शासन में लम्बित है, मान्यवर उसको देखा जायेगा ।

पूरन सिंह माहरा जी ने कहा कि पहाड़ों पर भी चकबन्दी होनी चाहिए और रानीखेत की बात उन्होंने कही, तो मान्यवर, जहां-जहां पर चकबन्दी हो सकती है, वहां-वहां पर करने का हमारा प्रयास रहता है । जहां की जमीन बराबर है वहां पर हम चकबन्दी कराने के लिये तैयार है । मान्यवर जिलों के बारे में कहा गया, तो मान्यवर इस समय वित्तीय स्थिति ऐसी है कि कोई अन्य जिला नहीं बनाया जा सकता है, डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात अच्छी है और यह भी कहा गया कि जिन तहसीलों को रिकमेन्ड किया गया है, उनको बना देना चाहिये, लेकिन इस समय नये जिले और तहसील बनाने की क्षमता शासन की नहीं है । एक तरफ सूखा और बाढ़ और दूसरी तरफ तनख्वाहें रिवाइज हुई हैं, जिससे वित्तीय भार बढ़ा है । हम डिसेन्ट्रलाइजेशन की ओर कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं । मान्यवर, सूखा राहत सम्बन्धी कार्यों में कहीं-कहीं पर गड़बड़ी हुई है । मान्यवर, यकीनन यह हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी जगह पर काम ठीक ही हुआ है । लेकिन जहां पर काम गड़बड़ हुये हैं, वहीं पर बहुत से काम अच्छे भी हुये हैं । जो बातें कहीं गयी हैं उनको जनरलाइज्ड कर दिया गया है, स्पेसिफिक नहीं बताया गया है । जहां पर स्पेसिफिक माननीय सदस्य बता देंगे वहां पर जांच की जायेगी और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । माननीय अधिष्ठाता जी ने कह ही दिया है कि लिखकर अपने सुझाव दे दें, उस पर कार्यवाही की जायेगी । लैण्ड स्लाइड्स की बात कही गयी, और आंधी से जो नुकसान होता है, मैं काशी सिंह ऐरी का ध्यान आकृष्ट करना

चाहता हूं कि इन चीजों की ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा और राहत पहुंचायी जायेगी । काशीपुर में चकबन्दी के लिये कहा गया है, ललितपुर में कुछ एसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी हैं और चकबन्दी नहीं करायी जा सकती है । खटीमा और किच्छा में चकबन्दी की बात कही गयी है, तो मान्यवर वहां पर केस हाई कोर्ट में चल रहा है और वहां पर चकबन्दी नहीं हो सकती है । काशीपुर के बारे में उन्होंने कहा, उसे हम दिखलवा लेंगे कि कौन-कौन से एरियाज की चकबन्दी हो चुकी है और जहां हो सकती है वहां पर शासन चकबन्दी करायेगा ।

माननीय मूलचन्द जी ने; कमला साहनी, देवता दीन, राज किशोर जी ने भी कुछ सुझाव दिये । मूल चन्द जी ने एक शेर भी पढ़ा । माननीय राज किशोर जी ने कहा कि जमीन को बांटने के लिये सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिल जाय तो वे माननीय तिवारी जी से कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये निवेदन करेंगे । मान्यवर, मैं समझता हूं कि वे अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग रहेंगे । माननीय तिवारी जी भी इस बात को मानेंगे क्योंकि वे भी एक वरिष्ठ सदस्यों में से हैं । गंगलदेव विशारद कमेटी ने जो संस्तुतियां की थी लैण्ड एक्विजिशन के मामले में, उसको लेकर कुछ लोग कोर्ट में चले गये । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत जो जमीन हमको मिलेगी वह पात्र व्यक्तियों में बांटी जायेगी । अब मान्यवर, इस घोषणा के बाद जो बात उन्होंने सदन के सामने कही कि वे माननीय तिवारी जी से कटौती के प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करेंगे . . . . (व्यवधान) मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी जब अधिष्ठाता रहते तो बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन वहां पर पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है ।

माननीय फजलुल बारी साहब नदियों के बारे में कहा कि नदियों की धारायें बदलती रहती हैं, उनके कोर्स बदलते रहते हैं । मान्यवर, बदलते तो वह भी नदियों की धारा की तरह हैं, रास्ता तो वे भी बदलते रहते हैं । इस सम्बन्ध में 8 तारीख को मैंने इस सदन में कहा था कि गोंडा और बस्ती के जिलाधिकारी को उनके सारे लैण्ड रिकार्ड्स के साथ यहां बुलाया गया है । उसमें हम बारी साहब को बुलाकर देखेंगे कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है । मथुरा के बारे में और तमाम दूसरे जिलों के बारे में उन्नाव के बारे में यह बात कही गई कि वहां पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है । इनके समाधान के लिये हम पूरा प्रयास करेंगे और उसके लिये मीटिंग बुलायेंगे ।

वक्फ की जमीन के बारे में फजलुल बारी साहब ने कहा कि उनका गलत इन्द्राज किया जाता है । यह सही है कि जो भी ट्रस्ट की प्रापर्टी है वह किसी धर्म से संबंधित नहीं है । उसमें जो गलत इन्द्राज की बात कही गई है उसको दूर करने के लिये सरकार सक्रिय है । माननीय हरीश जी ने कहा कि अरबन एरियाज में जमींदारी अबोलिशन के बारे में सरकार क्या कर रही है । सरकार इसके बारे में सक्रिय है और उसके उन्मूलन के बारे में बराबर कार्यवाही कर रही है । . . . (व्यवधान)

मान्यवर, माननीय पारस नाथ जी ने जौनपुर के बारे में कहा कि अभी तक वहां पर चकबन्दी पूरी नहीं हुई है । जिन गांवों में चकबन्दी पूरी नहीं हुई है उसकी सूची हमने मंगा ली है । उसके साथ ही हम यह आदेश भी दे रहे हैं कि जहां पर बहुत दिनों से चकबन्दी चल रही है उसको जल्दी पूरा करा लिया जाय । मान्यवर, इस तरह से जिन माननीय सदस्यों के अपने-अपने सुझाव इस बारे में दिये हैं मैं उन सभी का आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि जो सुझाव हमें यहां पर मिले हैं वह हमारे लिये मार्गदर्शन का काम करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर तिवारी जी से निवेदन करूंगा जिन्होंने शुरू में जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था वे हमारे बुजुर्ग हैं हमें मार्गदर्शन देते हैं

उन्होंने दिल से नहीं चाहा कि कटौती रखी जाय और वह आगे बढ़ गये तो संसदीय परम्परा में यही है कि जब कोई आइटम एजेंडा का पीछे रह जाता है वह स्वयं खतम हुआ समझा जाता है तो इस तरह से वह कटौती का प्रस्ताव खत्म ही हो गया है और फिर माननीय राजकिशोर जी ने कहा था कि ऊपरी दिल से पेश किया है और उसे वह वापस करा देंगे । तो मैं इस निवेदन के साथ तिवारी जी से कहूंगा कि वह वापस ले लें । एक बात और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कल कहा था सम्मानित सदस्य यहां पर जो बात कहते हैं यह सच कहते हैं और वह सही मानी जाती है इसलिये भी मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से दो एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी किसानों की उपजाऊ भूमि को उद्योगों के लिये और आवास के लिये नहीं ली जायेगी उसके लिये क्या कोई ऐसा कानून बनायेंगे कि जिससे भविष्य में खेतिहर भूमि अर्जित न हो सके ?

दूसरा जो 115 (सी) में जुर्माने की धनराशि जमा है उसको ग्राम सभाओं को तत्काल वापस किया जायेगा ताकि वह वहां के विकास कार्यों में खर्च हो सके ? क्योंकि वह तहसीलों में जमा है उसे तत्काल ग्राम सभाओं को वापस कर दी जाय जिससे विकास के कार्य शुरू हो सकें ।

तीसरी बात फिरोजाबाद को जिला बनाने के लिये कब तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे ताकि हमारी तकलीफ दूर हो सके ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है कि जो जमीन एक्वायर करती है तो उसमें इस वक्त मौजूदा कानून में यह है कि जो एग्रीकल्चरल लैण्ड है जहां तक हो सके उसे न लिया जाय । इसके अन्दर अगर कोई कानून बनाने की जरूरत होती है कि किसानों की जमीन सुरक्षित रखी जाय तो उसमें भी यह बात कर ली जायेगी उसमें कोई हिचक किसी तरह की नहीं है ।

जहां तक 115 (सी) के बारे में वर्मा जी ने कहा इस मामले को दिखा लेंगे हमारा खुद प्रयास है कि ग्राम सभाओं को, ग्राम प्रधानों को जितना ज्यादा हो सके वित्तीय तरीके से मजबूत बनाया जाय ।

एक बात और कहना चाहता हूं जहां कहीं जमीन एक्वायर कर ली गयी है और फैक्ट्री बन गयी है वहां हमारे इंस्ट्रक्शन है कि उन लोगों को जिनकी जमीन ली गयी है उनके परिवार के एक सदस्य को फैक्ट्री में रोजगार दिया जाय । लेकिन मनोहर लाल जी ने बताया कि बाहर के लोग रखे जा रहे हैं । तो इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि जिनकी जमीन गयी है उनके परिवार से कम से कम एक आदमी को रोजगार दिया जाय ।

तीसरी बात वर्मा जी ने फिरोजाबाद को जिला बनाने की कही । फिरोजाबाद तो हम लोगों के घरों की रौनक है । माननीय वर्मा जी प्रदेश और देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी चूड़ियां भेजते हैं । तो उनकी वजह से सबका सुहाग जीनत है । वर्मा जी जहां नहीं होते वहां सुहाग नहीं दिखाई देता है । तो जैसे ही वित्तीय साधन होंगे इस दिशा में भी काम करेंगे और इसे जिला घोषित करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे लिये कहा कि मैं उस (मा0 अध्यक्ष) कुर्सी पर जाता हूं तो ठीक हो जाता हूं लेकिन यहां गड़बड़ हो जाता हूं। मान्यवर, मैं तो एक ही रहता हूं लेकिन कुर्सियां बदलने से फर्क पड़ता है वह कुर्सी जहां आदमी जाने के बाद आदमी नहीं कुर्सी बोलती है और यहां प्रतिपक्ष का सदस्य होने के नाते मुझे अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। तो मान्यवर, उसी के तहत मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। एक बात यह कि रेवेन्यू कोड के सम्बन्ध में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था जनता पार्टी के शासन में राजस्व संहिता सम्बन्धी प्रवर समिति में मैं सदस्य रहा और आपकी सरकार बनी तो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था सदस्य रहने का। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह बिल मौजूद है, सदन में पेश हुआ था, शासन की नीति उसमें क्या है, आप उसको विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा रखें है या छोड़ दिया है, इसकी जानकारी दे दें ?

दूसरी बात हमारी तरफ के माननीय सदस्यों ने बल देकर कहा कि किसानों के प्रति प्रताड़ना की कार्यवाही होती है जिसमें आपने 31 जनवरी तक प्रताड़ना की कार्यवाही स्थगित किया था। मैं जानना चाहता हूं कि 1 फरवरी को काश्तकार के पास कहां से पैसा, आय, हो जायेगा कि लगान दे देंगे। दूसरी बात सही है कि कई-कई फसलों की लगान स्थगित किया था, छूट दिया था, सीतापुर के जिला अधिकारियों की ओर से छूट के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुये लेकिन आज तक मैं तो कहता हूं कि किसी भी जिले में छूट की स्वीकृति नहीं गयी, इसलिये कई फसलों का लगान एकीकृत होकर किसान पर भार है और प्रताड़ना की कार्यवाही हुई है। तो क्या मंत्री जी आप घोषणा करने को तैयार हैं कि आगे 2-ढाई महीनों तक जब तक खड़ी फसल कटकर किसानों के घर में न आ जाये तब तक लगान वसूली के सम्बन्ध में प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पहले प्रश्न में जो गुप्त जी ने कहा है कि रेवेन्यू कोड के सम्बन्ध में विधेयक लाने का इरादा है कि नहीं, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि उसका इरादा है कि नहीं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसका इरादा है।

दूसरे प्रश्न में जो उन्होंने प्रताड़ना की बात कही है तो पिछले दिनों से सारी प्रताड़ना विक्टीमाईजेशन की कार्यवाही रोक दी गयी है। लेकिन नान एग्रीकल्चरल डयूज के बारे में वसूली करने की बात है। (व्यवधान) मान्यवर, सदन की भावना को देखते हुए इस पर पुनः विचार करेंगे।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह भी कहा कि उस (माननीय अध्यक्ष) कुर्सी पर बैठते हैं तो कुछ और एवं जहां बैठे हैं वहां की कुर्सी पर कुछ और होते हैं, तो बाराबंकी में एक और कुर्सी है वहां कहीं न वह चले जायं।

श्री महेन्द्र भाटी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किसानों से राजस्व विभाग जमीन अधिगृहीत करता है और दूसरे को बेचता है और जमीन की किस्म के हिसाब से मुआवजा उसका दिया जाता है और जब अर्जन निकाय से वह जमीन ले लेता है तो वह समान रेट पर उसे बेचता है, तो क्या मंत्री जी इस तरह का कैटगराइजेशन खत्म करके सभी किसानों को समान मुआवजा देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट की शायद धारा 84 है, उसमें मार्केट रेट पर मुआवजा देने का प्राविधान है, जमीन की जैसी भी क्वालिटी हो, तो उसके अनुसार उसी हिसाब से दिया जाएगा ।

श्री महेन्द्र भाटी—

ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मैं स्पष्ट किये देता हूं, भाटी जी का कहना है कि जब किसान से जमीन अधिग्रहीत की जाती है तो उसमें जमीन की श्रेणीबद्धता बांध दी जाती है कि यह 'ए' श्रेणी की है, यह 'बी' श्रेणी की है और उसी हिसाब से उसको (कृषक को) मुआवजा दिया जाता है और जब उसे संस्थान लेता है और वह उस जमीन को बेचता है तो उस समय श्रेणी बद्धता नहीं होती है और एक रेट पर सारी जमीन बेची जाती है, इसलिए इनका कहना है कि इसलिए किसान से जमीन लेते समय पर भी कई इस प्रकार की श्रेणीबद्धता न हो और सबको उनकी जमीन का समान रूप से मुआवजा दिया जाए ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने पहले अभी यह बात कही थी, इसकी ओर इशारा किया था कि जमीन अकसर कम दामों पर ली जाती है और दूसरा आदमी ज्यादा कीमत पर लेता है, इस तरह एग्रीकल्चरल लैण्ड का एक्वीजीशन खत्म किया जाये और जो जमीन ले रहे हैं वह उसको सीधे लें । डवलपमेन्टल चार्जेज के नाम पर जमीन का ज्यादा दाम लगा दिया जाता है, तो इसका फायदा कालोनाइजर्स को पहुंचता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि यह फायदा किसान को तहूंचे, बजाए थर्ड पार्टी के ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

आपके चकबन्दी एक्ट में यह प्राविधान है कि जिन गांवों की चकबन्दी कर दी गई है, वहां पर 10 साल तक पुनः चकबन्दी नहीं की जाएगी । किन्तु इससे समस्या यह होती है कि जहां पर बड़ी-बड़ी नहरें बन रही हैं और उसमें काफी जमीन किसानों की जा रही है और छोटे किसानों की तो पूरी की पूरी चक चली जा रही है और वहां पर चकबन्दी हो चुकी है, इस नाते वह बिलकुल भूमिहीन हो जाते हैं और जब चक निर्धारण की बात कहते हैं तो कहा जाता है कि यह कार्य अभी 10 साल से पूर्व नहीं हो सकता है । जब श्री बैजनाथ कुरील राजस्व मंत्री थे तो उस समय भी यह बात आई थी, तो क्या वह चकबन्दी एक्ट में कोई इस तरह का संशोधन करेंगे कि जहां पर बड़ी नहरें या बड़ी योजनाओं का निर्माण जनहित में किया जा रहा है और वहां 10 साल चकबन्दी हुए पूरे नहीं हुए हैं, उन जगहों पर जो कम्पेन्सेशन किसानों को दिया जाता है उसको समायोजित करते हुए छोटे और बड़े किसानों को मिलाकर, अनुपात में जमीन वहां पर निकाली जाए और पुनः चक निर्धारित कर दिये जाएं ?

जो इस सदन में कुछ सदस्यों ने यह कहा कि लेखपाल आदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस समय ग्राम्य विकास विभाग की ओर से हर न्याय पंचायत स्तर पर सामुदायिक विकास केन्द्र बनाए जा रहे हैं, इसमें राजस्व मंत्री जी राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि वह महीने में एक या दो दिन न्याय पंचायतों के सामुदायिक विकास केन्द्र पर उपस्थित रहें, ताकि उस क्षेत्र के लोग उनसे वहां पर भेंट कर सकें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो प्रश्न दिवाकर विक्रम जी ने कहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें जगह-जगह से आपत्तियां मिली हैं, लोग कठिनाई महसूस करते हैं, इसमें हम पुनर्विचार कर रहे हैं । इसमें होना यह चाहिए कि ग्राम्य विकास मंत्री जी से भी हम इस बारे में कहेंगे, इसमें शासन की तरफ से एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए कि कहां पर स्कूल हों और कहां पर क्या चीज हो । जैसा कि विक्रम जी ने कहा है कि हर गांव में 12 लाख से अधिक लोग हैं, तो हर गांव के अन्दर मास्टर प्लान तैयार कराना चाहिए । दूसरा सुझाव जो है वह बहुत अच्छा है इसमें आदेश करने पर विचार कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, तिवारी जी ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया और प्रश्न भी उपस्थित हो गया ।

श्री अम्मार रिजवी—

तिवारी जी प्रस्ताव वापस ले रहे थे, उन्होंने इसको वापस ले लिया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी राजस्व मंत्री के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो यह गलत और असंसदीय परम्परा डालने की सलाह कैसे दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर इनसे साफ-साफ घोषणा करवा दें हम साफ घोषणा की अपेक्षा करते हैं कि प्रताड़ना की कार्यवाही रोकी जाए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे दें । क्या मंत्री जी जब तक नयी फसल किसानों की कटकर नहीं आ जाएगी तब तक उत्पीड़न और गिरफ्तारी की कार्यवाहीं स्थगित करने के मंत्री जी आदेश देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने स्पष्ट घोषणा नहीं की है, इनका इरादा किसान विरोधी है, इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं । (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 41,87,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 11,68,12,000 रुपये से अनधिक धन-राशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,18,51,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,0000,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन, संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 85,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के अंश-व्ययक की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)—

(समय 3 बजकर 58 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 29,99,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 23,54,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आप तो जानते हैं कि मिल मालिकों को और मजदूरों को एक ऐसी विशेषता है कि जिसमें अच्छे वातावरण कायम रखना जरूरी है । उत्पादन को बढ़ाने के लिये और तमाम कारखानों को ठीक से चलाने के लिये यह मुश्किल काम है और श्रम विभाग श्रम कल्याण का काम करता है । जहां एक तरफ तालाबन्दी होती है, दूसरी तरफ हड़तालें होती हैं । हड़तालों से कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे इन श्रमिक भाइयों को काफी अरसे तक तनख्वाह नहीं मिलती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि लाकअप होने की वजह से उनको काफी नुकसान होता है तो इस सबके लिए श्रम विभाग ने यह तय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जिनकी शिकायत होती है, उनके केसेज को हम कंसल्टेंट्स के पास भेज देते हैं और जो ऐसे केसेज रह जाते हैं वे रिफरेंस किये जाते हैं, उसका फैसला लेबर कोर्ट करती है । जहां तक हड़ताल का सवाल है, हम यह कोशिश करते हैं कि आपस में बैठकर उसे तय किया जाय । इसमें हमको काफी कामयाबी मिली है । लाक-अप का जहां तक सवाल है, लाक-अप को देखते हुए हम यह कोशिश करते हैं कि उनकी शिकायत दूर की जाय । इसमें हमें अपने तमाम जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला है । हमने यह कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा झगड़ों को निपटायें । हमने इस साल मेसर्स यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के मामले का फैसला कराया है । हमने मेसर्स बिजली काटन मिल लि0, हाथरस के मामले का फैसला कराया । हमने मेसर्स स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के मामले का फैसला कराया । हमने मेसर्स स्वदेशी काटन मिल, नैनी, इलाहाबाद के मामले का फैसला कराया । हमने मेसर्स सहकारी

कताई मिल, बहेड़ी के मामले का फैसला कराया । हमने मेसर्स म्योर सेन्टर्स, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के मामले का फसला कराया । हमन मैसर्स अजन्ता टेक्सटाइल्स, गाजियाबाद के मामले का फसला कराया । हमने मेसर्स महमूदाबाद सहकारी कताई मिल, महमूदाबाद के मामले का फसला कराया । हमन मेसर्स उ0 प्र0 राज्य लघु उद्योग निगम, लोहिया मशीन, कानपुर के मामले का फैसला कराया । कुछ एसे भी केसेज है जिनके मामले में समझौता कराने की कोशिश कर रहे है । मेसर्स रायबरेली टेक्सटाइल के मामले में हम समझौता कराने की कोशिश कर रहे है । मेसर्स रामगढ़ जूट एण्ड टेक्सटाइल्स, वाराणसी के मामले में हम समझौता कराने की कोशिश कर रहे है । तो इसमें अर्ज करना है आपसे कि टेक्सटाइल्स में सारे मुल्क के अन्दर एक असमानता है और उनकी इकोनामिकल कंडीशन अच्छी नहीं है । हम कोशिश यह करते है कि हम उनके फैसला करायें और उनके मैनेजमेंट से कहें । हमने भारत सरकार के मन्त्री से भी कई दफा कहा है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक किया जाय और उनका इन्तजाम ठीक किया जाय । उनके मामलों में कहीं-कहीं पर देर लगती है, इसके लिए हम यह कोशिश कर रहे है कि उनके मामले जल्द से जल्द फैसला करायें जायं । उनके अच्छे इन्तजाम के लिए हमने श्रम कल्याण केन्द्रों पर यह कोशिश की है कि इनको दवाइयां मिले ।

हमने यह तय किया है कि हमारे जितने इ0 एस0 आइ0 के अस्पताल है, उनमें हमारे ज्यादा से ज्यादा भाइयों के इलाज हों और उनको हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचायें । इसमें एक बात यह देखने में आइ कि कुछ फर्जी सर्टीफिकेट बन जाती थी, इसके लिये हमने यह कोशिश किया है कि वह फर्जी सर्टीफिकेट्स न बनें, बल्कि जरूरतमंद लोगों को सर्टीफिकेट मिले । मिनिमम वेजेज के लिए हमने यह किया है कि साढ़े 11 रु0 खेतिहर मजदूरों को पूर्वी जिलों में दिया जाय और साढ़े 12 रु0 खेतिहर मजदूरों के लिए पश्चिमी जिलों में दिया जाय । इस रेट से कम किसी भी हालत में खेतिहर मजदूरों को उनका पारिश्रमिक न दिया जाय । हमने पश्चिमी जिलों में इस प्रकार के कुछ केसेज तय भी कर दिये है । इसी तरह से चाइल्ड वेलफेयर के लिए हमने कोशिश यह किया है कि भारत सरकार की सहायता से वेलफेयर सन्टर खोला जाय । वाराणसी में कालीन उद्योग हम खोल रहे है । फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग हम खोल रहे है । हम अलीगढ़ में ताले का उद्योग खोल रहे है और मुरादाबाद में हम बर्तन के उद्योग खोल रहे है । एसे ही इसके लिए मिनिमम वेजेज के लिए हमने तय किया है उसमें हमने ज्यादातर बैठक करके जो फैसला है, वह करा दिया है और यह कोशिश की है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर न लिया जाय उसके लिए हमने सख्ती के साथ मुआयना कराया है, प्राजीक्यूशन कराया है और यह जो सर्टिफिकेट है उनको बगैर देखे हुए न लिया जाय । हम आपके यहां फिरोजाबाद में खास तौर से एतराज नहीं करते हैं कि बच्चे काम करें । आपने चूड़ी उद्योग के लिए मिनिमम वेजेज के लिए कहा था लोई के लिए, कांच के लिए तो हमने तय कर दिया था लेकिन चूड़ी के लिए तय किया था तो उसके ऊपर उन्होंने हाईकोर्ट से, सुप्रीमकोर्ट से स्टे ले रखा था । हमने एक मीटिंग बुलाई थी कि इंटरिम रिलीफ दे दें और सम्मेलन करके यह तय करायें । उन्होंने कमेटी बनाकर यह कहा है कि सोच-विचार का मौका दीजिए । यह हमने इसके लिए कर दिया है, नहीं तो है तो हमें उम्मीद है कि हम शायद एक माह के बाद इसको तय कर देंगे, सोच-विचार से निर्वलीय कमेटी से तय हो तो ज्यादा अच्छा है । चमड़ा उद्योग के लिए हमने परसों ही तय कर दिया है कि उनकी मजदूरी बढ़ा दी जाय ।

हमारे बनारस में जो कारपेट का काम करने वाले हैं, कालीन उद्योग का काम करने वाले हैं हमने उनका भी वेजज का बढ़ा दिया है । इसका बैठकर हल तय कराया है । ज्यादातर त्रिदलीय सम्मेलन हो इसका तय कर लें, मिल कारखाने के सहयोग से अपने इन श्रमिक भाइयों के सहयोग से आसानी से वक्त की नजाकत को समझे । इस साल गन्ना ज्यादा है और इस साल जो रिकवरी है वह कम आ रही है तो हमने भी उनका एक फैसला करा दिया और उनका कुछ एडवांस दिलवा दिया जाय । ऐसे ही और उद्योगों में भी कोशिश की है कि बैठकर यह तय करा दें जैसे कि वनस्पति का है, चीनी मिलों का है, तो हमने यह कोशिश की है कि मिनिमम वेजज जो इनको फिक्स मिलती है वह उनको वक्त पर दिलवायें और वक्त पर उनको तनख्वाह और महंगाई भत्ता की बढ़ोत्तरी । तो यह श्रम विभाग ने कोशिश की है, जितने भी आपस के भाई-चारे से बैठकर उन मामलों को तय किया जा सके, उसको हम करें ।

ई0 एस0 आई0 हास्पिटल के लिए हमने 2 कानपुर में और एक बरेली में इस साल खोला है, एक पिपरा में और अलीगढ़ में । हम तीन हास्पिटल और खोल रहे हैं, एक फिरोजाबाद में तो 50 बेड का हास्पिटल खोलने के लिए सोच रहे हैं । तो इन हास्पिटल के डाक्टरों की तादाद को बढ़ाकर हमारी यह ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोल कर और अच्छे स्पेशलिस्टों को रखकर हम ज्यादा से ज्यादा श्रमिक भाइयों को राहत पहुंचा सकें । मान्यवर, बीड़ी मजदूरों का मामला त्रिदलीय सम्मेलन करके तय कराया और कोशिश की कि उनको राहत तुरन्त पहुंचे । इनका वेलफेयर का एक डिपार्टमेन्ट है हमने कोशिश की है कि उनको फीस मिले, उनके बच्चों को वजीफा मिले । उनके लिए 5 जगह हमने सेलेक्ट की है जितने छोटे मकान हैं, ग्रामीण आवास निगम है उसमें हमें 500 मकान उनके लिए बनाने हैं और अस्पताल की मूविंग डिस्पेंसरी जो है वह उनके लिए इन्तजाम किया है तो वह बीड़ी मजदूरों के लिए है ।

मान्यवर, ऐसे ही पत्थर मजदूरों के लिए भी मूविंग डिस्पेंसरी कायम की गयी है । तो यह बीड़ी मजदूरों को, पत्थर मजदूरों को, श्रमिक भाइयों के लिए हमने यह किया है । सेवायोजन के लिए, ट्रेनिंग के लिए हमने आई0 टी0 आई0 नये खोले हैं । 19 इस साल और अगले साल 26 खोल रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो आई0 टी0 आई0 के इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी हमने बढ़ाया है । हमने पिछले 3 सालों के अन्दर आई0 टी0 आई0 के ट्रेनीज को दुगुनी कर दिया । इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं, एडेड इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें भी आई0 टी0 आई0 का ट्रेड खुलवाकर उनको मान्यता दी है । और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि आज यह वातावरण हो कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जैसा कि साउथ में हैं, लोग उनको खोलें और उसमें बच्चे पढ़कर निकलें । मुझे उम्मीद है कि इससे वे अपने को स्व रोजगार के लिए, कारखानों में काम करने के लिए तैयार कर सकेंगे । आज बी0 ए0 और एम0 ए0 करने से ज्यादा फायदा नहीं है । मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसको तवज्जह दी है और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं । मैंने मा0 प्रधान मंत्री जी के मेहरबानी से एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के लिये भेजा है, जिसको सेन्ट्रल कैबिनेट ने पास करके भेजा है । वहां की टीम ने आकर देख भी लिया है कि इस सब में विस्तार की जरूरत है । हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स की मदद करके आई0 टी0 आई0 का हम विस्तार कर सकेंगे । आई0 टी0 आई0 पास करने के बाद जो लड़के जाते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिये भेज देते हैं, उनको भी वजीफा मिलता है । वे 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें कोई जाब भी मिल सकता है । इसी प्रकार से इम्प्लायमेन्ट में जो रजिस्ट्रेशन हैं, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से

ज्यादा जाब उनको दिलवा सकें । इसमें भी काफी प्रगति हुई है । तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको पास किया जाय और जो विचार मा0 सदस्य दें, उस पर हम सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे । श्रम एवं श्रमिक भाइयों के हित में, तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिये और उनके अच्छे इन्तजाम के लिये जो अच्छे सुझाव दें, हम उनका स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से आपके विचारों का स्वागत करके हम उनका एक्जीक्यूशन कर सकें ।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (सेवायोजन) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मा0 मंत्री जी ने अभी जो बजट प्रस्तुत किया है, वह उन परिस्थितियों में है, जबकि प्रदेश के 13 हजार छोटे उद्योग बन्द हैं । श्रमिक मौत के कगार पर खड़ा है । रत्ना शुगर मिल में वर्षों से श्रमिकों को तनख्वाह नहीं मिल पायी है । वहां पर श्रमिक भूखों मर रहे हैं और मा0 मंत्री जी का विभाग उनको तनख्वाह नहीं दे सकता है । मा0 मंत्री जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 30 करोड़ का बोझ लादे हुए लक्ष्मी जी की सवारी चल कर किसी कब्रिस्तान में जाकर चहक रही हैं । मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, आप उस पर निगाह डालें । श्रीमन् इन्होंने चिकित्सा पर 10 करोड़ धन, रोजगार पर 9.45 करोड़ और श्रम कल्याण पर 9.53 करोड़ लिया है । श्रीमन् इस पर केवल साढ़े नौ करोड़ श्रम संबंधों पर है ।

एस0 आई0 की बात आयी, एस0 आई0 आप जानते हो माननीय मंत्री जी, एस0 आई0 अब दवा का मोहकमा नहीं रह गया है, छुट्टी लेने का कारखाना बन गया है । न अब वहां दवा है न इलाज होता है, वह तो छुट्टियों के लिये है । दूसरी आपकी सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि है श्रम संबंधों से इसका कोई गहरा ताल्लुक नहीं है । श्रम संबंधों की बात आप कह रहे हो, आपकी कंसलटेशन मशीनरी बड़ी कमजोर है । आपकी श्रम अधिकारियों की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है, विवाद बढ़ रहे हैं, श्रम अधिकारियों को बुलाने पर उनके यहां कारखाना मालिक आता तक नहीं है । तीसरा आपका मोहकमा है सामाजिक सुरक्षा यह कानून लागू करने के लिये नहीं है, अपराधियों को मुफ्त सलाह देने के लिए है कि कैसे अपराध से वह बच जायं । मान्यवर, बड़ी अजीब स्थिति हमारे प्रदेश में पैदा हो गयी है कि रजिस्टर्ड बेरोजगार तो 32 लाख हैं और रोजगार पाने वाले 32 हजार हैं । जहां रोजगार देने का सवाल है वहां संख्या हजार में है, बेरोजगार कहने का सवाल है वहां संख्या 32 लाख है ।

मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि हड़तालों के जमाने में जितने दिन बेकार जाते थे आज मिलबन्दी से उससे कहीं अधिक दिन श्रमिकों के बेकार जा रहे हैं । पूरी श्रम व्यवस्था जो है, वह चौपट हो गयी है । रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, भर्ती बन्द हैं और फैक्ट्री बन्द हो रहीं है । कानपुर की जूट मिल बन्द है । मंत्री जी ने कहा स्कूटर इंडिया बन्द होने जा रही है । कानपुर की केमिकल फैक्ट्री बन्द है, रत्ना शुगर मिल 3 साल से बन्द है । रायबरेली की टेक्सटाइल मिल बन्द है स्वदेशी । लालकृष्ण, सहारनपुर

के बारे में आपने कहा कि समझौता कर रहे हैं, लेकिन वह भी बन्द ही है । कानपुर में स्थिति यह है कि मिलों में 3 साल से भर्ती बन्द है । पांच साल के अन्दर बहुत सारे श्रमिक रिटायर्ड हो गये, अब यहां रिटायर्ड होने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन भर्ती बन्द है । अब वहां एक-एक करके खातों को कपड़ा मढ़ाया जा रहा है, वहां खाते बन्द हो रहे हैं ।

अभी आपने कहा कि खेत मजदूर का मिनिमम वेजेज तय कर दिया गया है साढ़े ग्यारह रु0 और साढ़े बारह रु0 । तय आप कुछ कर दें लेकिन वह दिला भी पा रहे हैं या नहीं ? कागज पर सरकार ठीक है, इसकी नीतियां अच्छी हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति कुछ और है । आपने मिनिमम वेजेज तय कर दिया, गांवों में इसकी स्थिति क्या है, उसको भी आप देखें । जब-जब किसान का गेहूं लेते हैं, धान लेते हैं तो उस वक्त उसकी कास्ट में साढ़े ग्यारह रु0 साढ़े बारह रु0 मजदूरी का भी ध्यान रखते हैं ? उसमें आप इसे नहीं जोड़ते हैं । आपने यह जो साढ़े ग्यारह रु0 साढ़े बारह रु0 कर दिया है और भी चाहे कुछ कर दें यह करके आपने एक तरह से किसानों और खेत मजदूरों में संघर्ष कराने के लिए द्वार खोल दिये हैं । किसान के लागत मूल्य और उसके गल्ले के मूल्य में मजदूर की मजदूरी भी जोड़ो । आपने 11.50 तय कर दिया और 12.50 तय कर दिया, इसका मापदण्ड क्या है ? गरीबी की सीमा रेखा, बेरोजगारी की सीमा रेखा-इस सिद्धान्त के रूप में यह स्थिति अजीब सी है ।

फैक्ट्रियों के मजदूर को आप कहते हैं कि 550 रुपया दे रहे हैं । इस प्रकार उत्पादन में लगा हुआ एक कुशल मजदूर 550 रुपये पाता है और उसी फैक्टरी में काम करने वाला एक चपरासी 750 रुपये पाता है, मान्यवर, आज यह स्थिति इस प्रदेश में पैदा हो गई है । न्यूनतम मजदूरी की बात कही गयी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी कहीं और दिलाइये या न दिलाइये, लेकिन अपने श्रमिकों को जरूर दिलवा दीजिये । मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 से दिलवा दीजिये, ब्रिज कारपोरेशन से दिलवा दीजिये, यहां भी यही स्थिति है । मान्यवर, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग आपके द्वारा तय की हुई न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है । मान्यवर, जब यह अपने डिपार्टमेन्ट्स से ही न्यूनतम मजदूरी नहीं दिलवा पा रहे हैं तो इन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि दूसरों से कहें कि न्यूनतम मजदूरी दो । आज तमाम जगह निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही है । मैं उन टेक्सटाइल मिलों की बात नहीं करता जो मालिकों के हाथ में हैं । मैं उन मिलों की बात कर रहा हूं जो सरकार की हैं ।

मान्यवर, बरेली में समझौता किया गया, लेकिन राजकीय कताई मिल में 5 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जा रही है । पूरे प्रदेश के राजकीय कताई मिलों में 2-2, 3-3 साल से पूरा उत्पादन देने के बाद भी मजदूर से ट्रेनिंग के नाम पर उसका शोषण किया जा रहा है । आपका विभाग उसे पूरी मजदूरी दिलाने में असमर्थ है । मान्यवर, रोजगार की बात आती है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कहीं की भी राजकीय कताई मिल हो, चाहे मऊनाथ भंजन की हो, रायबरेली की हो, बाराबंकी की हो, वहां पर आपके श्रम नियमों की हत्या हो रही है । हत्या करने वाले कोई और नहीं हैं, आपके अधिकारी लोग हैं । वहां पर जंगल का कानून चल रहा है । हर नियम का उल्लंघन वहां पर किया जा रहा है । मान्यवर, अकबरपुर के अन्दर दर्जनों श्रमिकों को निकाल दिया गया और उनको चार्जशीट भी नहीं दी गयी । मान्यवर, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आरोप लगाने से पहले, सफाई देने से पहले व्यक्ति को सजा दे दी जाये । मान्यवर, श्रम मंत्री के राज्य में यह आम हो गया है । कताई मिल के अन्दर श्रमिकों को बिना चार्जशीट दिये, बिना सफाई का मौका दिये निकाल दिया गया है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को कई बार लिखा जा चुका है किन्तु आज तक किसी भी मामले में इनका विभाग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका है । अगर यह स्थापित प्रदेश के अन्दर पता हो जायेगा कि लोग नियमों का उल्लंघन कर, कोई नियम हो न हो, उसी तरह से यह श्रम विभाग इस प्रदेश में अपना काम कर रहा है । खेत मजदूरों की बात आपने कहा कि आपने उनका मजदूरी तय कर दी । मैं यह बात आपकी अगर मान लें तो मजदूरों का बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का है, जो उत्तर प्रदेश के गांवों में खेत में काम करते हैं । मान्यवर, इस बजटमें उनके साथ वहां व्यवहार किया गया है जो वहां पर उनके साथ सामन्तों ने किया है । आज वह लोग जानवरों की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । उन लोगों में अधिकांश हरिजन हैं । मान्यवर, वह कुत्तों बिल्लियों जैसी जिन्दगी बसर कर रहे हैं । आपको अमेरिका इंग्लैंड में भी ऐसे मजदूर नहीं मिलेंगे, जैसा हमारे गांव का मजदूर है । मान्यवर, जो बंधुवा मजदूर हैं, खेत मजदूर है वह अगर कहे, कि हम काम नहीं करेंगे, तो वह काम नहीं छोड़ सकते । लेकिन यदि फैक्टरी का मजदूर काम न करना चाहे, तो उसे काम छोड़ने की आजादी है । केवल खेत मजदूर को इस व्यवस्था से वंचित रखा गया है । मान्यवर, यह अधिकार भी श्रम विभाग खेत मजदूरों को दिलाने में असमर्थ रहा है । आज अगर वह कह दे कि मैं ढाई किलो पर काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसके ऊपर गोली चलाई जायेगी उस पर लाठी चलाई जायेगी और उससे कहा जायेगा कि किस रास्ते से जाओगे और कहां से पानी पीओगे । आप कहते हैं 52 लाख है, लेकिन मैं कहता हूं लगभग 80 लाख श्रमिक हैं, जिनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है । खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं है । चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या उधर के बैठने वाले लोग हों, जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से आये हैं, गांव में खेतिहर मजदूरों की संख्या 90 परसेन्ट है और वो भी हरिजन हैं । इस बजट में खेतिहर मजदूरों के लिए स्पष्ट नीति आनी चाहिए थी । आपने न्यूनतम मजदूरी 11.50 व 12.50 रु0 कर दी, क्या इसे दिलाने के लिए आपने कोई मशीनरी बनाई है । जो सूत बनाये वह श्रमिक, जो बर्तन बनाये वह श्रमिक, जो खाद बनाये वह श्रमिक है लेकिन जो तड़पती धूप में और जाड़े में, जब इन्द्र देव गर्जना करते हैं, इस धरती मां को सींचता है और लोगों को अन्न देकर एक जिन्दगी देता है, लेकिन उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है, यह इस प्रदेश व आदरणीय सदन के लिए एक कलंक है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी श्रम समिति तय कर रही है । कानपुर जूट उद्योग, बर्षों हो गये हैं, वहां पर श्रमिक ड्यूटी दे रहा है, लेकिन साल भर से उसे वेतन नहीं मिल रहा है । वह 8 घण्टे ड्यूटी देता है । बिजली नहीं है पानी नहीं है फैक्ट्री के अन्दर । आई0 आर0 सी0 ने सिफारिश की थी, मुख्य सचिव के साथ मीटिंग थी, वर्षों गुजर गये, तारीख निर्धारित की गई थी कि 9वें महीने में पिछले साल, 1987 में इस पर निर्णय कर लिया जायेगा, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी लेबर पेन के बारे में काफी जानते हैं । वे बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मीटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उस मीटिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, समस्या का कोई निदान नहीं है । इसी तरह की स्थिति रही सुगर मिल की है, यहां पर भी श्रमिकों को 2 साल से वेतन नहीं दिया गया है । जहां जी0 पी0 एफ0 का पैसा भी गायब कर दिया गया है, ग्रेच्युटी और दूसरी चीजें गायब कर दी गयी हैं । माननीय श्रम मंत्री जी का विभाग असमर्थ रहा है वेतन दिलाने में । इसके साथ ही मैं अपनी बात लम्बी नहीं खींचूंगा । मैंने कटौती का [illegible] रखा है, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री आर0 एन0 पाठक—

माननीय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इस मजदूर विरोधी कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, इसलिए कि हमारे अजीज दोस्त अगर कटौती का प्रस्ताव रखना था तो बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखते, अगर चर्चा करनी थी तो सुझाव भी दे सकते थे । इसके साथ ही मैं इस कटौती के प्रस्ताव को मजदूर विरोधी मानता हूं ।

मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने लगन से, परिश्रम से मजदूरों के हितों की बात सोची है लेकिन श्रम कानूनों का पूरा-पूरा उल्लंघन हो रहा है और मंत्री जी के सामने हो रहा है । जब बताया जाता है तो मंत्री जी कहते हैं कि मेरी बात, मेरे आदेश मेरा विभाग नहीं मानता है ।

(मेजों की थपथपाहट)

आप मुख्य मंत्री जी से कहें कि श्रम मंत्री को इतनी ताकत दी जाय कि उनके आदेशों का पालन हो । उनको मजदूरों से पूरी हमदर्दी है लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं होता है । दर्जनों कारखाने बन्द हैं चाहे मोदीनगर हो या कानपुर हो । यह बहुत आवश्यक हो गया है, कारखानों की बन्दी का कोई कारण होना चाहिये, उनकी बन्दी से मजदूर परेशान हैं । मजदूरों का विक्टीमाइजेशन भी हो रहा है । अमौसी में कताई का कारखाना है, वहां पर श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जारी है । मैंने मंत्री जी को भी लिखा, विभाग को भी लिखा, लेकिन वे कारखाने वाले कहते हैं कि विभाग उनकी जेब में है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को ताकत दी जाय तो जरूर वह उन लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे ।

वृद्धावस्था पेन्शन की बात कही गयी है, 12 करोड़ की आबादी में अगर यह होता कि इतने लोगों को पेन्शन दी गयी तो मुझे खुशी होती । मैं निवेदन करूंगा कि इसको फीगर्स मंगवा लें ।

कानपुर उत्तर प्रदेश में लेबर कालोनीज हैं । मेरे समय में भी निश्चय हुआ कि इसको बेच दिया जाय, लेकिन वह नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी को भी दिलचस्पी है लेकिन कई बार आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है । वहां के सीवर बजबजा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेबर कालोनियों की हालत इतनी बदतर है कि बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है । वहां पर 20-20 हजार रु0 में मकान बिक रहे हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी को पूरी ताकत दी जाय कि जो लोग वहां रहते हैं, उन्हीं को मकान दे दिया जाय । गरीब आदमी मकानों से निकाला जा रहा है, बनिया और वकील उसमें आ रहे हैं । इसलिये व्यवस्था होनी चाहिये कि कालोनी बेच दी जाय ।

आई0 टी0 आई0 के बारे में कहूंगा, जितनी सुविधायें बतायीं, उसके लिये उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन आई0 टी0 आई0 की मशीनें बन्द पड़ी हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी में जाने की बात कही है, पूरी कार्यवाही हो रही है, नई तकनीक आ रही है और माडर्नाइजेशन हो रहा है कारखानों में, लेकिन जो हमारी आई0 टी0 आई0 की ट्रेनिंग है वह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आर्डिनेन्स फैक्ट्री है जिसका मैं तीस साल से जनरल सेक्रेटरी हूं, उनकी दो सौ यूनिट हैं, मैं कहता हूं कि आई0 टी0 आई0 के लड़कों को उसमें नहीं लिया जाता है, वे कहते हैं कि उनकी तकनीक घटिया किस्म की है । चूंकि हमारे प्रदेश का माडर्नाईजेशन हो रहा है, इसमें इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसमें कानपुर आई0 टी0 आई0 के लडकों को आने में रुकावट पैदा हो रही है इसलिये आप आई0 टी0 आई0 की ट्रेनिंग को बेहतर बनाइये और ऐसी क्षमता

पैदा करिये कि वहां के लड़के सक्षम हों, जो नई तकनीक आ रही है जिससे प्रदेश का माडर्नाईजेशन हो रहा है, उसके हिसाब से वहां के लड़कों को तयार किया जाय ।

मैं उद्योग के बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जूट मिल और जो मोदी नगर की मिल है, इस तरह की मिलों के ऊपर आप गम्भीरता से विचार कीजिये । इसमें जो हड़ताल की बात आयी है कारखानों को बन्द करने की बात आती है इसमें आपका श्रम विभाग निष्क्रिय है । तालाबन्दी की स्वीकृति दे देना, इसके लिये मालिक की पहले से लिखी हुई सरकारी अनुमति हो, मैंने पहले भी साफ कहा था कि किसी भी कारखाने में यदि आद्योगिक अशान्ति हो, आप तत्काल जाकर उसका दखें, समझौता करायें । आर्बीट्रेशन या रिकंसीलिएशन या एडजुडिकेशन में केस चला जाय तो कोई भी मजदूर प्रतिनिधि हड़ताल में नहीं जा सकता है ।

एक दो चीजें और हैं कि कंसीलिएशन और एडजुडिकेशन तथा त्रिदलीय सम्मेलन, जहां पर मजदूरों का तनखाह व वेजेज का मामला हो उसके निस्तारण की बातें हो और उसके वेतन का निस्तारण न हुआ हो तो वहां तत्काल त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये और निश्चय किया जाना चाहिये ताकि मजदूर हड़ताल पर जाने के लिये बाध्य न हों । इसके अतिरिक्त कारखानों में तमाम सुविधायें जो आपने दे रखी हैं, श्रम विभाग उनकी ओर से बिल्कुल निष्क्रिय है, कभी देखने नहीं जाता है कि कारखाने में जो धन लगा हुआ है, उतना काम हो रहा है या नहीं ?

मैं समझता हूं कि 16 लाख कार्य दिवसों की जगह 32 लाख कार्य दिवस की हानि हुई है क्योंकि कारखाना बन्द है, मजदूरों की हानि हुई है । यदि आप के पास फीगर लिखी हुई हों तो उसे आप देखें । मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों के बारे में तत्काल एक जांच कमेटी आप बना दें और जो फीगर्स आपको दी गयी हैं वह यह देखें कि यह फीगर्स सही हैं या गलत हैं । इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ और दिलाना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री जी से कह कर यह आदेश और पारित करवा दें कि वे मंत्री जी को इतना ताकत दें कि इनके हर आदेश का पालन हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । कटौती के प्रस्ताव में कहा गया कि सारी धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । मैं कहता हूं कि श्रम विभाग को एक रुपया भी क्यों दिया जाय ? किसलिये दिया जाय ? माननीय मंत्री जी आप बतला दें कि आपके विभाग का काम क्या है ? इस विभाग में श्रमिक के हितों को ध्यान में रखकर, समान दृष्टिकोण से काम हो, ईमानदारी से काम हो और अगर ईमानदारी से तो श्रम विभाग श्रमिकों के हित को लेकर खोला गया है पर यह तो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रहा है ।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री सईदुल हसन—

आप एक भी कोई ऐसा स्पैसिफिक केस बता दें, जिसे इस विभाग ने न किया उस पर कोई ऐक्शन न लिया हो, चाहे वह किसी का हो, मिल-मालिकों का हो, ट्रेड यूनियन्स का हो या किसी का भी कोई मामला आप बताइये ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर मा0 मंत्री जी तो बहुत जल्दी बेचैन हो गये, हमने अभी अपनी बात पूरी नहीं की लेकिन मा0 मंत्री जी व्याकुल हो गये, और मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर यह कहते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शोषण मुक्त कर दिया पर मान्यवर, यदि आप जाकर स्वयं देखें [× ×] नहीं चल पा रहा है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर मा0 राणा जी ने जो बातें कहीं हैं, उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाए । (शोर)

श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

मान्यवर, मा0 राणा जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको इस प्रकार का आचरण सदन में नहीं करना चाहिए, जिसे मान्यवर कार्यवाही से निकाल दिया जाय । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं चुनौती देता हूं कि यदि कोई मा0 सदस्य मुझे यह बता दें कि मैंने कौन से असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, मान्यवर जो बात मैं कहना चाह रहा था, वह नहीं कह सका कि श्रम विभाग श्रमिकों के हित के लिए बनाया गया है, लेकिन यह काम करता है, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और सरमायादारों के हित में श्रमिकों के हित की कोई मिसाल मान्यवर ढूंढ़ने से नहीं मिलेगी कि जब कभी भी पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हुआ हो, तो इस विभाग ने निष्पक्ष होकर कोई काम नहीं किया यह पक्ष लेते हैं मिल मालिक का । मा0 विमला सिंह जी जो यहां पर बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिये कि मोदी ने अपनी 5 मिलों को बन्द कर रखा था मोदीनगर में, और बेचारे श्रमिक-गण बराबर अपनी मांगों के संबंध में सरकार से आग्रह करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने भी एक नहीं सुनी, फिर हारकर वहीं के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने व अन्य लोगों ने मिलकर उस मसले को सुलझाया और यही स्थिति अभी कानपुर की जूट मिल में रही और उस मिल मालिक ने मिल बंद कर दी और अप्रैल, 1987 से मिल बिल्कुल बन्द है । उसमें 1500 श्रमिक काम करते हैं और इस मामले को चीफ सेक्रेटरी लेबिल तक ले जाया गया और मीटिंग में रखा गया और उस पर फैसला लिया गया है, लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है और 1500 श्रमिक अपने-अपने घरों पर बैठे हैं । मैं समझता हूं कि श्रम विभाग का यह कार्य होना चाहिये कि श्रमिकों को अच्छी जिन्दगी जीने के लिये कुछ कार्य होना चाहिये । आप इतिहास को उठा कर देख लें, जो श्रम करने वाले हैं, उन्होंने खेल के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में विश्व में कीर्तिमान स्थापित किये हैं । यदि श्रमिक नहीं खेलेगा तो क्या टाटा और बिड़ला के लड़के खेल में जायेंगे । श्रम विभाग को श्रमिकों को खेल और मनोरंजन के लिये अवसर प्रदान करने चाहिये, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में आगे निकल सकें । अगर आपने योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके आई0 टी0 आई0 कालेज हैं, उनमें जो शिक्षा दी जाती है वह सतही है और इन कालेजों से निकले हुये लोग अगर कोई अपना रोजगार कर लें, तो घर की पूंजी भी गंवा दें । अच्छा है कि वह सरकारी सेक्टर में खप जाते हैं । आपके सारे काम दिखावटी हैं, उनका श्रमिकों से कहीं कोई सम्बन्ध नहीं

नोट—[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

है । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह श्रम विभाग नहीं है, बेशरम विभाग है । इनकी वही दशा है कि खायें खसम का और गीत गाये यार के । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, दो घन्टे की चर्चा है और कल इतवार भी है और बहुत से माननीय सदस्य अपने घरों को जाना चाहेंगे । तो 5 बजे तक मतदान इस बजट पर करा लें और अगले कार्य को भी जल्दी समाप्त करा लें, तो अच्छा रहेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं कौशल जी की राय से सहमत हूं । दो घन्टे की चर्चा है, तो 5 बजे तक मतदान करा लें ।

श्री अधिष्ठाता—

डा0 कौशल ने जो बात रखी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो ।

(श्री नरेन्द्र देव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है । कौशल जी के बाद मुझे बुलाया है, उनकी बात का उत्तर देने के लिये मुझे बुलाया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने नरेन्द्र देव को बुलाया है, आप फिर कह लीजयेगा ।

*श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं । पहली बात यह है कि माननीय श्रम मंत्री जी ने जो कार्य बतायें हैं, वह निश्चित रूप से सराहनीय है । और उत्तर प्रदेश में एक वातावरण बना है जिससे उत्पादन बढ़ा है । यह बहुत सच बात है । मान्यवर, यदि उत्पादन बढ़ता है तो उसमें श्रमिकों का बहुत बड़ा हाथ होता है । इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा । लेकिन मैं मिर्जापुर के बारे में एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा । आई0 टी0 आई0 के बारे में माननीय मंत्री जी ने बात कही । यह बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है या नहीं, मैं तो नहीं जानता लेकिन मिर्जापुर में आज तक यह अफवाहें चल रही हैं कि 500 रुपये प्रति सीट लेकर आई0 टी0 आई0 का प्रिंसिपल वहां की सीटें बढ़वा रहा है । आज मिर्जापुर के अन्दर जो आई0 टी0 आई0 का प्रिंसिपल बैठा है, उसकी जो कमेटी बैठी है वह पूरी तरह से गांव के लोगों का शोषण कर रही है । यह जानकारी मैंने गत वर्ष भी माननीय मंत्री जी को दी थी लेकिन आज तक मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ । विधान सभा के अन्दर जब हमें बोलना पड़ता है तो हमें दर्द होता है उस आई0 टी0 आई0 के बारे में । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गुप्तचर विभाग द्वारा उसकी जांच करा लीजिये । वहां के अधिकारियों ने आई0 टी0 आई0 में सीटें किस्तों में बढ़ाई हैं और जिस प्रकार से बढ़ाई हैं उनके लिये कोई निर्धारित गाप दण्ड नहीं रह गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत विद्वान सदस्य बैठे हुये हैं । आई0 टी0 आई0 की स्थापना इसलिये की गई थी कि जो छात्र 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त नहीं करते हैं जो छात्र पढ़ने में अधिक योग्य नहीं हैं उनके लिये आई0 टी0 आई0 की स्थापना की जाय । वह छात्र आई0 टी0 आई0 में ट्रेनिंग करके उद्योगों में काम करें । यह आई0 टी0 आई0 की स्थापना की मूल भावना थी । आज मेरिट की बात कही जाती है, उसके लिये कमेटी बनायी जाती है और उस कमेटी में नामिनेशन किया जाता है । मैं विधान सभा को सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर पहला जिला है जहां पर आई0 टी0 आई0 के एक मेम्बर के खिलाफ वहां के एक छात्र ने 420 का मुकदमा दायर किया है कि उसमें 2 हजार रुपये मुझसे एडमिशन के लिये लिया गया था और आज तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ । मान्यवर, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट हो गये, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, विपक्षी दल के लोग हमारे माननीय विद्वान सदस्य बहुत खुश हैं कि शायद मैं कोई विपक्ष की बात कहने जा रहा हूं । मैंने एक पर्टिकुलर आई0 टी0 आई0 के बारे में बात कही ।

मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी ने यहां पर उद्योगों के लिये एक अच्छा वातावरण पैदा किया है । मान्यवर, मिर्जापुर की ढाई सौ किलोमीटर की लम्बाई को देखते हुए हमने यह आग्रह किया था कि दक्षिण भारत की तरह आप यहां के सभी सदस्यों को आमंत्रित करके नियमों में ढील दे दीजिये और दक्षिण भारत की तरह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को आई0 टी0 आई0 का काम दे दें । इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आपसे अनुमति चाहता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मुझे आशा थी कि माननीय श्रम मंत्री इतने विशाल प्रदेश के श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करेंगे और उनके कल्याण के बारे में कुछ घोषणायें करेंगे लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने जो एक दिग्दर्शिका पुस्तिका हमें दी है इसको आप देखें तो कहीं नहीं पायेंगे उनके कल्याण की कोई योजनायें हैं बल्कि इसको देखने से मालूम होगा कि कितने हजार मुकदमे कोर्ट्स में लम्बित पड़े हैं, ए0 आर0 ए0 ओ0 के दफ्तर में बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हैं, लेबर कोर्ट में कितने मुकदमें लम्बित पड़े हुये हैं । इसके बाद एक लम्बी सूची दी है कि हाईकोर्ट में भी मामले लम्बित पड़े हैं । मान्यवर, श्रम कानून की शुरूआत होती है समझौते से । आपने मंत्रिपद की शपथ लेते समय संविधान की शपथ ली थी और प्रतिज्ञा की थी कि वफादारी से काम का निर्वहन करूंगा । तो आप संविधान के अनुच्छेद को पढ़ें उसमें 9 साल से 12 साल के बच्चों को बाल श्रम के अन्तर्गत लेकर प्रतिबंधित किया है । इसकी आप रक्षा नहीं कर पाये तो इस प्रकार आपने सबसे पहले अपनी शपथ को तिलांजलि दे दी और उस शपथ का उल्लंघन कर दिया है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 9 साल से 12 साल तक के बच्चे आज कठिन श्रम कर रहे हैं जो प्रतिबंधित हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि उसे प्रतिबंधित करने के लिये आपने कोई योजना बनाई है या कोई कल्याण की योजना बनाई है वह

बता दें । आपने कहा था कि हम उनके कल्याण की योजना ला रहे हैं । मुझे तकलीफ हो रही है जो आपके विभाग के अधिकारी यहां बैठे हैं जिन पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है वह उन बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं । 9 साल से 12 साल तक का बच्चा भट्टियों में जहां पर खड़ा होना कठिन होता है उच्च ताप की भट्टियों में जहां से कांच की लाल सलाखों को वह उठाकर लाता है । उसका शरीर जल जाता है ।

मैंने विधान सभा में एक प्रश्न किया था जिसमें आपने माना है कि 15 प्रतिशत बच्चे फिरोजाबाद में काम करते हैं । लेकिन आप कहते हैं कि वह पानी पिलाने का काम करते हैं । जब माननीय मंत्री जी वहां गये तो उनके विभाग के आठ शीर्षस्थ अधिकारियों ने हटा दिया लेकिन फिर पकड़े गये । मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है माननीय मंत्री जी के आदेशों की परवाह न करते हुये वह बच्चे काम करते हुए पकड़े गये । उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी लेकिन वह बेलआउट हो गये । विभाग ने पैसा ले लिया और मुकदमों का पता नहीं । वहां का दरोगा, एस0 एस0 पी0 और सी0 ओ0 कहते हैं कि मंत्री जी के निर्देश पर हमने जमानत ले ली है । राजनीतिक जीवन में इस प्रकार के आरोप सार्वजनिक सभा में एक दरोगा कहे इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप में कहें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

तो मैं जानना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में बाल श्रम कल्याण की योजनायें कब तक चालू कर देंगे । दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों से श्रम शक्ति का ह्रास होता है क्योंकि उनका आगे जीना कठिन होता है तो जिस मुल्क में श्रम शक्ति का ह्रास होगा वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

समय बहुत कम है । एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह तो मान्यवर, अन्याय होगा । श्रम कानून के बारे में इन्होंने बड़े जोर से जवाब दिया कि हमने एग्रीकल्चरल लेबर की मिनिगम वेज 11.50 रु0 तय कर दी है ।

श्रीमन् राज्यपाल का आदेश है 1984 का यह 11.50 रु0 उसी मूल्य सूचकांक के अनुसार मिनिमम वेजेज के तय हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि श्रम विभाग क्या यह करता है ? मान्यवर, फिरोजाबाद में अभी तक मिनिमम वेजेज तय नहीं हो पायी है । यह दुख की बात है । इसलिए मिनिमम वेजेज तय करने की सरकार की जो जिम्मेदारी है वह आप कब तक तय कर देंगे क्योंकि मिनिमम वेजेज की जो घोषणा किया है, 11, 12, 13 रुपए यह तर्कसंगत नहीं है और वह 1984 की है आज की नहीं है ।

मान्यवर, वेल्फेयर सेन्टर्स और मुकदमों के बारे में एक सुझाव है कि क्या मंत्री जो व्यवस्था करेंगे कि रेफेरेन्स में जो मुकदमें जाते हैं क्या उन्हें 15 दिनों के अन्दर निस्तारण करके लेबर कोर्ट भेजें या न भेजें तो उनको वापस करेंगे जिसके द्वारा समझौता हो सके । लेबर कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो तो क्या श्रम विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि तीन महीनों में फैसला हो जाये ? यदि नहीं, तो जो मजदूर बेकार हो गया है उसको जीवन निर्वाह भत्ता क्या आप दिलायेंगे ?

अंत में एक और निवेदन है कि फिरोजाबाद के बाल श्रमिकों के कल्याण मिनिमम वेजेज को कितनी जल्दी तय करा देंगे, इस पर स्पष्ट घोषणा मंत्री जी करें । इन शब्दों के साथ श्री बाबर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं कानपुर से चुनकर आता हूं । कानपुर शहर जो श्रमिकों का शहर है इसलिए जरूरी था कि इस बहस में मैं हिस्सा लूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तमाम योजनाओं के साथ, तमाम नये इरादों के साथ श्रमिकों के हित में ज्यादा से ज्यादा काम करने के हौसले के साथ अपना बजट बहुत ही सुन्दर ढंग से पेश किया । हां, यह जरूरी हो सकता है कि इनका भाषण लच्छेदार न हो या वह उस तरह जोर-जोर से न बोला गया हो जैसा कि कटौती के प्रस्ताव को मैंने सुना, और उसमें उसके बारे में मेरा ख्याल है कि बाबर साहब ने अपना पूरा कटौती का प्रस्ताव पेश तो कर लिया लेकिन पूरे प्रस्ताव को पूरा करने में एक भी सुझाव ऐसा नहीं दिया है जो मंत्री जी को या सरकार को अपनाना चाहिए और जो श्रमिकों के हित में जो काम आगे काम आ सके । बाबर साहब का जिस किस्म का इनका सियासी नजरिया है, जिस पार्टी से वह आते हैं उनके साथ कोई मसला नहीं है, यह जिस तरीके का नजरिया रखते हैं उस तरह वह कोई काम नहीं कर सकते हैं । हम अपने संविधान के अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए लोगों को समाजवाद के रास्ते पर लेकर चलते हुए, और वेलफेयर स्टेट बनाने के अपने मजबूत इरादों के साथ जब काम करते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं उनको गम्भीरता से लेना पड़ता है और विचार करना पड़ता है । आपका जो सियासी नजरिया है उसके मुताबिक हो सकता है आपका नजरिया जहां से आता है वहां खाना तो मिलता है लेकिन सेहत आपकी जैसी हो जाती है और मानसिक उत्पीड़न होता है ।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने 300 करोड़ रुपए की एक योजना बतायी लेकिन कहा गया कि बाल श्रमिकों के लिये कोई योजना नहीं है । मंत्री जी ने यह भी कहा था कि उनके लिए भी योजना है । जहां मालूम होता है वहां हस्तक्षेप करके दस-बारह साल के बच्चों को काम से रोका जाता है ।

इन्होंने बताया कि चमड़ा उद्योग वालों के मिनिमम वेजेज को बढ़वाया है और कुछ अस्पताल बनवाने का इरादा किया है । कुछ आई0टी0आई0 के सेन्टर हैं, उनको भी बढ़वाने का इरादा है । तो उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए । वह बिलकुल नहीं हुई है और इसके अलावा इस पर चन्द लोग बोले, कुछ सायक्लाजिकल किस्म की बातें कह कर चले गये हैं । हमारा मजबूत इरादा यह होना चाहिए कि हम समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए बुलन्द हौसला रखते हैं । इस बजट में इस बात की पूरी निशानदेही मिलती है । (लाल बत्ती होने पर) हमारे पास कानपुर के लिए सुझाव हैं, जो हमें कहने हैं । कानपुर में एक मसला जो अभी विधायक जी बता रहे थे लेबर कालोनी का, उसके बारे में मंत्री जी से चाहूंगा कि उसमें बहुत सी अनअथाराईज्ड लोग बसते चले जा रहे हैं । जो भी उनमें रहते हैं, उनकी ही देने की जरूरत है । अतः इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाना चाहिए और इससे जो पैसा मिले उससे नई कालोनियां बनाई जायें । वहां के अधिकारियों ने बहुतों को नोटिस दे रखी हैं, उनके खिलाफ मुकदमें कायम कर रखे हैं । इसलिए उसमें रहने वाले कानपुर के श्रमिक बहुत परेशान हैं । इसी तरह इस समय जो 60 रुपया पेंशन देते हैं, यह उनको तीन महीने, 6 महीने में पहुंचती है और वह विधवा जिसको आप यह पेंशन देते हैं, बहुत दफा . . .

श्री अधिष्ठाता—

इस बजट से मैं समझता हूं कि विधवा पेंशन का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

ठीक है, लेकिन जो बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतें हैं इस आशा में रहते हैं कि उनको पैसा मिले तो उनकी रोटी चले, उनमें 3 महीने और 4 महीने के इंतजार का दम होता नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वजीफे को बढ़ाकर 100 रुपया कम से कम किया जाए और ऐसा इंतजाम किया जाए कि यह हर साल, हर माह नियमित रूप से उनको मिलता रहे । आई0टी0आई0 जो हमारे यहां हैं उनके बारे में भी हमें बहुत से सुझाव देने थे, किन्तु अब चूंकि समय समाप्त हो गया है, मैं मंत्री जी को अपने इन सुझावों से बाद में अवगत करा दूंगा । अंत में मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

इस बजट के संबंध में जो एक निर्णय हमारे एक सहयोगी ने दिया है कि समय की कमी के कारण जो बातें नहीं आ पावेंगी और जो सुझाव आवश्यक हैं, वे उन्हें लिखकर देंगे तो उन्हें यहां दिया हुआ मानकर शामिल किया जाएगा ।

*श्री फजलुल बारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाबर साहब के जरिए रखे हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उन्हीं से चन्द सवालात हैं, मिनिमम वेजेज के बारे में बड़ी बातें हुई, मैं जानना चाहूंगा कि आज के मुताबिक मिनिमम वेजेज बनते कितने हैं और मिलते कितने हैं । हमारे यहां वन विभाग में कोर्ट मुहर्रिर जो होता है उसको सौ-सवा सौ रुपया महीना मिलता है। यह किस कानून में पा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है । अब प्रश्न यह है कि यह काम किस लिए कर रहे हैं, तो इनको कोई अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह मजदूरी में बंधुवा मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं । इनमें और बंधुवा मजदूरों में कोई फर्क नहीं है । मैं चाहूंगा पहले तो इस कानून में जंगल विभाग के ऊपर आप मुकदमा कर दें और वह वन मंत्री को बन्द कर दें । यदि वह यह कर दें तो वह वास्तव में श्रमिकों का उत्थान करेंगे । हालत यह है लेबर कोर्ट पूरे प्रदेश में दो बटा तीन बगैर प्रिसाइडिंग आफिसर के खाली पड़े हैं । मुकदमों का अम्बार लगता चला जा रहा है मजदूर जब लेबर कोर्ट में रहता है तो लेबर कोर्ट में तारीख नहीं लगती है मुकदमें का फैसला नहीं होता है । वह भुखमरी का शिकार होते-होते एड़िया रगड़ना शुरू करता है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें । सारे लेबर कोर्ट में अतिरिक्त अधिकारी रखकर इसका फैसला जल्दी कर दिया जाए । मान्यवर, एक बात पर मंत्री जी ने बहुत जोर दिया चाइल्ड लेबर के बारे में, मान्यवर, यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक प्रजातांत्रिक देश में, यहां के बच्चे सड़कों के किनारे मूंगफली बेचते हैं, बूट पालिश लगाते हैं चाट के जूठे बर्तन प्लेटें और प्यालियां साफ करते हैं, यह हालत देश की है । यह बहुत ही शर्मनाक बात है । यह बात भी यह लोग कहते हैं कि जो आर्टिजन के स्थान हैं जैसे फिरोजाबाद, लखनऊ, बनारस आदि जगह जो हैं । वहां पर अगर यह लेबर एक्ट लगा देंगे तो जो दस्तकारी है वह खत्म हो जाएगी । इन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन तो खोल नहीं रखा है, तो जो दस्तकारों के बच्चे होते हैं वह काम सीखकर, फिर वहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काम करते हैं, तो वह तो एहसान कर रहे हैं, कि वह खुद तो काम करते ही हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, जो पैसा उन बच्चों को मिलता है वह तो स्टाईपेण्ड के रूप में उन्हें मिलता है...

(लाल बत्ती होने पर)

माननीय अधिष्ठाता जी, आई0टी0आई0 की जहां तक बात है यह एक इंस्टीट्यूशन है यहां पर ट्रेण्ड करके लोगों को काम पर लगाया जा सकता है। लेकिन मान्यवर, यहां पर 40 प्रतिशत से कम जिसके नम्बर होते हैं उसका एडमीशन नहीं किया जाता है। प्रधानाचार्य जो फार्म देते हैं उसकी फीस लेते हैं, और वह फार्म जिन लोगों के 40 प्रतिशत से कम नम्बर होते हैं उनको भी दे देते हैं और उनसे भी फीस ले लेते हैं, जबकि एडमीशन के समय उनके फार्म रिजेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से गरीब लड़कों का शोषण हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब खत्म कर दें।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री जी ने जो श्रम बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य बाबर साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने श्रम कल्याण में बाल श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों के लिए जो योजनाएं रखी हैं वह अतुलनीय व सराहनीय हैं। मैं जनपद इलाहाबाद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई0टी0आई0 की सीट बढ़ाये जाने की बात कही गई है। जनपद इलाहाबाद, नैनी आई0 टी0 आई0 में छात्रों के प्रवेश के बारे में ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर पैसा लेकर प्रशिक्षण के लिये प्रवेश किया गया है मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां के प्रिंसिपल द्वारा प्रवेश में जो अनियमितताएं बरती हैं उसकी जांच कराके कार्यवाही करें। मान्यवर, मेरे विकास खण्ड चायल इलाहाबाद में आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण विद्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश विगत पिछले वर्ष से दिए हैं मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि चायल ग्राम-पुरामुफ्ती में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण विद्यालय जल्दी खोला जाए। जहां भूमि ग्राम सभा की उपलब्ध है। जनपद इलाहाबाद मेरे गृह निवास के बगल एक अशोक वूलेन मिल, सूबेदारगंज नाम की फैक्टरी है। एक वर्ष से बन्द है और लगभग 5 सौ मजदूर बेकार हैं और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसकी जांच कराके इस मिल को चलवाने की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं उनकी बहुत सी समस्यायें हैं। मैं चाहूंगा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक श्रमिक हास्पिटल खोला जाय ताकि उनके स्वास्थ्य की सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें। अभी सम्मानित सदस्य पाठक जी ने जो आरोप लगाये हैं कि मंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं होता है अधिकारियों की ज्यादा चल रही है। हो सकता है पाठक जी का कोई व्यक्तिगत कार्य न हुआ हो। मंत्री जी ने जो बजट में योजनायें श्रमिक के कल्याण के लिए लागू किये हैं बहुत ही सराहनीय कार्य किये जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी एवं श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 बधाई के पात्र हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्रम विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। अभी माननीय राणा जी बोल रहे थे तो कुछ समस्यायें उन्होंने रखीं तो मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने कहा कि यदि कोई विशेष समस्या है तो वह सामने रखी जाय । मैं जनपद फतेहपुर, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, कहना चाहता हूं । वहां पर क्वालिटी स्टील ट्यूब और सूती कताई मिल है । आपने जो पुस्तिका दी है उसके पेज 73 पर हड़ताल और तालाबन्दी के सम्बन्ध में फतेहपुर का नाम नहीं है । जबकि आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में जो सूती मिल है वह एक महीने से बन्द है और मेरे क्षेत्र विंदकी में जो क्वालिटी स्टील ट्यूब है वह अक्टूबर 1987 से बंद है । आप जानते हैं कि क्वालिटी स्टील ट्यूब है वहां पर श्रम नियमों का उल्लंघन हो रहा है । वहां पर 3 तरह के मजदूर हैं जबकि नियम यह है कि अस्थायी और स्थायी मजदूर ही रखे जायेंगे । जब वहां हड़ताल हुई थी तो मैं वहां पर गया था । वहां पर 250 मजदूर ऐसे हैं जिनको सिविल कहकर उनसे काम लिया जाता है और 13 रुपये मजदूरी दी जाती है । 1973 से लगातार 10 मजदूरों को सिविल कहकर काम कराया जा रहा है जबकि उनका कोई कार्ड नहीं था और न प्रवेश-पत्र था । जैसे गांव में मजदूर को परची दे दी जाती है उसी तरह से 15 दिन की मजदूरी के लिए पर्ची दे दी जाती है । अभी वहां पर जब हड़ताल चली तो 2 महीने मिल बन्द रही । मिल मालिक ने पुलिस और जिलाधिकारी को मिलाकर मजदूरों पर लाठीचार्ज करवाया और मजदूरों को जेल भिजवाया । वहां पर पी0 ए0 सी0 पड़ी हुई है और उसके संरक्षण में हरियाणा से मजदूर लाकर फैक्टरी को जबरदस्ती चलाया जा रहा है । जो अस्थाई और स्थाई कर्मचारी वहां पर थे उनको निकाल दिया गया है और एक भी मजदूर को नहीं रखा गया है । मैं अब कताई मिल की समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां पर जो लेबर अधिकारी श्री कुकरेती हैं उनका जंगल राज चल रहा है । मजदूरों के लिये वह गेट बंद कर देते हैं । जो जनरल मैनेजर श्री पांडेय वहां पर हैं उनके लिये भी लेबर अधिकारी ने गेट बन्द करवा दिया और चेयरमैन के माध्यम से 4 दिन के बाद मैनेजर साहब को मिल में प्रवेश मिला । तो इस तरह का श्री कुकरेती का वहां पर जंगल राज चल रहा है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसका निराकरण करें । इसी तरह से जो क्वालिटी स्टील ट्यूब फैक्टरी को हमारे क्षेत्र में पुलिस के बल पर चलाया जा रहा है उस तरफ मंत्री जी विशेष ध्यान दें और वहां पर मजदूरों की जो समस्यायें हैं उसका निराकरण करवायें । इन शब्दों के साथ मैं बाबर साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती विमला सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं जो आपने मुझे श्रममंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करती हूं । यह बजट श्रम हितकारी बजट है जिसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । मान्यवर, श्रमिकों के लिये मुख्य रूप से दो चीजों की विशेष आवश्यकता है एक आवास और दूसरी चिकित्सा, इसके अलावा मनोरंजन तथा अन्य साधन सहीरूप से उनको उपलब्ध हों । आवास के बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की है ।

मैं अपने जनपद क्षेत्र मोदी नगर के बारे में वहां पर लेबर्स की जो समस्यायें हैं उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं । मेरे यहां लगभग 6 वर्षों से लेबर समस्या उत्पन्न है । मैंने इस संबंध में आपसे प्रयास किया कि इन समस्याओं का समाधान निकालें लेकिन अभी तक समस्यायें हल नहीं हुई हैं । मैं समझती हूं कि इन समस्याओं के बारे में मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि इसमें मुझे श्रम विभाग की ही उदासीनता नजर आती है क्योंकि मोदीनगर में मजदूर आंदोलन और अनशन पर आज उतर आये हैं इसका कारण है कि उनको कहीं से भी पूर्ण आश्वासन

नहीं मिला है । यूनियन के जो नेता हैं वह भी उद्योगपतियों से मिलकर अपने निहित स्वार्थों में लिप्त हैं मजदूरों को या श्रमिकों को जो मिलना चाहिए वह मजदूरों को नहीं मिल पाता है । मेरा निवेदन है कि मजदूरों की जो समस्यायें कपड़ा मिल की हैं उसका फैसला अभी नहीं हो पाया है । मेरा सुझाव है कि यदि समय-समय पर उद्योगपति, श्रम विभाग के अधिकारी समय-समय पर इसमें सामंजस्य स्थापित करें तो यह गड़बड़ी न होने पाए । रहा चिकित्सा का सवाल तो जो वहां पर ई0 एस0 आई0 अस्पताल है उसके संबंध में मैंने मंत्री जी आपको व्यक्तिगत रूप से बताया था कि वहां पर मजदूरों को सही रूप से दवाएं नहीं मिलती हैं । दवाएं या तो बाहर बेच दी जाती हैं या सही रूप से नहीं मिलती है । वहां पर जो खाना दिया जाता है वह ठीक नहीं है । मैंने दो बार खाने का इंसपेक्शन किया । एक बार वहां के लोगों को पता चल गया इसलिए सही खाना मिला लेकिन दूसरी बार जब मैंने इन्सपेक्शन किया तो मैंने पाया कि कुछ भी ठीक नहीं है । इस चीज की शिकायत आज आम मजदूर करता है ।

मेरा सुझाव है कि आप ई0एस0आई0 अस्पताल का अचानक दौरा करें और वहां पर जो कमियां हैं उनको दूर करें । मान्यवर, इसी तरह से आई0टी0आई0 के विषय में कहना चाहती हूं । गाजियाबाद में जो आई0टी0आई0 है मैं उसकी सदस्या रही हूं । मुझे इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें दाखिले में जो विद्यार्थी आते हैं उनसे किसी न किसी रूप में पैसा मांगा जाता है । इसकी आम शिकायतें हैं इसके बारे में आप जानकारी करा लें और इसको दिखवाएं और जो शिकायतें हैं उनको दूर करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं । धन्यवाद । जयहिन्द ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बाबर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने बहुत ही नेक घोषणाएं की हैं लेकिन पूरा बजट पढ़ने से ऐसा लगता है कि विभाग पर इनका कोई नियन्त्रण नहीं है, पूरा विभाग विसंगतियों से भरा हुआ है ।

मान्यवर, सरकार कहती है शांति की बात, उसके संबंध में निवेदन कर दूं कि मरघट में भी शांति रहती है । जैसे कि श्रम विभाग के कर्मचारियों और पूंजीपतियों की सांठगांठ का परिणाम यह है कि मजदूरों की जायज मांगों को नहीं सुना जाता है उनकी आवाज को दबा दिया जाता है जिससे वह अपने हक की मांग को नहीं कर पाते हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी का यह सेवायोजन विभाग है जिसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह पृष्ठ 28 पर आपने एक श्रेणी दी है । इसमें खुद इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्ष 1987 में, 7,52,114 लोगों के रजिस्ट्रेशन थे और काम दिया है 28 हजार नब्बे लोगों को । इसी तरह से सक्रिय पंजिका है उनके ऊपर 29,58,793 लोगों के नाम अंकित हैं और अधिसूचित रिक्त स्थान है 47007 तो आप इससे अंदाजा लगाये और स्टडी करें तो पता चलेगा कि आने वाले अनन्त वर्षों तक लोगों को काम नहीं मिल पायेगा । अतः मेरा सुझाव है कि यह जो सेवायोजन कार्यालय हैं उनको ब्लाक स्तर पर कर दें जिससे गांव के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में सुविधा हो और होना तो यह चाहिए कि आप हर आदमी को बेरोजगारी भत्ता दें लेकिन आप यह कर नहीं पायेंगे ।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जैसा हरियाणा की सरकार ने कर दिया है अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में, निगम में परिषद् में साक्षात्कार के लिए जाता है तो आप उसको बस का पास दीजिए । इसमें कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा ।

मान्यवर, ई0 एस0 आई0 की बड़ी आलोचना की गयी जो अभी पूर्ववक्ता बोल रही थीं उन्होंने भी आलोचना करी है । मान्यवर, वहां दवाई नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन मान्यवर, सबसे ज्यादा विसंगति यह है कि जो ई0 एस0 आई0 का नाटीफिकेशन हुआ है वह रिवाइज नहीं हुआ है । यह सब माननीय सदस्य जानते हैं कि जो डेवलपमन्ट है, विकास है वह सब नगरपालिका क्षेत्र के बाहर नहीं हो रहा है । जब तक नोटिफिकेशन को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ई0 एस0 आई0 को कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी । मान्यवर, मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं यह जो पुस्तिका मिला है इसके अध्याय तीन में दसवें वर्ष 1983 से 87 तक के आकड़े दिये हैं । वर्ष 1983 में 7.62 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई है, 84 में 9.82, 85 में 7.71, 86 में 6.69 और 87 में 16.04 मानव दिवसों का नुकसान हुआ है । इसी पुस्तक में पृष्ठ 9 पर दिया हुआ है कि 90-90 दिन श्रमिकों का हड़ताल हुई है । और ये शांति की बात करते हैं । मान्यवर, इनकी विसंगतियों के बारे में कहना चाहता हूं एक राजाज्ञा जारी हुई है जिसकी संख्या 735/36-6-15 (टी0)-79 लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 1979 है, इसमें आप कहते हैं कि किसी भी निगम में जहां अप्रेन्टिस लोग काम करते हैं वह अप्रेन्टिस खत्म होंगे तो बाद में दूसरे लोगों को रखा जायेगा लेकिन किसी भी निगम में हम जाते हैं तो वह कहते हैं कि इसके लिए हम बाध्य नहीं है । तो यह इनका किस तरह का आदेश है और इसका क्या मतलब है ।

मान्यवर, स्कूलों की जो यह दुकानें चल रही हैं उसका मिनिमम वेजेज तो आपने लागू कर दिया लेकिन उनमें जो काम करने वाले हैं उनका आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिभाषा में नहीं रखा है, परिणाम क्या है ? परिणाम क्या है, अगर कोई शिकायत लेकर श्रम विभाग में जाता है, कोई अध्यापक या अध्यापिका शोषित होकर जाती हैं तो उनको समझाया जाता है कि वे वर्कमैन की परिधि में नहीं आते । मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमने सब समझौते लागू कर दिए, मा0 मंत्री जी जानते हैं, महमूदाबाद में एक कताई मिल है, आपने उसका नाम लिया, मैं यह नहीं कहता कि गलत कहा, 14 तारीख को तारीख लगी है । मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रयास से समझौता हुआ था । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उस समझौते की धज्जियां वहां के लोगों ने उड़ाकर फेंक दी हैं । उसका आर्बीट्रेशन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है । उसके बाद वहां 16 आदमी निकाल दिये गये । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रेड यूनियन के लीडर्स को जेल भेज दिया गया 107/16 की धारा में और वहां उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है । आपने जितने भी औद्योगिक एवार्ड किये हैं, आप दिखवा लें, लागू नहीं है । सीतापुर वनस्पति मिल । वहां एवार्ड किया । वहीं पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बता दिये गये, लेकिन कुछ नहीं हुआ । आप स्किल्ड अनस्किल्ड की परिभाषा कर दीजिये । आप चीनी मिल में लेबर कान्ट्रेक्ट को खत्म कीजिये । इसको खत्म नहीं करेंगे तो मजदूरों का शोषण रोक नहीं पाएंगे । इन शब्दों के साथ मैं बाबर साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

श्रीमन्, मैं दोनों तरफ के सदस्यों का, जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया, आभार प्रकट करता हूं और मा0 मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि हैण्डलूम और पावरलूम के कई लाख मजदूर बेकार पड़े हैं । साथ ही साथ कानीन मजदूरों ने जो, उन पर जो झूठी में मुकदमा चल रहे हैं, मंत्री जी ने समझौता करा दिया, उन पर से मुकदमा वापस लिया जाय । मैं मा0 मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि कताई मिलें, चाहें राजकीय हों या सहकारी क्षेत्र की हो, बहेड़ी हो या अकबरपुर हो, इनमें जो मजदूरों को

तनख्वाह काट रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है । इन कताई मिलों में बिना चार्जशीट के उनको बर्खास्त किया जा रहा है । ऐसे मामले में मेरा निवेदन है कि उत्पीड़न रोकने के लिए प्रयास करें । साथ ही मैं मा0 मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जो जगह पीठासीन अधिकारियों की है, 2/3 खाली हैं । उन स्थानों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास करें । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी से कि कताई मिलों में 10 साल हो गये, त्रिपक्षीय सम्मेलन नहीं हुआ है । कानपुर के मजदूरों के बेजेज रिवाइज हो गये, मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कानपुर के बाहर की मिलों में त्रिपक्षीय सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, वहां 60 रुपये बढ़ा दिये जाएंगे, लेकिन आज तक यह नहीं हो पाया है । कानपुर में हुए दो साल हो गये, लेकिन कानपुर के बाहर त्रिपक्षीय सम्मेलन नहीं हुआ, वहां की तनख्वाहें रिवाइज नहीं हुईं ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलावें । मा0 मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि कानपुर जूट मिल का मसला 1987 में तय हुआ था, लेकिन आज तक वैसे ही पड़ा है तो सन् 76 में जिस प्रकार राजस्थान सीमेंट फैक्ट्री में तय किया गया था, उसी आधार पर आशा है कि कानपुर के मजदूरों के लिये भी मा0 मंत्री जी प्रयास करेंगे । रत्ना शुगर मिल के मजदूरों की मजदूरी दबाया है, वे बेचारे भूखों मरने की स्थिति में हैं । जो उनकी बाकी तनख्वाहें हैं, वह उन्हें मिल नहीं पा रही हैं । उनके प्राविडेन्ट फण्ड और उनकी ग्रेच्युटी के कागजात गायब हैं । उनके दबाये को दिलाने का प्रयास करेंगे माननीय मंत्री जी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इधर और उधर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने विचार रखे । माननीय पाठक जी ने खासतौर से बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं ।

(समय 5 बजकर 35 मिनट)

श्री सईदुल हसन—

माननीय सदस्य साहेबान ने कहा कि 19 में से 16 जगहें खाली हैं, मान्यवर, 14 तारीख को एक पैनल बनाया जायेगा, हफ्ते दस दिन में 3 जगहें भर जायेंगी । पैनल एप्रूव करता है, उसमें से एपाइंटमेन्ट करते हैं । माननीय बाबर साहब ने रत्ना शुगर मिल की बात बहुत जो देकर कही । रिकवरी सर्टीफिकेट, मजदूरों की मार्फत जारी हो चुके हैं, लेव्विन हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मीटिंग बुलायी थी, उन्होंने भी इसमें प्रयास किया । कानपुर की जूट मिल की बात कही उसमें रिकवरी सर्टीफिकेट जरूरी किये गये, एटचमेन्ट किया गया, मैं खुद माननीय तिवारी जी के पास दिल्ली गया, बैंकों के तमाम अधिकारियों के साथ दिल्ली में दो दफे बैठकें भी कीं, चीफ सेक्रेटरी ने भी बैठक की, जयपुर गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि हमारी गवर्नमेन्ट या तो आश्वासन दें, गारंटी दें या तो रिलीफ अंडरटेकिंग डिक्लेयर करे । उसके लिए प्रयास कर रहे हैं । यह कोई आसान काम नहीं है । हमारी गाजियाबाद की सदस्या ने मोदीनगर मिल की बात उठायी, हमारी तरफ से तो रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हुए, मैं बताना चाहता हूं कि हमने लाक आउट की परमिशन नहीं दी, प्रासिक्यूशन चल रहा है, उसमें हाईकोर्ट से स्टे है । कायदे कानून हैं, उसके अनुसार किसी विवाद को निपटाने में हमारे अफसर देर नहीं लगाते । हम लोग कायदे कानून के अनुसार कार्यवाही करते हैं, रिकवरी सर्टिफेट जारी करते हैं, एक्जीक्यूशन कराते हैं, लेकिन मामला हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट में चला जाता है। कानपुर केमिकल की बात उठी, उसमें कोर्ट से स्टे है । जहां कोर्ट स्टे दे देते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं । माननीय पाठक जी ने कहा कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हुकुम मुझे देने का अख्तियार नहीं है, जो मामला सब जुडिस हो तो हम अपने अधिकारियों से यही कह सकते हैं कि

इसे देखते रहे । हमारे लेबर कमिश्नर ने, तमाम अधिकारियों ने और डी0 के मित्तल सेक्रेटरी साहब ने, जो-जो मामले बताए हैं, उनको कम से कम किया, उनको हल किया । यह सब मामले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गये, उन्होंने भी कहा कि जो सही बात है, वह की जाय । तो कोशिश इस बात की है कि हम एक बेलेंस करें, सही बात कर लेकिन अगर जरा सी भी कोई बात हो जाता है, जो लोग स्टे ले आते हैं हाईकोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं । मैं पाठक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर काई बात है तो वे बताएं उसको हम कायदे कानून के अनुसार कराने की कोशिश करेंगे ।

ओल्ड एज पेंशन की बात कही गयी, हम लोगों का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन दी जाय । उसमें हम लोगों ने बहुत लोगों को पेंशन भी दी है और उसमें जो डिले हो जाता है वह इसलिए हो जाता है कि बजट जो वहां से जाता है, उसमें डिले होता है । हमारे एक भाई ने आइ0 टी0 आई0 की बात उठायी, मैं चाहूंगा कि वे मुझसे मिलकर उन मेम्बर का नाम बता दें, उस मेम्बर को हटा देंगे, हम उस कमेटी को हटा देंगे । हम चाहते हैं कि जो लोग वाकई हकदार हैं उनका दाखिला हो । ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको पहुंच नहीं है, उनका दाखिला हो । ऐसे ही हमारे एक और भाई ने कहा कि उनको भी कुछ शिकायत है तो वह मुझे बताएं, मैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा । मैं बहुत आभारी हूं कि जो सुझाव माननीय बावर साहब और गुप्ता जी ने दिये हैं । गुप्ता जी ने फतेहपुर के लिये कहा तो मैं अधिष्ठाता महोदय से बात करूंगा और फतेहपुर की मिल में जो भी अनियमितताएं हुई हैं, उनको ठीक कराने का प्रयास करूंगा । हमने लेबर कमिश्नर बना दिये हैं जो इस तरह की बातों को देखेंगे । गुप्ता जी ने जो बात कही है, उसको हम बढ़ावा देंगे और वहां पर और अगर कोई खास बात होगी, तो उसको भी हम देख लेंगे वैसे मैं तो गुप्ता जी से बराबर परामर्श करता रहा हूं । कोई स्पेसिफिक बात गुप्ता जी बतायेंगे, तो हम उस पर भी विचार करेंगे । महमूदाबाद के लिये गुप्ता जी ने कहा था कि एक आदमी को वहां पर बन्द कर दिया गया है । तो मैं बताना चाहता हूं कि उस आदमी को मर्डर केस में बंद किया गया है, उस पर मर्डर का आरोप था । हम आप सब लोगों के कोआपरेशन से अपना काम कर सकते हैं । हमारे तो सब अधिकारी फैसला कराने की कोशिश करते हैं और अगर कोई फैसला नहीं होता है तो उनके खिलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये जाते हैं, एक्शन लिया जाता है । हम कार्यवाही करने में कोई कोताही नहीं करते हैं ।

जहां तक बावर साहब ने मिनिमम वेजज की बात कही कि उसका एक्वीजिशन नहीं होता । उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने हर तहसील के अन्दर लेबर इन्सपेक्टर को मुकर्रर किया है, बी0 डी0 ओ0 को अख्तियार दिया है ब्लाक लेबिल पर और डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर भी हमने कमेटियां बनाई हैं । ताकि मिनिमम वेजेज की अवहेलना का कोई केस आये तो उसके खिलाफ तुरन्त एक्शन हो । मान्यवर, वर, यहां पर बान्डेड लेबर की बात कही गयी । मैं बताना चाहता हूं कि आज किसी में दम नहीं है कि वह बान्डेड लेबर रख सके । अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है । हमने ऐसे लेबर्स को 6 हजार रुपये की सहायता दी है । हमने उनके मकान बनवाने की कोशिश की है । इस प्रकार जो आइडेन्टीफाइ होंगे, उनको हमने 20-25 हजार रुपये रिहैबिटेट किया है ।

मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव यहां पर दिये हैं । गांव से लेकर शहरों में काम करने वाले हों, एग्रीकल्चर लेबर हों, और कारखानों में काम

करने वाले हों, चाहे होटलों में काम करने वाले हों और चाहे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाल लाग हों, बिना इन लोगों के सहयोग से काम नहीं हो सकता । हमारे अधिकारी और कर्मचारी काम में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं । मान्यवर, इसके लिये सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है । मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, साथी आते हैं, मैं उनके केस में तुरन्त एक्शन लेने की कोशिश करता हूं । मेरी दरख्वास्त है कि नाबर भाई ने जो कुछ कहा है, उसको विदड्रा कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अकबर हुसेन नावर—

मैं प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कताई मिलों में जो 5 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, उनको 11.50 मिलना चाहिये । इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा । माननीय मंत्री जी मिनिमम वेजेज के अनुसार उन मजदूरों को भी 11.50 दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सईदुल हसन—

मान्यवर, सभी कताई मिलों में साढ़े ग्यारह व साढ़े बारह रुपये वेजेज मिल रहे हैं । आप लिखकर दे दें कि कहां नहीं मिल रहा है, हम उसे दिखवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप लिखकर दे दें । प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 29,99,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 23,54,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अंतर्गत मुझे 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना, श्री यदुनाथ सिंह जी की विश्वविख्यात मान मंदिर वेधशाला, वाराणसी में पी0 ए0 सी0 के जवानों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी व श्री जगवीर सिंह की प्रदेश में अप्रमाणिक व मिलावटी उर्वरक के व्यापक प्रचलन से कृषि उत्पादन में क्षति के संबंध में है । तीसरी, सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बिसवां (सीतापुर) में आदमखोर भेड़िये द्वारा दो बच्चों की हत्या से उत्पन्न भय एवं आतंक के संबंध में है ।

इसमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, शेष दो सूचनाओं को अस्वीकार किया ।

(मद संख्या—11 पुकारे जाने पर)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । बनारस की जो वेधशाला है, वह विश्व-विख्यात है । पता नहीं इन नेताओं का अन्दर ही अन्दर क्या चक्कर है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपा करके बैठ जायं ।

पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग से तीन व्यक्तियों की हत्या के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 15/16-1-88 की रात्रि को कस्बा पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के तीन दुकानों में चोरी की घटना हुई । चोरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिनांक 19-1-88 को कस्बा पट्टी में जनता द्वारा ट्रैफिक जाम किया गया एवं व्यापारियों ने दुकानें बन्द कर दी । भीड़ में शामिल व्यक्तियों को परगनाधिकारी, पट्टी द्वारा समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया तथा उन्हें बताया गया कि पट्टी कस्बे में धारा 144 जा0 फौ0 लागू है । अतः इस तरह से रास्ता जाम करना गैर कानूनी है लेकिन एकत्रित भीड़ उत्तेजित होकर नारेबाजी करने लगी और परगनाधिकारी की बातों को अनसुनी कर दिया । इस पर परगनाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि वे रास्ता जाम नहीं हटाते हैं तो उन्हें बाध्य होकर बल प्रयोग करके रास्ता साफ करना पड़ेगा । इतने में भीड़ की तरफ से ईंट-पत्थर व बोतल परगनाधिकारी व पुलिस पार्टी पर चलना शुरू हो गया । परगनाधिकारी की जीप एवम् एक सरकारी बस को भीड़ द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया । भीड़ को अनियंत्रित देखकर तथा उसके आक्रामक एवं हिंसात्मक रूप को देखकर परगनाधिकारी ने उन्हें चेतावनी देते हुए बल प्रयोग करके रास्ता साफ करने का आदेश दिया । इतने में छत

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पर से फायर होने लगा तथा कुछ लोग कां0 राम प्यारे यादव एवम् मोती सिंह, जो असलहा लिये हुये थे, को ईंट-पत्थर से मारने लगे । कां0 रामप्यारे यादव चोट खाकर गिर गया । आत्मरक्षा में निरीक्षक, पट्टी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से व मोती सिंह ने अपनी रायफल से फायर किया ।

उपर्युक्त घटना के फलस्वरूप जनता के घायल श्री शिवसिंह व श्री अशोक कुमार खण्डेलवाल की मृत्यु हो गयी एवम् इलाहाबाद में मेडिकल कालेज में कां0 रामप्यारे यादव की मृत्यु हो गयी ।

कुछ आदमियों ने पास की पांच गुमटियों में आग लगा दी थी । इस पर किसी तरह आग बुझायी गयी और भीड़ को हटा दिया गया था ।

इस घटना में पुलिस के कुल 13 कर्मचारी घायल हुए थे ।

घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं । घटना के संबंध में यह सही नहीं है कि चोरी के अभियुक्तों से पुलिस की सांठगांठ के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की गयी । पंजीकृत अपराध की विवेचना अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है । दिनांक 21-1-88 को पट्टी में अपराध अनुसंधान शाखा की विशेष टीम पहुंच गयी थी तथा उन्होंने विवेचना प्रारम्भ कर दी थी । स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है ।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखा है । स्थिति यह है कि जहां की यह घटना है कि एक रात 5 लोगों के ताला टूट गये, जिस समय चौकीदार रिपोर्ट लिखाने गाा तो जो नामदर्ज थे, उनसे पुलिस की सांठगांठ थी और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । कोतवाली के सामने में लोग प्रदर्शन कर रहे थे । इतने में कोतवाल उत्तेजित हो गया । बदले की भावना से उन लोगों को निशाना बनाया गया, जो उसकी अगुवाई कर रहे थे । शिवसिंह के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है, वह उस समय छत पर था और खण्डेलवाल टिन के पीछे थे, इन दोनों को गोली का निशाना बनाया गया और वे मारे गये । उस कोतवाल की एक गोली एक कान्सटेबिल को भी लगी है ।

श्री अध्यक्षता—

माननीय सदस्य, आप प्रश्न कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, राजा अजीत प्रताप जी भी वहां गये थे, प्रमोद तिवारी जी भी गये थे, उनका मानना है कि आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग वहां बदले की भावना से पुलिस द्वारा किया गया है, 9 दिन वहां पर बन्दी रही । जो पुलिस कर्मी दोषी थे, जिनकी लापरवाही के कारण यह मामला हुआ, उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इन्सपेक्टर को सस्पेण्ड कर दिया गया है और मजिस्टीरियल जांच के अतिरिक्त सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दिये गये हैं, सी0 आई0 डी0 की टीम ने 21 तारीख से जांच कार्य करना शुरू भी कर दिया ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, 15-16 की रात की चोरी है, 16 तारीख को प्रात:काल पीड़ित और परेशान लोग कोतवाली में जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिये तैयार नहीं होता है, 18 तारीख को सारे बाजार बन्द हो जाते हैं, 19 तारीख को रास्ता जाम इसलिए किया था कि अधिकारी आकर कह दे कि अपराधी गिरफ्तार किये जायेंगे, माल बरामद किया जायगा । यह कहने के स्थान पर मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह स्वयं पढ़ें, ऐसा लगता है कि बना बनाया वक्तव्य पढ़ दिया, उस पर मंत्री जी ने केवल दस्तखत कर दिये हैं । इसमें लिखा है कि—

"इस पर परगनाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि वे रास्ता जाम नहीं हटाते हैं तो उन्हें बाध्य होकर बल प्रयोग करके रास्ता साफ करना पड़ेगा ।"

धमकी देने के स्थान पर क्या यह नहीं कह सकते थे कि चोरी हो गयी है तो अपराधी गिरफ्तार किये जायेंगे ? माल बरामद किया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

वक्तव्य में भी कहीं यह नहीं है कि परगनाधिकारी ने ये शब्द कहे हों कि चोर गिरफ्तार किये जायेंगे और माल बरामद किया जायेगा । क्या यह स्वयं नहीं समझ रहे हैं कि परगनाधिकारी दोषी हैं ? इसके अलावा यह बता दें कि क्या आज तक चोर गिरफ्तार हुए, माल बरामद हुआ ? जिन दो नागरिकों की मृत्यु हुई, उनकी क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ? तीनों परिस्थितियों के ऊपर बताने की कृपा करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके अतिरिक्त जो भी बिन्दु उठाये गये हैं, मैं सम्मानित सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से करा रहे हैं । इतनी तेजी से काम किया कि 18-19 की घटना है, 20 तारीख को वहां पर विवेचना अधिकारी सी0 आई0 डी0 की टीम पहुंच गयी, मैजिस्टीरियल जांच भी चल रही है । इन्सपेक्टर इन्चार्ज, पट्टी को ससपेण्ड भी कर दिया गया है । जो बिन्दु उठाये हैं, उन बिन्दुओं पर प्रकरण की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 पहुंच गयी है और तत्परता से जांच कर रही है, तो सी0 आई0 डी0 क्या चोरी के मामले की जांच कर रही है या फायरिंग की घटना की जांच कर रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ! इस वक्तव्य के अन्तर्गत जितने बिन्दु उठाये हैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने तथा हरीश जी ने और जिनकी तरफ आपका इशारा है, उनके सम्बन्ध में ही माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जांच हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें सन्देह पैदा हुआ, इसीलिये पूछा गया है । यह सन्देह वक्तव्य के आधार पर ही पैदा हुआ है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

वक्तव्य से सन्देह पैदा हुआ, इसीलिये पूछा गया है । मान्यवर, आप वक्तव्य के अन्तिम पैरा को देखें, इसमें लिखा है कि पंजीकृत अपराध की विवेचना अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल पंजीकृत अपराध की विवेचना ही अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है या जो वहां फायरिंग हुई, उसके कारणों की जांच और दोषी व्यक्तियों को ढूंढ़ने की जांच भी सी0 आई0 डी0 कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी हां ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पांच ताले टूटे, चोरियां हुईं और सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है, यह सही है । लेकिन जो आपकी निष्क्रिय पुलिस है, जो कि आज तक चोरों का पता नहीं लगा पायी और वहां चश्मदीद गवाह हैं कि कोतवाल के सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलीं और उससे लोगों की मृत्यु हुई । तो उस कोतवाल के विरुद्ध दफा 302 में क्यों नहीं मुकदमा कायम किया गया ? और जो लोग मर गये हैं उनकी विधवाओं को क्या आप आर्थिक सहायता देने जा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इस प्रकार के केसेज में आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह कैसे कह रहे हैं ? अभी गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में जो गोली काण्ड हुआ है और पुलिस ने गोलियां चलायी हैं वहां आपने पैसा दिया है । यहां जब चश्मदीद गवाह हैं कि यहां भी पुलिस के दरोगा ने गोलियां चलायी हैं और उससे लोगों की हत्या हुई है और सरकार ने भी वक्तव्य में स्वीकार किया है कि दरोगा के सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चली हैं और लोग मरे हैं । मेरा आरोप है कि लक्ष्मण सिंह नामक व्यक्ति को निशाना बनाकर दरोगा ने गोली चलायी, उसकी गवाहियां भी हैं तो फिर आप उन्हें आर्थिक सहायता क्यों नहीं देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो प्रश्न किया, पहले आप सुन तो लीजिये कि मंत्री जी ने कहा है कि उस पर सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप मेरी मदद करिये । मैं कह रहा हूं कि जब दरोगा ने गोलियां चलायीं और वहां लोग मरे तो उस दरोगा के विरुद्ध क्यों नहीं 302 का मुकदमा दायर किया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

यह सुनिश्चित नहीं है कि कोतवाल की गोली से लोग मरे हैं, इसलिये मुकदमा कायम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक गोरखपुर में आर्थिक सहायता दिये जाने की बात है तो दोनों वाकये में फर्क है। वहां पुलिस ने घर में घुस करके गोलियां चलायी थीं और यहां पर रास्ता जाम कर दिया गया था, उसे साफ करने के लिये पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, दोनों घटनाओं में अन्तर है। इसलिये वहां आर्थिक सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

अभी बस्ती में डुमरियागंज में इसी तरह से पुलिस का अत्याचार हुआ था कि उसमें उग्र भीड़ पर गोलियां चलायी थीं तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी विधवा को यहां बुला करके 20 हजार रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में उसे दिया। इसी तरह से दो नागरिक और एक पुलिस कांस्टेबिल इस घटना में खतम हुए हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति न दिये जाने का क्या कारण है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्वीकृत चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

अब हम मद संख्या 12 लेते हैं जो मेरठ में भारतीय किसान . . . .

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरठ के मामले में आज दो घंटे की चर्चा है और माननीय गुप्ता जी की, माननीय राम शरण दास जी व अन्य माननीय सदस्यों की सूचना पर ही यह सूचना स्वीकार हुई है। परन्तु आज शनिवार है। काफी माननीय सदस्य इस पक्ष के और उस पक्ष के भी जा चुके हैं, उस सत्ता पक्ष से बचाव करने वाला भी अब कोई नहीं है और माननीय राम शरण दास जी भी इस पर अपनी सहमति प्रकट कर रहे हैं, केवल माननीय गुप्ता जी से और पूछ लिया जाये, यदि वह सहमत हों तो इसे किसी और दिन ले लें जिस दिन शनिवार न हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय दिवाकर जी कह रहे हैं उस पक्ष से कोई बचाव करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मान्यवर, बचाव करने वाले लोग बैठे हैं और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और कौन सा मौका होगा (हंसी) बचाव का। लेकिन मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय राम शरण दास जी ने और माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने रखा है, उससे मैं सहमत हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय राम शरण दास जी ने रखा है, जिस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सहमति दे दी है, मैं भी उससे सहमत हूं कि यह चर्चा किसी अच्छे वातावरण में हो। लेकिन मान्यवर माननीय हरीश जी ने और मैंने भी इस वक्तव्य पर कुछ पूरक प्रश्न पूछे, उस पर सरकार द्वारा भेदभाव ढंग प्रकार से जो कार्यवाही बचाव की की गयी है, यह उचित नहीं है जिससे मैं पूर्णतया असहमति प्रकट करता हूं और . . . . .

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

गुप्त जी आप अगर नाराज न हों और वाक आउट न करने का आश्वासन दें तो माननीय मंत्री जी इस पर कुछ कह सकते हैं । (हंसी)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, इस मामले में मैं सी0 आई0 डी0 और मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी करा रहा हूं । माननीय सदस्यगण को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर जांच के बाद ऐसे यदि कोई तथ्य आते हैं, जिनमें आर्थिक सहायता आवश्यक होगी, तो अवश्य आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और 14 तारीख को 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 1 मिनट पर सोमवार 14 मार्च, 1988 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
12 मार्च 1988

पी0 एस0 यू0 पी0—2 वि0 स0—दिनांक 8-4-88—813 प्रतियां (लाइनो) ।